राजस्थान विधान सभा

११ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक-६ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८.४७ बजे (प्रातः) प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ८१

पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशकों के विरुद्ध गत वर्ष व इस वर्ष आपत्ति-पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष किन-किन पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशकों के खिलाफ़ सरकार के समक्ष शिकायतें आईं व सरकार द्वारा उन पर क्या एक्शन लिया गया ?

(ख) चालू वर्ष में किन प्रकाशकों व लेखकों के खिलाफ़ शिकायतें थीं व उन पर क्या क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (शिक्षा मन्त्री की ओर से)—सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी डिटेल सदन की मेज पर रख दी गई है और उसमें सारी विगत आगई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई बार आपकी ओर से

Page No.2

[श्री चांदमल मेहता]

आज्ञा दी गई है कि उसकी एक प्रति प्रश्न कर्त्ता को मिल जानी चाहिये। फिर भी जो सूची दी गई है, वह मेज पर रख दी गई है, उसकी प्रति मुझे नहीं दी गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुबह पूछ लिया था। आपके पास सूची अवश्य भेजी गई है। अगर नहीं पहुँच पाई है तो दुबारा दे सकता हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहुँचने नहीं पहुँचने का सवाल नहीं है। यह तो एक क्रॉनिक डिज़ीज़ हो गई है जिसमें हमारी यह सरकार फंसी है। जब तक कहीं बाहर से डॉक्टर नये नहीं बुलाये जावें, तब तक अपने मैडिकल कॉलेज के डाक्टर इनका इलाज नहीं कर सकते। यह तो हमेशा की हमारी बड़ी सख्त शिकायत रही है और इस शिकायत पर कुछ भी ध्यान नहीं देना, यह केवल सदस्यों का ही अपमान नहीं है, अपितु सदन का भी अपमान है। बार बार अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे कहा गया, रूल्स भी बने हुए हैं और कई बातें यहां हुई हैं, उस पर भी सरकार ने जो रवैया अख्तियार कर रक्खा है उस पर सिवाय इसके कि अफसोस करें हम और क्या कहें इस बात के लिए।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुबह जब मेरे पास प्रश्न उत्तर के लिए आया तो यह दरियाफ्त किया कि इसकी कापी उन्हें भेज दी गई है या नहीं तो यही मालूम हुआ कि भेज दी है। और अगर इस पर भी नहीं पहुँची है तो मुझे इसके लिए दुःख है। मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कि कैसे नहीं पहुँची।

श्री चांदमल मेहता— माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऐतराज करने के बाद में अभी-अभी चपरासी लाकर यह कापी दे गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने भिजवा दी है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि माननीय सरकार के इन मंत्रियों के हुक्म अफसर लोग नहीं मानें तो इन मिनिस्टरों की हिम्मत की बात चाहिये, काम कराने का माद्दा चाहिये। हम लोगों को तो ताज्जुब है, इस बात का कि मिनिस्टर हुक्म दे और अफसर उसे माने नहीं और कॉपी पहुँचावे नहीं। अगर उनमें कुव्वत हो तो एक मिनट में अफसर को सीधा किया जा सकता है। पर इन मिनिस्टरों में भी तन्त (शक्ति) चाहिये और हुक्म मानने का माद्दा चाहिये। तो ये जो बातें हैं सो आप देखते हैं। पर हमें ऐतराज है इस बात का कि जो चीज होनी चाहिये वह क्यों नहीं होती।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इसका तो अफसोस है कि कॉपी आपके पास नहीं पहुँच पाई। पर अफसर हुक्म नहीं मानें ऐसा नहीं हो सकता। हुआ यह होगा कि पहुँचा होगा और आप होंगे नहीं, इसलिए आप को नहीं मिला होगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं नहीं मिला, ऐसी बात होती नहीं है।

श्री अध्यक्ष—कोई और सप्लीमेन्टरी पूछना है?

श्री चांदमल मेहता—अब कॉपी मिली है, इसलिये अभी तो पूछ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—आप कापी भेजें तो इन्डिकेट कर दिया जावे ताकि वह कापी सदस्य को दे दी जावे। इन्डिकेशन किया हुआ नहीं होता है तो सदस्य के पास भेजने से रह जाती है, फिर जितनी कापी यहां भेजी जाती हैं, उतनी ही भेजी जाती हैं, एक्स्ट्रा कापी नहीं भेजी जाती।

श्री भोगीलाल पंड्या—अतिरिक्त कापी भेजी जाती है। उस पर लिखकर और भेज देंगे और वह कापी आप भिजवा दीजियेगा। इसमें तो लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—कई बार ऐसे स्टेटमेन्ट दे दिये जाते हैं और वास्तव में कापी हमारे यहां आती नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो मेरे ख्याल से भेजी हुई आई है। देने में कुछ देर हुई है, ऐसा मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ८२

ग्राम अराई (जिला जयपुर) में प्राचीनतम मूर्तियें निकलना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे?

(क) क्या ग्राम अराई जिला जयपुर में बहुत प्राचीन मूर्तियां जमीन में से निकली हैं?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में एक विशाल मन्दिर के जमीन के नीचे दबे हुए होने के संकेत मिले हैं?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या अराई ग्राम की जनता ने उक्त स्थान की खुदाई करने की मांग की है ?

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। (क) अध्यक्ष, पुरातत्व संग्रहालय विभाग की रिपोर्ट आ चुकी है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) अध्यक्ष, पुरातत्व विभाग, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच कब शुरू हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख तो मुझे याद नहीं, अलग से पूछेंगे तो जानकारी प्राप्त करके बता दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए कोई अफसर अराई नहीं पहुँचा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि तारीख इस समय नहीं है, इसलिये नहीं बता सकता कि किस तारीख को पहुँचे। गये अवश्य हैं और जो बहुत सी मूर्तियां निकली हैं उनमें कुछ मूर्तियां जैन धर्म के सम्बन्ध में भी थीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जांच की जा रही है, वह कागजों पर ही की जा रही है, मौके पर नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपका ख्याल हमेशा यही रहता है। जांच तो मौके पर ही जाकर की जाती है। अब चूंकि तारीख मेरे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि कौन आदमी किस तारीख को गया, कब आया। आप चाहेंगे तो सारी जानकारी दी जा सकेगी।

श्री चांदमल मेहता—मेरा ख्याल तो हमेशा ठीक रहता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपके ख्याल से, आपका ख्याल ठीक होगा पर मेरा ख्याल आपके ख्याल के अनुसार नहीं है। मेरा ख्याल मेरे विचार से ठीक है।

श्री अध्यक्ष—(प्रश्न संख्या ८१ के सम्बन्ध में सम्बोधित करते हुए) मैं बीच में थोड़ा इन्टरवीन कर दूं, इस सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर ही हमारे पास नहीं आया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुबह मालूम किया तो मालूम हुआ कि वह कापी भेज दी गई है।

श्री अध्यक्ष—वह आपकी जानकारी के लिहाज से ठीक हो सकता है। That has not been received till now. Next.

प्रश्न संख्या ८३

चम्बल बेराज नहर निर्माण हेतु कृषकों की भूमि की सरकार द्वारा अप्राप्ति

श्री राज हिम्मतसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state :

(a) How many acres or bighas of land have been acquired by the Government from the holdings of cultivators for the construction of Chambal barrage canals in each tehsil through which the canal could pass ?

(b) Has the Government struck off the areas of the canal lands from the respective Khatas of Khatadars of the villages and if so, when ?

(c) What compensation has been paid to the Khatadars for the acquisition of their lands and standing crops ?

श्री सम्पतराम (उप-राजस्व मन्त्री)—(a) No, land has not so far been acquired for the canals of the Chambal Project.

(b) No, not yet.

(c) This question does not arise.

[श्री सम्पतराम]

(d) No compensation has been paid so far. Acquisition orders under Section 17 of the Rajasthan Land Acquisition Act have been issued. Proceedings under sections 5,4&17 of the R. L. A. Act are in progress. As soon as this action is finished, they will get compensation accordingly.

श्री अध्यक्ष—Satisfied ?

श्री राज हिम्मतसिंह—Satisfied quite, Sir. कम्पेन्सेशन नहीं मिला, इससे और ज्यादा क्या ?

श्री सम्पतराम—Do not lose patience. They will get compensation.

कु० श्री जसवन्तसिंह—In their life-time, it is hoped.

प्रश्न संख्या ८४

बीकानेर वेटरनरी कॉलेज के बाग के लिये स्टाफ व रकम की स्वीकृति

श्री प्रभुदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर वेटरनेरी कॉलेज के बाग के लिये कितनी रकम और कितने स्टाफ को सेंक्शन है ?

(ख) अगर हां, तो उसमें क्या क्या पोस्टें हैं और अगर नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) इस विभाग में कोई रकम व स्टाफ स्वीकृत नहीं है ।

(ख) निर्माण विभाग केवल पब्लिक पार्क व कुछ सरकारी बंगलों व कार्यालयों के बगीचों को मेन्टेन करता है, जिसमें कॉलेजों के बंगले सम्मिलित नहीं हैं ।

श्री प्रभुदयाल—यह फर्क नहीं है क्या ? जब इतना बड़ा कॉलेज है, तो वहां क्यों नहीं व्यवस्था की जाती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां कॉलेज की ओर से कोई व्यवस्था होगी ।

श्री प्रभुदयाल—उसकी ओर से नहीं है। क्या सरकार दुबारा इस पर सोचने के लिए तैयार है?

श्री भोगीलाय पंड्या,—हां, अगर कालेज वाले लिखेंगे, तो विचार करेंगे।

श्री प्रभुदयाल—मैंने पता लगाया है, वहां कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। क्या पी. डब्लू. डी. विभाग की ओर से व्यवस्था करने की तैयारी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी व्यक्ति की ओर से आवेदन करने पर नहीं, कॉलेज वाले लिखेंगे, तो इसकी व्यवस्था हो सकती है।

प्रश्न संख्या ८५

राजस्थान में पत्थर की खानों का किराया, रॉयल्टी या अन्य फीसें विभिन्न

जिलों में विशेषतया किशनगढ़ सब डिविजन में

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में पत्थर की खानों का किराया, रायल्टी या अन्य क्या, क्या फीस किस, किस ज़िले में किस किस रेट से ली जाती है?

(ख) उक्त फीस किस किस ज़िले में कब कब से चालू की गई है?

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन में नई फीस क्या, क्या नाम से लगाई गई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न का उत्तर राजस्थान राजपत्र संख्या ३३ दिनांक ११ जून १९५५ के भाग चतुर्थ (ग) में प्रकाशित हुए विवरण से स्पष्ट होता है।

(ख) ऊपर के भाग (क) में इसका उत्तर आ गया है। सब जिलों में एक सा।

(ग) राजस्थान में उक्त आज्ञा सब जिलों में एक सी लागू होती है, किशनगढ़ में लगने, न लगने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No.8

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो फीस लागू की गई है, वह किशनगढ़ के लिए नई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किशनगढ़ भी राजस्थान में है और राजस्थान के लिए यह नई नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मैं तो किशनगढ़ के लिए पूछता हूँ, कि जो फीस लगाई है, वह नई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो नियम में सब के लिए फीस है, वह किशनगढ़ के लिए भी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन लोगों पर यह नई फीस लगाई गई है, उनके पास किशनगढ़ स्टेट के पट्टे हैं कि उनसे कोई किसी किस्म की फीस नहीं ली जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अलग से पट्टे भेजिये जांच कर ली जायगी। अगर वह वेलिड होंगे तो विचार किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह के पट्टे पेश किये जा चुके हैं, फिर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह वेलिड नहीं समझे गये होंगे।

श्री चांदमल मेहता—जो राजाओं के वक्त के पट्टे किये गये हैं उन पट्टों को किस आधार पर इनवेलिड माना गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—जब अलग से प्रश्न पूछेंगे, तो उस वक्त बतलाऊंगा कि क्यों इनवेलिड समझे गये। राजाओं का राज्य ही नहीं रहा तो पट्टों पर वैधानिक रूप से विचार करना होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार की यह पालिसी है कि राजाओं के पट्टे हैं वह वैधानिक, नहीं माने जांय।

श्री भोगीलाल पंड्या—उनको क्वेनेन्ट में जो अधिकार दिये गये हैं और जिनको मानना होगा उन्हें माना जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या क्वेनेन्ट के अधिकार में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किन्हीं लोगों को कार्ट पट्टा सरकार की ओर से किया गया है, वह नहीं माना जा सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष—That is legal. If anybody has any grievance he can go to the law-courts.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या गवर्नमेंट की यह पालिसी हो गई है, माननीय अध्यक्ष, कि पुराने राजाओं के जमाने के पट्टे खारिज कर दिये जांय ?

श्री अध्यक्ष—If anybody has any grievance, he can go to law-courts. It is only a question of law.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जवाब में कहा है कि जांच की जा सकती है। जो वैधानिक रूप से मानने पड़ते हैं, उनको मानेंगे जो नहीं मानने के योग्य हैं, उनको नहीं मानेंगे। फिर किसी को शिकायत हो तो लीगल कोर्ट में जा सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि राजाओं के राज्य खत्म होगये तो पट्टों की क्या कीमत है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह डिसाइडेड पॉलसी है।

श्री भोगीलाल पंडया—मैंने जो कहा था वह, आपने कहा है कि राजाओं के पट्टे माने क्यों नहीं किये गये, उसके उत्तर में था कि राजाओं के राज्य ही नहीं रहे तो जो कानून के अनुसार होंगे वह तो मान्य ही होंगे।

श्री हिम्मतसिंह—Now he has amended himself.

प्रश्न संख्या ८६

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ८७

राजगढ़ के लिये जेनरेटिंग सेट से बिजली वितरित करना

श्री प्रभुदयाल—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजगढ़ जिला चुरू के लिये भाखरा नांगल परियोजना की बिजली आवे तब तक के लिये जैनरेटिंग सेट से बिजली वितरित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(ख) क्या जैनेरेटिंग सेट वहां गत डेढ़ वर्ष से पड़ा है ?

(ग) यदि हां, तो फिर बिजली मिलने में देरी का कारण क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग और व्यवसाय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से)

(क) हां।

(ख) हां, इस विभाग को जैनेरेटिंग सेट लगाने के लिए दो तीन स्थानों का चुनाव करना था, परन्तु वह स्थान इस विभाग को न दिये जाने के कारण जैनेरेटिंग सेट अभी तक नहीं लगाया जा सका।

श्री प्रभुदयाल—यह मामला कितने दिन से विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—विचाराधीन नहीं है। इस मामले के लिये जैनेरेटिंग सेट भेजा गया। इसलिए विचाराधीन का प्रश्न नही आता है।

श्री प्रभुदयाल—आपने फरमाया है कि उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका इसलिये जैनेरेटिंग सेट डेढ़ साल से पड़ा है तो क्या अभी तक वह स्थान नहीं मिल सका ?

श्री भोगीलाल पंड्या—स्थान की मांग की गई थी, वह नहीं मिल पाया है। ज्योंही स्थान मिल जायगा वह लगा दिया जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या वह सेट अच्छी हालत में अभी तक है या कहीं चुरा लिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं बहुत अच्छी हालत में है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार को पता है कि वह स्थान म्युनिसिपेलिटी को दिया गया है जिसमें अपनी ओर से म्युनिसिपेलिटी ने पार्क बना लिया है ।

एक माननीय सदस्य—यह उसके बाद की बात नहीं ।

श्री प्रभुदयाल—कब तक लगा दिया जायगा ।

श्री भोगीलाल पंड्या—वह जमीन मिलते ही लगा दिया जायगा ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—सारी जमीन सरकार की है । चाहे जहां लगा दिया जाय ।

श्री भोगीलाल पंड्या—चाहे जहां नहीं लगाया जा सकता है । उसके नियम होते हैं उनके अनुसार लगाया जाता है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह स्थान भाखरा नांगल योजना में होते हुए भी, यहां पर पॉवर हाउस लगाया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें लगाने वाले हैं । यह इसके पहले ही चाहते थे कि उनको सुविधा मिले । पहले चाहते हैं उसमें तो लगेगा ही ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह भी लगायेंगे । सुनने में ऐसा आता है कि वह एक साल के अन्दर २ भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से बिजली मिलने वाली है तो फिर क्या उसके पहले यह थरमो पावर हाउस लगा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—पहले की ही बात है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले की बात है । पहले ही उन्हें सुविधा दी जा सके तो अच्छा है । इसलिए यह कोशिश की जा रही है ।

श्री प्रभुदयाल—जेनेरेटिंग सेट को लाये कितना अर्सा हो गया ।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने अपने प्रश्न में समय और अरसा दे दिया तो फिर पूछने से क्या फायदा है ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—इसको आगे लिया गया है)

श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ८९

राजस्थान में विभिन्न खनिज पदार्थों पर पी० एल० की फीस की दर

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में किन किन खनिज पदार्थों में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं व उन पर, किस किस रेट से पी० एल० की फीस ली जाती है ।

(ख) भारत सरकार के नियन्त्रण में राजस्थान में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, वह उन पर प्रति एकड़ पी० एल० की क्या फीस है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग व व्यवसाय मंत्री)— (क) न्यूनतम दो आना एवं अधिकतम एक रुपया प्रति एकड़ ।

(ख) विधान के अनुसार समस्त खनिजों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है, परन्तु प्रान्तीय सरकारों को इन खनिजों को ठेके पर दिये जाने के अधिकार दिये गये हैं। खनिज सुविधा नियम १९४९ के अनुसार परिशिष्ट नं० ४ मे वर्णित उल्लिखित खनिजों के ठेके देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है और उन पर जो शुल्क लिया जाता है, वह इस प्रकार है :

१—आणुविक खनिज़	दो आना प्रति एकड़ प्रति वर्ष ।
२—शीशा, जस्त, चांदी, तांबा	आठ आना प्रति एकड़
३—जिप्सम, सोना, प्लैटिनम और अन्य बहुमूल्य धातु ।	अब तक कोई शोधन पत्र नहीं दिया गया ।
४—बहुमूल्य धातु	एक रुपया प्रति एकड़ ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बेरियल जिसके ऊपर सीधा भारत सरकार का नियन्त्रण है, उसके ऊपर पी० एल० की फीस कम है, इस लिहाज से उसकी ओर लोगों की अधिक दिलचस्पी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकती है। केन्द्र ने सोच समझकर दर नियम किये हैं। ऐसा हो सकता है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियन्त्रण में जो खनिज पदार्थ हैं उनकी पी० एल० की फीस अधिक होने की वजह से खनिज पदार्थ की ओर लोगों का ध्यान जितना जाना चाहिए था, उतना नहीं गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, लोगों ने काफी ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने पी० एल० की दर नियत नहीं की है। केन्द्र की स्वीकृति से मुकर्रर होती है, और सारे हिन्दुस्तान के लिए एक होती है दर।

प्रश्न संख्या ९०

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ९१ व ९२

श्री महादेवप्रसाद बंका।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

प्रश्न संख्या ९३

श्री कस्तूरचन्द जैन।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६४

म्युनिस्पल कमेटियों के हरिजनों का न्यूनतम वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(क) म्युनिसिपल कमेटियों में काम करने वाले हरिजनों के लिये क्या कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित है ?

(ख) यदि हां, तो कितना ?

(ग) क्या यह सही है कि किशनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजनों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) प्रथम से चार श्रेणी वाली नगरपालिकाओं में २५/१/३०। पांच से ७ श्रेणी वाली नगरपालिकाओं में २०/१/२५।

(ग) किशनगढ़ नगरपालिका के हरिजन मुलाजिमों को श्रेणी में २५/१/३० की ग्रेड अभी तक दी जा रही है और इस समय उनको ३६ रुपये की तनख्वाह दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या ९५

जैसलमेर को वहां की तहसीलों व सब डिवीजनों से सड़कों से जोड़ना

श्री हनवन्त सिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला जैसलमेर से वहां की तहसीलों व सब डिवीजनों को सड़क द्वारा जोड़ने की कोई योजना है ?

[श्री हनवन्तसिंह]

(ख) अगर हां, तो कब तक पूरी हो जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में)—(क) है।

(ख) अधिक से अधिक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक।

श्री हनवन्तसिंह—क्या फरमाया है आपने, कौनसी समाप्ति तक ?

श्री अध्यक्ष—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक।

श्री भोगीलाल पंड्या—दूसरी पंचवर्षीय योजना जो अप्रेल १६५६ से काम में आने वाली है, उसकी समाप्ति १६६१ तक।

श्री हिम्मतसिंह—जैसलमेर की बोली में बोलिये तब समझेंगे।

प्रश्न संख्या ६६

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित, यह आगे लिया गया है)

श्री कंवरलाल जेलिया—यह सवाल बड़े महत्व का है, इसलिए मैं पूछ लूं।

प्रश्न संख्या ९७

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द जैन।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६८

सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ के इन्डोर पेशेन्ट्स के कमरों का जीर्णोद्धार।

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में कितने मरीजों के रहने की व्यवस्था है ?

(ख) पिछले ६ माह में उक्त डिस्पेन्सरी में इन्डोर पेशेन्ट की औसत कितनी रही है ?

(ग) उक्त डिस्पेन्सरी के मरीजों के कमरों की मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) ११।

(ख) २८। (ग) गतवर्ष में मरम्मत कराई गई थी और इस वर्ष भी कराई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो कमरे हैं, उनमें जाली के किवाड़ नहीं होने की वजह से नये पैदा होने वाले बच्चे को कई बार कुत्ते उठा कर ले गये।

(हंसी)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह की मांग वहां के स्थानीय डाक्टर की ओर से की गई है कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिये जल्दी से वहां जाली के किवाड़ें लगाई जांय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं अभी किशनगढ़ गया था, उस समय आप (श्री चांदमल मेहता) भी मौजूद थे, उस समय किसी ने मांग नहीं की।

श्री चांदमल मेहता—वह मांग की गई, वह किरण हॉस्पिटल की बात थी, यह सीटी डिसपेन्सिरी की है। इस में महिलाओं के प्रसव वगैरह की व्यवस्था थी नहीं। इस तरह की शिकायतें लेडी डाक्टर्स की तरफ से आई हैं कि वहां खिड़कियों के जाली के किवाड़ नहीं होने की वजह से बच्चों को कुत्ते को उठाकर ले गये।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या दरअसल कुत्ते बच्चों को उठा कर ले गये हैं ?

श्री गुप्ता—यह तो आज ही मेरे नोटिस में आई है।

श्री तेजमल बापना—माननीय सदस्य ने कहा है कि बच्चों को कुत्ते उठा कर ले गये हैं

श्री अध्यक्ष—Order ! order !! Next.

प्रश्न संख्या ६६

प्रथम पंचवर्षीय योजना में पोकरण से जैसलमेर तक की सड़क बनने सम्बन्धी योजना

श्री हनवन्तसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या पहली पंचवर्षीय योजना में पोकरण से जैसलमेर जाने वाली जो सड़क बनने को थी वह बन गई है ?

(ख) क्या इस सड़क की हालत पहले से भी खराब हो गई है ?

(ग) क्या कारण है कि यह सड़क अब तक नहीं बनी है और इसके कब तक बनने की उम्मीद है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरी सड़क नहीं बनने की है।

(ख) नई सड़क भी बन गई है, उसकी हालत बहुत अच्छी है और शेष पुरानी सड़क पर अतिवृष्टि से कई जगह हालत खराब हो गई है जिसको ठीक करने का काम हो रहा है।

(ग) यह सड़क जितनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत थी उससे ज्यादा मील बन जाने की आशा है। प्रगति संतोषजनक है।

(घ) हां; योजनानुसार इस सड़क का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक समाप्त हो जावेगा।

श्री हनवन्तसिंह—जो सड़क नहीं बनी है उसके कब तक बनने की संभावना है ?

श्री अध्यक्ष—कहा न, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक।

श्री हनवन्तसिंह—पुरानी सड़क के बारे में आपने फरमाया उसको जाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि वह बहुत खराब है।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—वहां मरम्मत करने की योजना चल रही है, बाकी बन रही है उसकी योजना पूरी हो रही है।

श्री **हनवन्तसिंह**—आपने फरमाया उतना काम नई सड़क पर नहीं हुआ है।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सुना नहीं।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—आप जितना फरमा रहे हैं उससे तो बहुत कम बनी है।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जितनी नियत थी उतनी ही मैंने बताई है।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट, श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

प्रश्न संख्या १००

जयपुर शहर में हरिजन छात्रों के लिये अलग अलग होस्टल्स

श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**—क्या पिछड़ी जाति कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जयपुर शहर में हरिजन छात्रों के लिए सरकार की ओर से एक होस्टल चल रहा है ? यदि हां, तो उसमें अभी कितने छात्र हैं ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार की ओर से एक होस्टल कंजर, सांसी, मीणाओं के लिए भी अलग खोला हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो उसमें किस किस जाति के कौन कौन छात्र, कहां के रह रहे हैं ?

(घ) हरिजनों और विमुक्त जातियों के छात्रों के लिये अलग-अलग होस्टल खोलने की सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** (पिछड़ी जाति कल्याण मंत्री)—(क) हां, उसमें ५० छात्र हैं।

(ख) हां।

(ग) सूची संलग्न है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(घ) बड़ा मकान नहीं मिलने के कारण ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तो बड़ा मकान न होने के कारण अलग होस्टल खोलना पड़ा तो इससे सवर्ण और हरिजनों में मतभेद नहीं बना रहेगा क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार तो चाहती है कि मतभेद नहीं रहे पर दूसरी जाति के लोगों को थोड़ा रहता है और वे चले जाते हैं । थोड़े समय बाद जब यह हालत नहीं रहेगी तो दोनों को मिला दिया जायगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तो सरकार जरूरी नहीं समझती कि ये जो दो छात्रालय हैं उनके छात्रों को साथ रखा जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनकी भी स्थिति वैसी है जैसी कि हरिजनों की और दूसरे बड़े मकान नहीं हैं इसलिये दोनों को शामिल नहीं रखा जा सकता क्योंकि ५०-५० के छात्रालय बहुत जगह खोले हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—कितने इस तरीके से अलग होस्टल चल रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१४ चल रहे हैं । सरकार की ओर से जो हैं उनमें १५ रुपया माहवार प्रति छात्र को सरकार से दिया जाता है और जो दूसरी संस्थाओं की ओर से खोलते हैं उनका ७५ परसेंट संस्थाओं को दिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य—सरकार की ओर से होस्टल्स में सवर्णों को हरिजनों से अलग रखा जाय, इस प्रकार की घातक नीति कब तक चालू रहेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको भ्रम हो रहा है ! सरकार की ओर से कॉलेज के लड़कों को तो होस्टल्स में साथ रखते हैं लेकिन छोटे छोटे लड़के हैं वे साथ नहीं निभ पाते हैं ।

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार हरिजन छात्रों को भविष्य में दूसरे सवर्ण छात्रों के साथ रखेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे ।

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री के प्रश्न पूछने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—सब महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१

सवाई माधोपुर के जच्चाखाने लेडी में डाक्टर की नियुक्ति

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर में जच्चाखाना कब से आरम्भ हुआ और उसमें कितनी डिलीवरियां हुई ?

(ख) सवाई माधोपुर जिले में कहां कहां लेडी डाक्टर नियुक्त हैं व सवाई माधोपुर नगर में कब तक लेडी डाक्टर भेजी जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) ता० १२ मई, १९५५ से सवाई माधोपुर में जच्चाखाना चालू है और उसमें ६८ डिलीवरियां हुई हैं।

(ख) करौली और गंगापुर में लेडी डॉक्टर हैं। सवाई माधोपुर के लिये बजट में कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—कब तक लेडी डॉक्टर सवाई माधोपुर में भिजवा दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिये इन्तजाम किया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—गोयल फेमिलियों में कितनी डिलीवरीज़ हुई हैं ?

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—क्या रावराजा साहब सवाई माधोपुर जाकर डिलीवरी करवायेंगे ?

(विराम)

सवाई माधोपुर में इतनी बड़ी संख्या में पोपुलेशन होते हुए भी केवल एक डाक्टर है और उसे ही तमाम डिलीवरी के केसेज़ को देखना पड़ता है, तो क्या डिलीवरी के केसेज़ को देखने के लिये लेडी डाक्टर को भेजा जाना आवश्यक नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जरूर भेजा जाना चाहिये और इसके लिये इन्तजाम किया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, पहले भी पूछा है पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, अब संतोषजनक उत्तर मिलेगा मैं ऐसी आशा करता हूँ। अभी कहा गया कि सवाई माधोपुर के अस्पताल में ६८ डिलीवरियाँ हो चुकी हैं और वहाँ लेडी डाक्टर नहीं है; तो क्या लेडी डाक्टर के अभाव में मेल डाक्टर बच्चे करवाता है। बहुत से मर्दों के अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स रखी जाती हैं और बहुत से लेडीज़ के अस्पतालों में मर्द डाक्टर रखे जाते हैं; तो क्या सेक्स के भेद को मिटाने के लिये सवाई माधोपुर अस्पताल में मेल डाक्टर से प्रसव कराये जाते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात है कि बहुत से अस्पताल हैं मर्दाने जहाँ लेडी डॉक्टर्स की पोस्ट्स हैं इसलिये वहाँ लेडी डाक्टर्स रखी जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेल डॉक्टर्स के बजाय लेडी डॉक्टर्स रखी जाती हों।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—और जनाने अस्पतालों के बारे में?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जनाने अस्पतालों में मेरी जानकारी में मर्द डाक्टर काम नहीं करते।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर के जनाने अस्पतालों में ४ डाक्टर काम कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बीकानेर तो मैं खुद गया था; मेरे नोटिस में यह बात नहीं आई, अगर ऐसी बात होगी तो जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री तेजमल बापना—भीलवाड़ा में तो अभी तक यही चल रहा है, सब डिलीवरी केसेज़ को मेल डॉक्टर अटेन्ड करता है।

राज श्री हिम्मत सिंह—तो क्या बात है, क्या लेडी डॉक्टर्स मिल नहीं रही हैं क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं हैं। इस साल से इनके लिये सीट्स रिज़र्व कर दी हैं, ५ साल में मिल जायंगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही नहीं है कि लेडीज़ मेल डॉक्टर्स के होने के कारण वहाँ जाने में लज्जा प्रकट करती हैं और जच्चाखाने का फायदा नहीं उठा पातीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह स्त्रियों में स्वाभाविक ही है, हो सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्यों नहीं सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के द्वारा लेडी डॉक्टर शीघ्र वहाँ भिजवाई जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा न कि जल्दी से जल्दी इस बात के लिये प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०२

दरबार विन्डम लाइब्रेरी, जैसलमेर के भवन में कलेक्टर कार्यालय

श्री हनवन्तसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या दरबार विन्डम लाइब्रेरी जैसलमेर की बिल्डिंग को कलेक्टर आफिस में तब्दील कर दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार नया कलेक्टर ऑफिस बनवा कर दरबार विन्डम लाइब्रेरी में पुनः तब्दील करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री हनवन्तसिंह—कब तक विचार हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—मेरे ख्याल से काफी समय लग सकता है क्योंकि अभी तो उसके लिये फंड्स नहीं हैं। अगर आवश्यकता हुई तो वहां कलेक्टरेट की बिल्डिंग बनाई जायगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उस लाइब्रेरी का क्या हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा न कि वहां कलेक्टर का कार्यालय है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कार्यालय बिल्डिंग में रहता है या पुस्तकों में रहेगा ? मैं पछना चाहता हूँ पुस्तकालय का क्या हुआ ?

Page No.23

श्री भोगीलाल पंड्या—चलता है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कलेक्टर के कार्यालय में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अलग कहां ? जो बिल्डिंग थी वहां तो आपने कलेक्टर का कार्यालय बना दिया, तो फिर पुस्तकालय का क्या हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग से पूछिये । वैसे तो वहां किताबें हैं, उनके देने की व्यवस्था है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या लाइब्रेरियन का काम कलेक्टर साहब करते हैं या अलग है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह डिटेल की बात है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लाइब्रेरी कहां चलती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न का उत्तर क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है कि कलेक्टर का कार्यालय लाइब्रेरी की बिल्डिंग में खोला गया है ।

श्री जवानसिंह—अब लाइब्रेरी वहां जैसलमेर में है कि नहीं, यह प्रश्न है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया न कि ऐसी व्यवस्था कर दी जायगी कि लोगों को किताबें मिल सकें ।

श्री खेतसिंह—मान क्या लिया जाए ? हकीकत यह है कि वहां पर कोई लाइब्रेरी है ही नहीं ।

श्री जवानसिंह—अभी जो लाइब्रेरी कम से कम सरकारी कागजों में है और असलियत में नहीं है, सरकार उसको कायम करने की कोशिश करेगी ?

श्री भोगीलाल पंडया—जी हां।

प्रश्न संख्या १०३

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १०४

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १०५

श्री कस्तूरचन्द।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—मेरा भी प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should be in time. If they are so enthusiastic about their question they should not lose any opportunity.

पहले तो आप देर से आते हैं और फिर इतने उतावले हो जाते हैं।

(विराम)

I am revising. श्री भोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल।

प्रश्न संख्या ८८

सवाई माधोपुर पाली सड़क के निर्माण कार्य की पूर्ति

श्री श्रीदास गोयल—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री श्रीदास गोयल]

(क) सवाई माधोपुर पाली सड़क के कब तक निर्माण करने का ठेकेदारों से मुहायदा है ?

(ख) यह सड़क कितने मील लम्बी है तथा कितने मील इन ठेकेदारों द्वारा बनाई जा चुकी है ?

(ग) सरकार जल्दी ही इस काम को पूर्ण करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) सवाई माधोपुर पाली नाम की सड़क इस विभाग द्वारा कोई नहीं बनाई जा रही है ।

(ख), (ग) (घ) उपर्युक्त उत्तर से प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को मालूम है कि इसका ठेका श्रीनारायण ठेकेदार को दे दिया गया था और २०-२५ हजार रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे मालूम नहीं । मैंने जो जवाब दिया वह ठीक है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार आज ही किसी इंजीनियर को मेरे साथ भेज कर जांच करावेगी कि २५ हजार क्यु० फीट मिट्टी पड़ चुकी है...

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने जो बताया यह पाली की सड़क नहीं है, दूसरी सड़क है ।

श्री श्रीदास गोयल—टेन्डर सवाई माधोपुर से पाली के नाम से लिये गये, काम हो रहा है, दूसरे को टेन्डर स्वीकार किया जा चुका है; क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि पाली की कोई सड़क नहीं है । उसका नाम शिवपुरी है । मैंने जो जानकारी थी वह आपको दे दी ।

श्री श्रीदास गोयल—शिवपुरी राजस्थान में नहीं है, वह तो मध्य भारत में है । अगर जैसा आप कह रहे हैं कि पाली नाम की कोई सड़क सवाई माधोपुर से पाली तक नहीं है तो अगर वह सड़क शिवपुरी है तो इंजीनियर साहब को चाहिये था कि इसका जवाब देते । भाषा का फर्क है तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिये था कि जब यह सड़क है तो उसका जवाब देते ।

श्री भोगीलाल पंड्या—भाषा विशेषज्ञ की दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं है । अगर आप इस सम्बन्ध में जानना चाहें तो दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, शिवपुरी मध्य भारत में है। राजस्थान में कैसे उसके टेन्डर हो सकते हैं ? अगर थोड़ी सी अक्लमन्दी से काम लेते और अक्ल का इस्तैमाल करते तो वे इस प्रश्न को इस तरह टालने के लिये लाइटली उत्तर नहीं देते। आपको उन लोगों को ज्यादा जिम्मेदार बनाना चाहिये, इसलिये मेरा यह प्रश्न है कि रिलेवेन्ट प्रश्न का उत्तर देते।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो नई जानकारी आपने दी है उसकी जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री जवानसिंह—पाली के बजाय शिवपुरी का ही जवाब दे दीजिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि जानकारी प्राप्त करके जवाब दे सकता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सड़क तो वही है ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सवाई माधोपर सड़क पाली होकर जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी मेरे पास कोई नक्शा नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या पाली टर्मिनेशन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कोई भी जवाब इस सम्बन्ध में इंजीनियर की तरफ से नहीं आया ?

श्री रामदयाल—क्या दरअसल कोई पाली नाम करके गांव आपकी जानकारी में है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप बराबर पूछ लीजिये, जानकारी करके बतला सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—I want to know one thing; whether tenders were invited for the road from Siwai Madhopur to Pali ? This is the specific question of the Hon'ble Member.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि आप यह जो जानकारी दे रहे हो उसको मालूम करके बता दूंगा।

श्री रामदयाल—क्या टेन्डर इनवाइट करने में कोई गड़बड़ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपके ध्यान में रही होगी। मेरे ध्यान में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके ध्यान में ऐसी बात हो तो बता दें।

श्री श्रीदास गोयल—दुबारा प्रश्न पूछने के लिये कहा गया है। माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रश्न साफ है। इस प्रश्न के मुताबिक आप नेक्स्ट टर्न पर जानकारी प्राप्त करके उत्तर दे दें तो अच्छा होगा ताकि इंजीनियर लोग महसूस करेंगे। वे टेन्डर्स ले लेते हैं और फिर उन टेन्डरों को खत्ते में डाल देते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न का नेक्स्ट टर्न पर जानकारी प्राप्त करके जवाब दे दिया जावे।

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना मेरी जानकारी में था वह मैंने बता दिया। शिवपुरी का टेन्डर था। आप नई जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके उत्तर दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो नेक्स्ट टर्न पर दे दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं जानकारी प्राप्त करके इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री महादेवप्रसाद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६

जयपुर डिविजन में हरिजनों के हितार्थ गत वर्ष कुए बनवाने हेतु स्वीकृत धन राशि

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या दलितवर्ग उत्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष जयपुर डिविज़न में हरिजनों के हितार्थ कुए बनवाने के लिये कितनी धन राशि सरकार की तरफ से स्वीकृत की गई थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि रु० ४०,०००) की रकम जो हरिजनों के कुओं के लिये स्वीकार की गई थी गत वर्ष लेप्स हो गई ?

Page No.28

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(ग) सरकार से उक्त रकम की स्वीकृति उक्त विभाग में कौनसी तारीख को आई और उसका रुपया किस कारण ड्रॉ नहीं किया गया ?

(घ) जिन लोगों ने उस समय कुए खोद लिये किन्तु रुपया न मिलने के कारण वे कुए अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें पूरा कराने एवं उनको सहायता दिये जाने के संबन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ङ) क्या उन्हें सहायता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) नहीं।

(ख) ३६,४६० रु० लेप्स हुए।

(ग) सरकार से उपरोक्त लेप्स हुई रकम की स्वीकृति इस विभाग में २८ मार्च, सन् १९५५ को प्राप्त हुई तथा उसी रोज संबन्धित अधिकारी को रकम ड्रॉ करने के लिये आदेश जारी किये और उन्होंने समय पर रकम ट्रेज़री से लेने के लिए बिल भेजे, परन्तु अकाउन्टेंट जनरल से पे ऑथोरिटी जारी न होने के कारण रकम ड्रॉ नहीं हुई। सरकार के आदेश संख्या डी ४२२२ दिनाँक ३१।३।५५ के अनुसार जयपुर कोष से उसी रोज रकम को ड्रॉ करने के लिये प्रयत्न किया गया परन्तु अकाउन्टेंट जनरल से नियम के अनुसार पे ऑथोरिटी नहीं मिली।

(घ) इस वर्ष के बजट से स्वीकृति देने की कार्यवाही चल रही है।

(ङ) उन्हें सहायता देने में प्राथमिकता दी जायगी।

श्री **हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री**—क्या इस साल रकम बढ़ाई गई है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल भी कुछ रकम की बचत हुई थी और इस साल भी सरकार ने काफी रकम रखी है और इसको समय पर खर्च करने की कोशिश की जा रही है।

(एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

(घंटी)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—सैंक्शन इतनी देर से आने का क्या कारण था? क्या वास्तव में सरकार का ऐसा ही इरादा था कि कागजों में सैंक्शन हो और रुपया न मिले?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर ऐसा होता तो सेन्टर से रीएप्रोप्रिएशन नहीं करते। सरकार ने यह किया कि ६३१६० रुपये में से जितने रु. खर्च कर सकें दिये जावें और उनमें से ३६४६० रूपये बच गये और लेप्स हुए।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—हरिजनों के कई कुए गिर पड़े हैं उनके मरम्मत की बहुत जरूरत है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जब रकम नहीं होती है तभी रीएप्रोप्रिएशन की जाती है। रुपया आने में समय लग जाता है और काफी प्रयत्न करने पर भी कुछ रकम खर्च नहीं हो सकी। इन कुओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—तो क्या यह समझा जाय कि उन कुओं के लिए जो ढह गये हैं रकम इसी साल दे दी जायगी?

श्री भोगीलाल पंड्या मैंने कहा न कि प्राथमिकता दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जगतसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिवेणी श्याम।

(अनुपस्थित)

श्री कस्तूरचन्द।

(अनुपस्थित)

(विराम)

The Question-hour is over. We come to Legislative Business. Shri Ram kishore Vyas.

राजस्थान विष विधेयक, १९५५ (विचारार्थ तथा पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विष विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

अब तक राजस्थान में पोइज़न्स एक्ट कोई है नहीं और उसकी सेल को रेगुलेट करने के लिए कानून की जरूरत महसूस की गई इसलिए यह इण्डियन पोइज़न्स एक्ट की लाइन पर बनाया गया और सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विष विधेयक, १९५५ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो इस सत्र की अन्तिम तिथि तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने आया है उस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बिल्कुल साफ बात लिखी है :

"The Bill does not itself impose any restrictions, but empowers the State Government to regulate the possession and sale of poison."

इस बिल को देखने से वही बात है कि इस बिल में पोइज़न के सम्बन्ध में, बिक्री करने या और किसी व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई खास धारायें हों, ऐसी बात नहीं है बल्कि इस बिल में व्यवस्था यह रखी गई है कि सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है इस विधान सभा के द्वारा। जहां तक मैं समझता हूं, विधान सभा में यह एक पहला बिल है जिसमें सरकार अपनी ओर से निश्चित धारायें बना कर और उनको बिल के रूप में न रख करके अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है और जो अधिकार लेना चाहती है बिल के सम्बन्ध में यानि पोइज़न के सम्बन्ध में उसके साथ में यह भी कहना पड़ेगा कि हम लोग इस बारे में भी अन्धकार में हैं कि पोइज़न किसको समझा जाय। जहां तक कि पोइज़न के बारे में इसमें धारा दी है उसमें भी यह स्पष्टीकरण नहीं करके कि पोइज़न किसको मानेंगे सिर्फ यह दिया गया है कि "Any substance specified as a poison in a rule made or notification issued under this Act shall be deemed to be a poison for the purposes of this Act."

तो सरकार हमारे से उस विधेयक के सम्बन्ध में या उस चीज के बारे में कि जिसकी व्याख्या रखने आदि के बारे में कोई कानून बनाने जा रही है यह स्पष्ट बात नहीं कहने जा रही है कि वह किसके ऊपर लागू होगा। जो एक इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं उसके लिए सरकार चाहती है कि सरकार नोटिफिकेशन के जरिये या और किसी जरिये चाहेगी जैसा कर देगी, उसको पोइज़न मान लेगी।

[श्री चांदमल मेहता]

उसके आगे हम चलते हैं तो इस बिल में शायद माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि यह व्यवस्था की गई है कि आगामी विधान सभा जब आवेगी तो उसके सामने रूल्स रख दिये जावेंगे और रूल्स की स्वीकृति करा ली जायगी। और इसमें यह लिखा है कि रूल्स किस आधार पर होंगे; तो उसके लिए गजट में नोटिफिकेशन निकलेगा। इस मामले को काफी इस ढंग से बनाया गया है कि जिससे न तो सरकार का ही परपज पूरा होता है कि इस कानून को जल्दी लागू करना है और जहां दूसरी ओर विधान सभा के सदस्यों से इस तरह की स्वीकृति ली जाती है, जैसे किसी के ब्लेन्क चैक पर दस्तखत कराने की बात हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह एक्ट लागू हो जायगा। राजपत्र में लागू करने से.तो जो इसके साथ में चीजे है वे भी लागू हो जावेंगी। लेकिन जब तक आप यह डिफाइन नहीं करेंगे कि पोइजन क्या है, जब तक दूसरे रूल्स न बनें तब तक राजपत्र में प्रकाशित होना कोई माने नहीं रखता है और लागू होना भी कोई माने नहीं रखता है। अगर यह कहा जाय कि रूल्स पहले बनेंगे तो मैं कहूँगा कि जब तक एक्ट प्रकाशित नहीं हो जायगा तब तक रूल्स कोई माने नहीं रखते। पहले एक्ट प्रकाशित होगा और फिर रूल्स बनेंगे और जिस आधार पर होंगे वह स्टेट गजट में प्रकाशित होंगे। तो यह एक बेकार बात हो जाती है कि गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ही यह लागू होगा।

उसके आगे एक धारा दी गई है, जो धारा २ है जिसमें इन्टरप्रिटेशन के बारे में कहा गया है कि:

"The General Clauses Act, 1897, applies to the interpretation of this Act as it applies to the interpretation of an Act of Parliament."

मैं सोचता हूं कि यह भी बिल्कुल अनावश्यक है। हमने जनरल क्लाज़ेज़ एक्ट पास कर दिया और उसके बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि विधानसभा के सामने जो भी बिल आवे वह मुकम्मिल आना चाहिये और विधान सभा के सदस्यों को मौका मिलना चाहिए कि वे प्रत्येक धारा पर बहस कर सकें, अपने विचार जाहिर कर सकें। इस प्रकार को परम्परा डालना कि सरकार फिर रूल्स बना देगी और उन पर विधान सभा की स्वीकृति ले लेगी, मैं उसको उचित नहीं मानता और इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति सारी बातों पर विचार करके मुकम्मिल तरीके से बिल पेश करेगी और उसके बाद उस पर विधान सभा में विचार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विष विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन में दो प्रकार के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है कि इसको इसी वक्त विचारार्थ लिया जाकर पारित किया जाय। दूसरा प्रस्ताव परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है और सदन से मांग की है कि इस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपर्द किया जाय। मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को इसी समय विचार करके पारित करने से न कोई लाभ होगा और न इसको किसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देने से भी विशेष लाभ होगा। यदि वास्तव में हमें विष, जो आज कल हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना है, उनको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, यदि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हम जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, जिन लोगों की रक्षा के लिए ऐसे कानून का निर्माण कर रहे हैं उनकी राय लेनी होगी। इस बिल के उद्देश्य में, स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है :

"The Bill seeks to provide a uniform law relating to poisons, on the lines of the Indian Poisons Act, 1919. The Bill does not it self impose any restrictions, but empowers the State Government to regulate the possession and sale of poisons."

मेरे से पूर्व वक्ता ने जैसा अभी बताया कि यह बिल अभी तक बिल्कुल अधूरा है, सरकार की ओर से भी यह व्याख्या नहीं हुई है कि कौन २ सी ऐसी जगह हैं इसको बेचने के लिए, रखने के लिए, किसको दिया जाय और कितनी मात्रा में दिया जाय, किस कीमत से दिया जाय; इन सारी बातों के लिए नियम निर्धारित करेंगे। हम किसी चीज के नियम बनावें लेकिन नियम बनाने से पूर्व यह सोचना होगा कि जिस चीज के लिए नियम बना रहे हैं, वह चीज है क्या ? उसका गांवों में क्या असर हो सकता है, उनको खुली छुट्टी रहने से उनके नैतिक जीवन पर, जानवरों के जीवन पर कितना असर पड़ सकता है।

इस बात की हमें जानकारी कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही देदे, यह चीज काफी नहीं होगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स तो केवल उन विषों की जानकारी दे सकते हैं जो कि दवाइयों के काम में आते हैं, जो लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये दिये जाते हैं और इतनी मात्रा में दिये जाते हैं जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो सके। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वे केवल उन्हीं जहरों के लिये अपनी राय दे सकते हैं जिनकी उनको जानकारी होगी; उससे आप यह कह देंगे कि हमें हमारे राजस्थान के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह लिस्ट दी है इसलिये केवल ये ही जहर हैं और जिनके ये सारे के सारे नाम हैं। लेकिन मेरी राय में मेडिकल प्रेक्टिशनर्स की राय के आधार पर हम जिन चीजों को विष मान कर चलते हैं और उनके उपयोग पर पाबन्दी या सदुपयोग या दुरुपयोग को रेगुलर करना चाहते हैं तो हमें इनकी राय के साथ ही उन जहरों पर प्रतिबन्ध लगा देना ठीक नहीं होगा। आज-कल गांवों में भी इस प्रकार के जहर हैं जिनसे पशु और आदमी भी मर जाते हैं। इसकी सही जानकारी उसी वक्त हमें

[श्री भैंरूसिंह]

प्राप्त हो सकती है जब कि हम इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट करें ताकि हमें यह पता लग सके कि गांवों में देहातों में किस किस प्रकार का जहर है जिनको रेगुलर या उन पर पाबन्दी नहीं लगाने से हमें जानवरों और मवेशियों को नुकसान होता है। इसलिये इस बिल के पास करने से पूर्व हमें यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जहर कई प्रकार से दिया जाता है, एक तो पेट में डालकर दिया जाता है जिससे शारीरिक जितने भी तन्तु हैं वे नष्ट हो जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन इस जहर के अलावा आज-कल मानसिक जहर भी पैदा हो गया है जो आजकल मानसिक जहर बन गया है उसको भी हमें सर्च आउट करना होगा। आजकल हम देखते हैं कि कई आदमी हार्ट फेल से मर जाते हैं, तो यह हार्ट फेल किस कारण से होता है। इन सब बातों की तलाश करके हमें उनकी सूची बनानी पड़ेगी। अभी कुछ सालों पहले राजस्थान में सरविसेज इन्ट्रीगेशन के समय सचिवालय का एक सुपरिन्टेन्डेन्ट उसके साथ हुए अन्याय के कारण हार्ट फेल होकर मर गया। यह भी एक प्रकार का जहर है। इस तरह से जहर की परिभाषा सीमित नहीं है जो केवल मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकें; जो केवल इतना ही बता सकते हैं, कि इस चीज को उचित मात्रामें नहीं लिया तो यह जहर हो जावेगा। इसी तरह अन्य चीजें भी उचित मात्रा में नहीं ली गई तो वे जहर बन जाती हैं। आजकल एक नये विष का प्रयोग होने लग गया है। आजकल जो गांवों में जहर फैला हुआ है। उस जहर को तलाश करने के लिये हमें आवश्यक है कि इसे जनता की राय के लिये सरकुलेट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—They are political poisons which should not be……

श्री भैंरूसिंह—मैं समझता हूँ पोलिटिकल पोइज़न्स तो चलते ही रहेंगे…

श्री अध्यक्ष—It frightens to mention all the poisons here.

श्री भैरोंसिंह- इन पोइज़न्स को जानना नहीं चाहता। गाँवों में जो जहर फैला हुआ है, जो रोज आये दिन हमें नज़र आता है उन जहरों को हम इसमें इन्क्लूड करदें तो बहुत अच्छा होगा।

गांव में कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं, गांवों में कई जगह पानी ऐसा होता है जैसे डीडवाना और नागौर डिस्ट्रिक्टमें, जिस पानीको बिराणा पानीको कहते हैं; वह ऐसा पानी है जिसको पीने से पशु मर जाते हैं; तो यह भी एक प्रकार का जहर है जो ज्यादा मात्रा में पीले तो पशु मर जाते हैं। इस संबन्ध में डीडवाना और नागौर से आने वाले प्रतिनिधि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये हमें ऐसे पानी पर जिन कुओं में ऐसा पानी है उन पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस जहर के कानून को यदि एक दो माह बाद भी पास किया जाता है तो कोई अनर्थ होने वाला नहीं है। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि ऐसे कौन कौन से जहर हैं जो जनता के ध्यान में हैं तो उन जहरों की हमारे पास पूरी सूची हो, इसके लिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इसे जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय और जनता की राय आने के बाद ही इसे पास किया जाय।

Page No.34

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष—जहर पर भी बोलना आपका लाजमी होगा क्या ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(जारी) इसलिये लाजमी हो गया कि मेरे ख्याल में कुछ गलत फहमी हो गई है, अनजाने में गलतफहमी हो गई प्रतीत होती है। यह बिल प्रोफोर्मा के रूप में सदन के सामने आया है। जो हमारा केन्द्रीय सरकार का एक्ट है उसी के आधार पर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया, जहां तक देख सका हूँ, यह तो है सिर्फ टू रेगुलेट दी पजेशन एन्ड सेल ऑफ पोइजन्स। जो जहर दवाइयों में इस्तैमाल में आते हैं इससे पोलिटीकल जहर का कतई वास्ता नहीं जैसा मेरे माननीय मित्र ने व्याख्यान दिया, जिनमें से एक ने तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने को कहा और दूसरे मेरे मित्र ने यह कहा कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट किया जाय; उसके साथ साथ उन्होंने एक पोलिटिकल पोइज़न का भी जिक्र किया...

श्री भैरूसिंह—पोलिटिकल पोइज़न गांवों में है, यह बिल्कुल सही मानकर चलें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उसके लिये बन्दोबस्त करना भी चाहिये। जैसा कि हमारे सामने दवाइयों के इस्तैमाल के लिये और किसी काम के लिये जहर की जरूरत होती है, जो लोग सिर्फ बिक्री के लिये रखते हैं या बेचा करते हैं उनको जब तक रेगुलेट नहीं किया जायगा तो उससे अनजान आदमियों का नुकसान होने वाला है। इसलिये मैं इनको न तो प्रवर समिति में भेजा जाना आवश्यक मानता हूं और न पब्लिक ओपीनियन के लिये ही सर्कुलेट करना आवश्यक मानता हूं। यह एक ऐसा बिल है जिसको सदन के जरिये पास होना चाहिये। ऐसे मामले जिसमें जनता की हिफाजत हो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन इसको पास करे। इसके सम्बन्ध में जो भी रूल्स रेगुलेशन्स बनेंगे वे उसी आधार पर बनेंगे। इस चीज को जो नहीं समझते उनको इससे नुकसान हो सकता है। जहर जो विषैली चीज है अगर इसके इस्तैमाल में, इसकी बिक्री में सावधानी नहीं रखेंगे तो अनजाने आदमियों को नुकसान हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सदन इसको पास करे, यह ठीक है। न इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय और न इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये ही सर्कुलेट किया जाय।

श्री श्रीराम गोयल—माननीय अध्यक्ष, मुझे केवल यही निवेदन करना है कि जिन माननीय सदस्य ने इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये और एक दूसरे माननीय सदस्य ने पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने का जो प्रस्ताव रखा है इस प्रकार दो प्रकार की बातें कही गई हैं। इसको प्रस्तुत करने में जो परम्परायें डिले करने की होती हैं वही इन लोगों ने निभाई हैं; यही इस प्रकार के प्रस्ताव पेश करने का कारण है। जैसा कि अपोजिशन के लीडर ने फरमाया कि यह बिल बहुत आवश्यक है, इसको अति से अति शीघ्र पास किया जावे ताकि ऐसे केसेज जो गलत तरीके से पोइजन को इस्तैमाल करते हैं या जो लेबल्स ठीक तरह से नहीं रखे

[श्री श्रीदास गोयल]

जैसा कि आम केसेज़ में देखने को मिलता है। जैसे देशी वैद्य जो अंग्रेजी दवाइयों से परिचित नहीं हैं वे भी उन विषों का प्रयोग करते हैं। जो अंग्रेजी दवाइयोंमें मिला हुआ रहता है, जो मरीजों को दे देते हैं और उससे उनको नुकसान होता है। इसलिये ऐसी बातों को रोकने के लिये इस प्रकार के बिल का स्वागत करना चाहिये। स्वागत के बजाय डिले करने का प्रयत्न करना जिम्मेदारी को नहीं निभाना है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि जैसा कि यह बिल है उसे उसी रूप में पास किया जाय। अगर आप सेक्शन पांच के सब-सेक्शन (३) को देखें तो शायद इतना कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके अन्तर्गत जो कुछ भी रूल्स बनेंगे वे सब रूल्स लेजिस्लेचर के सामने आयेंगे, उनको हम मोडिफाइ कर सकते हैं और उसी के बाद में यह एप्लाई किया जायगा। इसलिये जो कुछ बातें हैं इनमें वे प्रिलमिनरी स्टेज की हैं इसको विदिन फाइव या टेन मिनिट्स में पास कर देना चाहिये था। जो कुछ भारतीय एक्ट है उसी के आधार पर यह तैयार किया गया है। कोई कारण नहीं कि इसे प्रवर समिति या पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। दुबारा निवेदन करता हूं कि इसको फौरन पास किया जावे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक बहुत साधारण और इन्नोसेन्ट बिल था, जिस पर इतनी बहस की जरूरत नहीं थी। इस सम्बन्ध में दो सुझाव आये; एक तो इस बिल को प्रवर समिति को सुपर्द किया जाय और दूसरा इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। मैं निवेदन करूं कि प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है, उसके लिये जो दलीलें दी गई वेह उपयुक्त नहीं हैं। दूसरे प्रस्ताव पर मेरा इतना ही निवेदन है कि यह बिल पोइज़न्स बिक्री को रेगुलर करने के लिये है, उसको किस तरह से नियमित किया जाय यह इस बिल में है और कोई डिटेल्ड बातें नहीं हैं। इसके लिये अलगसे प्रोवीज़नहै। जिसके अन्तर्गत गवर्नमेन्ट रूल्स बनायेगी उन रूल्स को पब्लिश किया जायगा और वह लेजिस्लेचर के सामने रखा जायगा। उसमें आप किसी प्रकार मोडिफिकेशन करना चाहेंगे तो वह भी हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं जिससे प्रवर समिति में भेजा जाय या पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय, इसलिये मेरा हाउस से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी एडोप्ट करें। अब जिस पैटर्न में बनाया गया है वह इन्डियन एक्ट था, उसी के आधार पर उसीपैटर्न में बनाया गया है। नये आधार पर नहीं बनाया है। असल में होता यह है कि सेल्स को रेगुलराइज़ करने के लिए बनाया जाता है, इसलिये इसमें किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिये कि सरकार इसका कोई दुरुपयोग करना चाहती है। इसमें फिर लिखा है कि रूल बनाने के बाद यह लेजिस्लेशन में आवेंगे और तब रूल्स में भी तरमीम करना आपके अधिकार में है। वे रूल्स जल्दी से जल्दी आवें इस प्रयत्न में हम हैं।

अब जो पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित करने की बात है तो, यह तो एक प्रिन्सिपल का सवाल है। इसका नियम बनाना चाहिये या नहीं, जिस वक्त आप इस सिद्धान्त को मान लेते हैं वहां फिर ओपीनियन के लिए भेजने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। हां, यह जरूर है

[श्री रामकिशोर व्यास]

कि इसका सम्बन्ध जो है वह उन्हीं से रहेगा जो कि फिजिकल पोइज़न है। मेन्टल पोइज़न से इसका सम्बन्ध नहीं है। उस मेन्टल पोइज़न का इलाज इस एक्ट से क्या होगा, उसका तो इलाज मेन्टल होस्पिटल में होगा। (हंसी) उस पर इससे असर होने वाला नहीं है। आप बेफिक्र रहें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जावे।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी ओर से जो बातें उठाई थीं उनका निपटारा माननीय मन्त्री महोदय ने चन्द शब्दों में ही कर दिया। मैंने जो मुद्दे उठाये उनका तो जवाब ही नहीं दिया गया और पार्लियामेन्ट का अनुकरण हमें करते ही रहना चाहिये, हम उसमें कोई अलग रास्ता फिर वह उचित ही क्यों न हो, नहीं निकाल सकते। यह मान्यता रखकर अपने संशोधन को वापिस लेने की मैं सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूसिंह को) कुछ कहेंगे आप ?

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी ने केवल यह उत्तर दिया कि इस कानून का स्कोप केवल फिज़िकल पोइज़न से है। यदि मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह होता कि यह प्रोवीज़न मेन्टल पोइज़न का भी है इसलिए इसकी जानकारी की जावे तो इसकी संभावना भी किस तरह से हुई, यह मान लेता पर मैंने यह कहा था कि गांवोंमें मैडिकल परपजेज़ के लिये काम में लेने वाली जड़ी बूटियां, जमीकन्द वगैरह इस प्रकार की कई चीजें हैं जिनके कारण शारीरिक तौर पर भी नुकसान होता है और उन चीजों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें गांव वालों को मौका देना चाहिये कि हम इस प्रकार की इतला भेजें और जनता के स्वास्थ्य के हित की दृष्टि से इनको भी रेगुलेट करना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास—मैडिकल पर्पज़ेज़ के लिए जितने विष हैं वे सभी इसमें फिर सम्मिलित हो जाते हैं, वे फिर चाहे गाँव के हों या शहर के हों।

श्री भैरोंसिंह- मेरा मतलब शायद आप अब भी नहीं समझे। वह किसी सूची में सम्मलित नहीं है।

श्री अध्यक्ष- आप कह चुके हैं न अपने पोइन्ट को तो।

श्री भैरोंसिंह- दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि रूल बनाकर सदन में लाना चाहते हैं तो फिर ये रूल और यह एक्ट दोनों ही एक साथ क्यों नहीं रखते ?

श्री अध्यक्ष- आप एक्ट क्या, रूल्स बनावेंगे ?

श्री भैरो सिंह—मेरा निवेदन यह है कि एक्ट पर हम अभी विचार करें और रूल्स पर फिर करें तो दोनों ही एक साथ बनकर आ जावें तो सब पर विस्तृत रूप से विचार कर लें। नहीं तो फिर दो बार परिश्रम करना पड़ेगा। एक तो अभी कर रहे हैं और एक बार फिर करना पड़ेगा जब कि रूल्स आवेंगे। तो रूल्स वगैरह पर विचार करके एक कन्सोलिडेटेड एक्ट ही पास करवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा और अन्त में चूंकि मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है मैं इस बिल पर अपने संशोधन के लिए प्रेस करूंगा कि यह जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता ने अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाही है। क्या सदन की राय है कि उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूसिंह ने रक्खा है कि इस राजस्थान विष विधेयक, सन् १९५५ को सर्व साधारण की राय जानने के लिए प्रसारित किया जावे, इसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रस्ताव यह है कि राजस्थान विष विधेयक बिल, सन् १९५५ को विचारार्थ लिया जावे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिल को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

No amendment

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसे पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान विष विधेयक बिल, सन् १९५५ पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

कु० श्री जसवन्तसिंह—The Hon'ble Revenue Minister is not present.

श्री दामोदरलाल व्यास—(अपने आसन पर आसीन होने के पश्चात) -Although I was there,..........

श्री रामकिशोर व्यास- कोई बहाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—81 or 105 ?

श्री दामोदरलाल व्यास—81 and 105 both have been deferred. So they may be taken.

श्री अध्यक्ष—आप जवाब दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह अर्ज करना है कि क्लाज़ ८१ पर दो अमेन्डमेन्ट्स पेश किये गये हैं, पर लास्ट टाइम मैंने सेक्शन ७४ पर अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहा था और उस वक्त आपने फरमाया था कि बाद में पेश कर दिया जावे। मैं अर्ज करूंगा कि क्लाज़ ७४ वाला अमेन्डमेन्ट पेश करने की मुझे इजाज़त दी जावे क्योंकि सेक्शन ८१ का अमेन्डमेन्ट यहां ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज़ नही होगा। जो अमेन्डमेन्ट हम करें प्रोपर सेक्शन और प्रोपर जगह पर करें तो ज्यादा ठीक होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि क्लाज़ ७४ का अमेन्डमेन्ट पेश करने की इजाज़त दे दी जावे; क्लॉज़८१ का अमेन्डमेन्ट जैसा है वैसा ही दफा ७४ का अमेन्डमेन्ट है। उसे ठीक जगह पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।

एक माननीय सदस्य—७४ को तो पास कर चुके हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—उस वक्त पेश करना चाहा था तो आपने (श्री अध्यक्ष ने) फरमाया था कि इसे सर्कुलेट कर दिया जावे और बाद में ही पेश किया जावे। क्लॉज़ ८१ का जो अमेन्डमेन्ट है it is already there, this is the only amendment which I want to insert to clause 74 which is already passed by the Assembly. It is as follows:—

[श्री दामोदरलाल व्यास]

"Insert the following new sub-clause :

'An order under section (1) awarding costs to a party other than the State Government shall be executable as if it were a decree for money passed by a revenue court' "

And this is exactly the same amendment which I propose in 81 which has deen circulated to the Hon'ble members, the proper place for this amendment will be 74 as clause., 74 will be more suited. ले लें इस अमेंडमेंट को।

श्री अध्यक्ष- यह सैक्शन नहीं हुई। क्लॉज़ ८१ के डिवीजन को स्वीकार किया है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास- कम्पेन्सेशन के बारे में ७४ का था। ७४ चूंकि पास हो चुका इसलिए कन्सेन्ट के बारे में ८१ में अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं और साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि 81 is not the proper Clause but 74 is the proper Clause, which has already been passed by the House. So if the House so desires, this amendment may be inserted to in clause 75. This is my Submission.

श्री भैरूसिंह-थर्ड रीडिंग में लिया जावे इसको, वहां आ जावेगा। इस वक्त तो चूंकि इसको एक बार पास कर चुके हैं इसलिए इस वक्त न लेकर थर्ड रीडिंग में लेना ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष-अगर लिया जावे तो अभी ले लिया जावे। अगर सैद्धान्तिक विरोध न हो तो और अगर सर्कुलेट करना चाहें तो पहले सर्कुलेट कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास-सर्कुलेट हो चुका है। इसे ८१ या ७४ में इन्सर्ट किया जावे, पर जहां ठीक जगह हो वहीं इन्सर्ट किया जाना चाहिये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह जगह ठीक है और यहीं इसको इन्सर्ट किया जाना चाहिये और इसीलिये आपकी इजाजत चाहता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—जिस रूप में यह संशोधन आया है उस हिसाब से ७४ में ही यह ठीक लगता है। पर जिस रूप में ८१ है उसको वैसा ही रहने दिया जावे तो भी मैं समझता हूँ कि काम चल जावेगा। जिस रूप में ८१ है इस वक्त इसको ऐसा ही रहने दें और कोई अमेन्डमेन्ट पेश न करें। कोरट के मुतल्लिक तो मैं समझता हूँ कि काम ठीक हो जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—८१ में ?

श्री वेदपाल त्यागी- जी हां। इसलिए क्लॉज़ ७४ एडोप्ट कर चुके हैं, इसके अमेन्डमेन्ट की भी नौबत नहीं आवेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—लास्ट टाइम जो डिस्कशन क्लॉज ८१ पर हुआ था उसको माननीय सदस्य भूल गये हैं.कि एतराज कुछ माननीय सदस्यों ने किया था कि इस क्लॉज़ में Costs को लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर वसूल न किया जावे। क्लॉज़ इस प्रकार है

"All fees, fines, costs and other moneys, ordered to be paid or recoverable under this Act shall be recoverable as if they were arrears of land revenue." Their objection is with regard to the word 'costs'. यह एतराज था कि कोस्ट लेन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल की जायगी।

I submit, Sir, and that I quite agree that Costs between parties should not be realised as arrears of land revenue.Therefore, I wanted to bring an amendment to clause 74. As a matter of fact in view of clause 74...there is another clause 293 regarding fees, fines etc. Therefore, this clause 81 will be redundant in view of clause 293, but we have to make provision for the realisation of costs. When a cost is awarded to a party, for that purpose we have to make a provision for realisation thereof. Therefore, I now suggest an amendment to clause 74, which if not allowed there, will of course have to be got inserted in clause 81, which in fact will not be a proper place, but the provision must be there.

श्री वेदपाल त्यागी—प्रोपर प्लेस तो नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—This is what I said. But I have not been able to understand the objection of the Hon'ble Member. He agrees that the proper place would be 74. He agrees that a provision is necessary. It may be inserted either in 74 or 81. It makes little difference.

श्री अध्यक्ष—उसको डेफर कर दें। एमेन्डमेंट जिस फोर्म में आप चाहते हैं क्लाज़ ७४ में वह दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—The form is there.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—थर्ड रीडिंग में आयेगा।

We are going through the second stage.

श्री अध्यक्ष—An amendment will not be possible in the third reading. After completing all the clauses, after consideration of all the clauses, we can take that.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस प्रकार से विचार करने में आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—And in the meanwhile, we circulate another amendment to 74 also and 105.

श्री दामोदर लाल व्यास—अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि सर्क्यूलेट वह क्लॉज़ ८१ के एमेंडमेंट के रूप में हुआ है; वह आलरेडी हो चुका है ।

It is the same amendment which I wanted to insert in clause 74.

श्री वेदपाल त्यागी—But the amendment is to clause 74; whereas the amendment as circulated was to clause 81.

श्री दामोदरलाल व्यास—This is only a formality. That is why I seek permission of the Chair.

श्री अध्यक्ष—If the House is of the opinion that clause 74 should be amended I have no objection.

श्री भैरोंसिंह—इस समय नहीं लिया जाय, यह गलत परम्परा होगी अगर लिया जायगा तो ।

श्री दामोदरलाल व्यास—I do not think, Sir. If you do not allow it, I am not keen about it. If the House so desires that it should not be taken.........

श्री अध्यक्ष—It is a question of form. That is all.

श्री दामोदरलाल व्यास—Otherwise I cannot understand what is the basis of the objection. The Hon'ble Members agree that this provision is necessary and that it must be inserted at the proper place. Let me move my amendment.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I want to say that there cannot be any serious objection. The objection is regarding the form, Whatever we have to do, we should do in a proper form. In order that it should assume proper form, we will have to give it some form.

श्री दामोदरलाल व्यास—The form is there.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—As suggested by the Hon'ble Speaker, after we have passed and gone through all the clauses, we may take this also. If we pass it at this moment, here and now, it is against rules.

श्री दामोदरलाल व्यास—Perhaps that may not be possible, because in the Tenancy Bill, during the third reading, I remember, certain amendments which we wanted to move, were not allowed; I think they were not permitted there. So to defer it for the third reading will not be possible.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am not saying 'third reading'.

श्री अध्यक्ष—Perhaps the Hon'ble Minister will not go back to the Tenancy Bill. There are so many things which happened then and I am afraid I am not in a position to disclose them before the House. If the Hon'ble Members are not agreeable that the amendment should be taken now, but at some other time, other than to-day, the Hon'ble Minister should not insist to get it here and now.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—He must properly send an amendment to clause 74 and then it can be considered.

श्री अध्यक्ष—Alternatively he has sent his amendment to clause 81. It is his choice whether to bring it to clause 81 or to 74.

श्री दामोदरलाल व्यास—I have sent both the amendments.

श्री अध्यक्ष—What about 105? Same fate ?

श्री दामोदरलाल व्यास—No, I am ready for it,

श्री अध्यक्ष—That is also regarding 'costs'.

श्री दामोदरलाल व्यास—No, Sir, that is relating to Abadi lands, and there are certain amendments which I want to move to this clause.

श्री अध्यक्ष—New Amendments? Fresh?

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes. Circulated to the House. 105. Should I move the amendments ?

श्री अध्यक्ष—Amendment to be moved by Shri Jawan Singh and Shri Triveni Shyam.

105.......yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—I want to know whether the amendments of Shri Triveni Shyam were adopted in this Bill or not.

श्री अध्यक्ष—No decision was taken. He only moved the amendments.

Page No.43

श्री दामोदरलाल व्यास—Then, I think, he had moved the amendments, both of them.

श्री अध्यक्ष—Yes. That is all.

Snri Jawan Singh and Shri Triveni Shyam.

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १०५ के बाद में उपखण्ड (५) (६) और (७) जोड़ने के लिये श्री त्रिवेणी श्याम ने जो एमेन्डमेंट अब किया है, उसके बाद में एक सब क्लॉज़ और एड करना चाहता हूँ।

अलावा इसके क्लॉज़ १०५ के सब क्लॉज़ (२) में मेरा एक छोटा सा एमेन्डमेंट है। "No person shall occupy any land in the 'abadi' area of a village with first ..." उसके बाद में जो वर्ड्स हैं :

"Obtaining permission of the Tehsildar and" ये वर्ड्स डिलीट कराना चाहता हूँ। वजह इसकी साफ है कि आबादी लेन्ड सरकार ने पंचायतों और लोकल बॉडीज़ को ट्रान्सफर कर दी हैं। ऐसी सूरत में आबादी लेन्ड को ओक्युपाई करने के लिए उन जगहोंमें पर्मिशन की जरुरत पड़ेगी उन लोकल बोडीज की। इसलिए यह प्रोवीजन जो कि मेंडेटरी हैं कि तहसीलदार की इजाजत के बगैर आकुपाई नहीं कर सकता है इसको डिलीट कराना चाहता हूँ।

अतएव मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है:

"In sub-clause (2), the word obtaining the permission of the Tehsildar" should be deleted.

दूसरा एमेन्डमेंट इसी क्लॉज़ को " Sub-clause (7) is sought to be inserted by the amendment circulatd " सब क्लॉज़ (७) में जिनको श्री त्रिवेणी श्यामजी ने पेश किया है उसके नीचे एक प्रोविजो जोड़ना चाहता हूँ :

After sub-clause (5) Subclauses (6) and (7) have been moved by shri Triveni Shyam and now they will be put to vote of the House. I want to add a proviso. I accept your decision and move the provisos.

"Provided that (i) the powers exercisable by Thesildar under sub-sections (1), (2), (3), and (4) of section 101 shall be exercised by him, in the case of any land in the abadi of a village or town or any land set apart for free pasturage of cattle or for development of abadi or for any other public

[श्री दामोदरलाल व्यास]

or municipal purpose, which has been placed at the disposal of a local authority under sub-section (2) of section 102 or otherwise, upon application made to him by such local authority."

इसमें बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि सेक्शन १०१ खण्ड १०२ के अन्दर जो पोजीशन है कि आबादी लेन्ड के नाजायज कब्जा करने पर क्या पेनाल्टी इम्पोज की जायगी, कितनी प्रीमियम लगाई जायगी, एसेसमेंट क्या लगाया जायगा, यह सब प्रेस्काइब किया गया है खण्ड १०२में ! तो जो आबादी की जमीन पंचायतों और लोक बोडीज् को ट्रान्सफर कर दी है उसके लिए तहसीलदार एक्शन किस तहत ले लेगा, यह उसमें प्रोवाइड किया गया है ।

The local body for that purpose will apply to the Tehsildar क्योंकि जहां तक पेनल्टी इम्पोज् करने का सवाल है या प्रीमियम एसेस करने का सवाल है यहां इस प्रोविजो के जरिये मैं चाहता हूं कि इस तरह अगर किसी ने इल्लिगली आबादी लैंड पर कब्जा कर रखा है तो उसे डिस्पजेस करने के लिये और उस पर पेनल्टी इम्पोज् करने के लिये व प्रीमियम वसूल करने के लिये तहसीलदार को एप्लीकेशन दें and on their application the Tehsildar will take proceedings under sub-clauses (1), (2), (3) and (4) of clause 101,

इसी प्रकार सेकन्ड इस तरह से हैं :

"(11) the assessment and penalty Imposed under these sub-sections upon the trespasser shall be credited to the fund of such local authority"

जो पेनाल्टी एसेसमेंट उस जमीन का होगा तहसीलदार इम्पोज् करेगा : but he will realise it and credit the same to the funds of the local authority.

क्योंकि आबादी लैंड पंचायतों का ट्रान्सफर कर दी गई हैं तो : it is but proper that the penalty and the assessment should also to the funds of the local authority. The third prsviso is :

"(iii) the powers exercisable by a Tehsildar under sub-section (5) of section 101 shall be exercised in case of any such land placed at the disposal of a local authority as aforesaid by such local authority itself without the approval of any officer,'

क्लॉज़ १०१ की सबसेक्शन ५ में प्रोविजन है कि अगर ट्रेसपासर से तहसीलदार समझे कि प्रीमियम वसूल करना चाहिये तो वह कलेक्टर की एप्रूवल से वसूल कर लेगा । लेकिन पंचायतों को यह अधिकार दे दिया है कि इन्हें किसी की एप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं । तहसीलदार को पॉवर दी गई है वह अधिकार इस प्रकार है. "With the approval of Callector these powers have been conferred upon and will be exercised by the local authorlty."

और तहसीलदार को कलेक्टर की एप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन लोकल बॉडीज़ को किसी की एप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी । जो माननीय सदस्यों ने महसूस किया, वह इन्सर्ट कर दिया है । जो

[श्री दामोदरलाल व्यास]

लोकल बॉडीज़ को गवर्नमेंट द्वारा एग्जीक्युटिव ऑर्डर के जरिये आबादी की लैंड ट्रान्सफर की गई हैं, तो उनकी सुविधा के लिये और उनको रेवेन्यू मिले इसके लिये आबादी लैंड का प्रीमियम वसूल करने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं माननीय मंत्रीमहोदय से जानना चाहूँगा कि क्या यह सही नहीं है कि पंचायतों को आबादी लेंड की बिक्री करनेका, उन पर अगर कोई इल्लीगली पज़ेशन कर ले तो उन्हें डिस्पजेस करने का, पेनल्टी वसूल करने का, प्रीमियम असेस करने का अधिकार पंचायत एक्ट में है। अगर यह अधिकार है तो फिर तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही कराने की क्या आवश्यकता है ? क्या पंचायतों को अधिकार नहीं है ? इस वक्त पंचायत एक्ट मेरे पास नहीं है, मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, पर जहां तक मेरी याददाश्त है मैं मेरी याददाश्त से कह सकता हूँ कि करीब करीब इन्हीं लाइन्स पर पंचायत एक्ट में पंचायतों को अधिकार दिया गया है। तो एक तरफ तो पंचायतों को अधिकार है और दूसरी तरफ तहसीलदार के द्वारा यह कार्यवाही कराने का है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं अर्ज कर दूं, माननीय अध्यक्ष, माननीय विरोधी दल के नेता को शायद गलत याद रह गया है। वास्तव में आबादी की लेंड के लिये पंचायत एक्ट में कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है। महज ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स....

श्री भैरोंसिंह-मैं आपकी जानकारी केलिये बताऊं कि अब पंचायतों को यह अधिकार है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जो अभी कहा है वही बात आप कह रहे हैं, आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं।

clause 24 of the Panchayat Act में यह है "Common grazing ground and land for the common benefits of the persons" के लिये अधिकार दिया गया है। इसका पंचायत एक्ट के अन्दर आबादी की जमीन के लिये पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। माननीय विरोधी दल के नेता उस वक्त यहां मौजूद नहीं थे जिस समय कि सेक्शन १०५ के बहस के दौरान में यह सवाल पेश हुआ था कि जब पंचायतों को ४—६ महीने हुये गर्वनमेंट ने आबादी लैंड का ट्रान्सफर एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डरसे पंचायतों को कर दिया है। All rights in the Abadi land are vested in the Panchayats by an executive order of the Government, इसलिये पंचायत एक्ट से ट्रान्सफर नहीं हुई है।

By an executive order the Government has transferred it. यह जमीन गवर्नमेंट ने ट्रान्सफर की है और पंचायतों को दे दी गई है। तो इस तरह अब सारा इनका एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों में वेस्टेड है। १०५ में इस अमेंडमेंट से जो यह प्रोविजन

Page No.46

[श्री दामोदरलाल व्यास]

किया है इसलिये किया है। कि बहुत सी जमीनें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पंचायतें फंक्शन नहीं करती हों, लोकल बॉडीज फंक्शन नहीं करती हों। तो इस प्रकार का प्रोविजन करना जरूरी था कि इन गवर्नमेंट की लैंडस को कोई आक्युपाई कर लेता है तो उसको डिस्पजेस करने का, सजा देने का, प्रीमियम असेसमेंट करने का, उस जमीनके ऊपर कब्जा नाजायज़ करने के कसूर में उस पर पेनल्टी इम्पोज़ करने का, किसी राजस्व के अधिकारी को अधिकार दिया जावे, धारा १०५ में वह एक्ट में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। १०१ में तो तहसीलदार को अधिकार दिया गया है, १०५ में प्रोवाइड किया है। पंचायतों को अमेंडमेंट मूव किया, उसकी मंशा यह है कि अगर कोई ऐसी आबादी की जमीन को इल्लीगली पजेस करता है तो लोकल बोडीज तहसीलदार को मूव करेंगी उसे, eject करने, उस पर पेनल्टी एम्पोज करने, प्रीमियम एसेस करने के लिये। प्रीमियम वसूल करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है, पंचायतों को किसी के एप्रूवलकी जरूरत नहीं है। आप इस अमेंडमेंट को देखेंगे तो इसमें साफ दर्ज कर दिया गया है कि :

"The powers exercisable by a Tehsildar under sub-section (5) of section 101 shall be exercised in case of any such land placed at the disposal of a local authority as aforesaid, by such local authority itself without the approval of any officer"

तहसीलदार को जहाँ अधिकार है वहाँ कलेक्टर की एप्रूवल की जरूरत है, यहां पंचायतों की किसी की एप्रूवल की जरूरत नहीं है। I think I am clear.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—आपने ऐक्स्प्लेनेशन किया है "That is correct, but it has created a mental confusion."

ऐसी स्थिति में यह अमेंडमेंट पंचायत एक्ट में आना चाहिये, न कि लेन्ड रेवेन्यु में। जब कि आबादी लेन्ड को एक्जीक्युटिव ऑर्डर से पंचायतों को हेंड ओवर कर दिया तो लेन्ड रेवेन्यु बिलमें यह अमेंडमेंट आना जरूरी नहीं। यह अमेंडमेंट पंचायत एक्ट में आना चाहिये, यहां तो यह बिल्कुल इन्नएप्रोप्रियेट होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय विरोधी दल के नेता को कन्फ्यूजन हो रहा है। धारा १०१ को इस सदन में काफी डिस्कस किया है और उस पर काफी वाद-विवाद होने के बाद, अमेंड करने के बाद उसे पास किया है। अब जो यह कहा गया कि पंचायत ऐक्ट में यह क्लॉज आना चाहिये तो इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि आबादी लेन्ड का सम्बन्ध सीधा लेन्ड रेवेन्यु से है, पंचायत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। क्लॉज १०१ को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह आवश्यक है कि आबादी लेन्ड के लिये यह प्रोविजन करना जरूरी है। कोई आदमी गवर्नमेंट लेन्ड पर एन्क्रोचमेंट करता है, ट्रेसपास करता है, अन ऑथोराइज्ड वे में कब्जा करता है तो

[श्री दामोदरलाल व्यास]

उसको कैसे डिस्पजेस किया जाय, कैसे पेनल्टी लगायें, कैसे प्रीमियम असेस करके वसूल करें, इसके लिये आवश्यक है कि इस प्रकार का प्रोवीजन रक्खा जावे। यह सही नहीं होगा कि इस तरह का क्लॉज़ पंचायत एक्ट में रखा जाय। आबादी लेन्ड का सीधा सम्बन्ध लैंड रेवेन्यु से है, पंचायत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

पंचायतों को गवर्नमेंट ने आबादी लैंड ट्रान्सफर कर दी है तो यह बहुत जरूरी है कि इनको सेफगार्ड करने के लिये किसी न किसी प्रकार के अधिकार पंचायतों को दें। इसलिए यह यहां प्रोविजन रखा गया है। इसका पंचायत एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—जो पंचायतों को आबादी के ऊपर अधिकार दिया गया है वह कानून के माफिक अधिकार दिया गया है; क्या पंचायत कानून के माफिक?

श्री दामोदरलाल व्यास—पंचायत एक्ट में जैसे अधिकार हैं, वे हैं ही। गवर्नमेंट ने अपने अधिकार से यह ऑर्डर देकर आबादी लैंड पंचायतों को ट्रान्सफर कर दी हैं।

श्री भैरोंसिंह—गवर्नमेंट ने किस अधिकार के आधार पर ऑर्डर दिया है?

श्री दामोदरलाल व्यास—गवर्नमेंट ने अपने अधिकार से ट्रान्सफर कर दिया है आबादी लैंड को।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप जब इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे रहे हैं तो पंचायतों को जो पॉवर्स इस सम्बन्ध में पंचायत एक्ट के नीचे दिये गये हैं उनका क्या होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने क्या फरमाया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जब आप यहां पर अधिकार दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर; तो पंचायत एक्ट की क्या जरूरत हैं। इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का मतलब यह होगा कि पंचायतों को कोई अधिकार नहीं और अगर कोई कोर्ट में जावे तो इस तरह से आवादी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डरसे ट्रान्सफर करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। अगर पॉलीसी यह हो गई है कि गांव की आबादी उनको दी जावे तो वहां भी एमेन्डमेंट आपको लाना होगा वरना पंचायतों को जो पॉवर्स कानूनन हैं, इस झगड़े से काफी परेशानी हो सकती है और सुविधा भी हो सकती है। लेकिन किस आधार के नीचे आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से आबादी लैंड पंचायतों को ट्रान्सफर कर दी गई तो ये सब बातें आपको संशोधन में लानी पड़ेगी। अगर आप इसको यहां लाते हैं तो जो खामी आप यहां पर मानते हैं वह दूर करनी पड़ेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य को गलतफहमी रह गई है। इस बारे में म्युनिसिपल एक्टमें प्रोविजन है कि "the Government can vest any land in the local bodies.

Page No.48

[श्री दामोदरलाल व्यास]

इसमें गवर्नमेंटको इस प्रकार का अधिकार है: that by a Government order notified in the Gazette or otherwise, they can vest any land in the local bodies.

चुनाचे इस कानून की तहत में गवर्नमेंट ने अपने अधिकार पंचायत को subject to certain conditions and restrictions, and that condition is that the fund which will be realised by way of premium from such transferred land will vest in the local bodies व यह नजराने की जो आमदनी आवेगी वह उस गांव की पंचायत के डेवलपमेंट के लिये काम में ली जावेगी। मैं नहीं समझता कि फिर कौनसी कानूनी बात इसमें पैदा हो जाती है जिससे लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आबादी लैंड पर कब्जा रखना और उसको बेचने का अधिकार है। गवर्नमेंट ने अपना यह कन्ट्रोल लोकल बाडीज़ को ट्रान्सफर कर दिया subject to certain conditions and restrictions. जो गवर्नमेंट ने इम्पोज़ की उसकी तहत में वह भी इम्पोज़ करेंगे। अब रहा सवाल यह कि यह एमेन्डमेंट यहां लाना चाहिये या पंचायत एक्ट में ? इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान क्लॉज़ १०१ में आबादी लैंड का जो प्रोविजन है उसकी तरफ आकर्षित करूंगा; उसमें किस प्रकार एसेसमेंट होगा और किस प्रकार कौन प्रीमियम वसूल करेगा इन सब बातों का समावेश किया गया है। इसके अलावा जब हमने इसमें क्लॉज़ ११२ बी. एड किया है और उसमें आबादी लैंड के सम्बन्ध में म्युनिसिपेलिटी और पंचायतों को जो कुछ अधिकार दिये हैं जो राजस्व के अधिकारियों को हैं और यह कुछ अधिकार इस क्लॉज़ के जरिये they will be exercisable by the local bodies.

अब कुछ पोइन्ट ऐसे हैं जैसे पेनल्टी इम्पोज़ करना, पनिशमेन्ट देना आदि। इसके लिये हमें यह आशा करनी चाहिये कि जिस जमीन की गवर्नमेंट मालिक है उसमें तो अगर कोई ट्रेसपास करेगा तो रिपोर्ट करने का कार्य सूबो मोटो पटवारी करेगा ही। हम यह चाहते हैं कि लोकल बॉडीज अगर एग्रीव्ड फील करें कि किसी ने आबादी लैंड में एन्क्रोचमेंट किया है या अन ऑथोराइज्ड पजेशन किया और वो ट्रेसपासर है तो उसको पनिश्मेंट देने के लिये यह पैनल्टी इम्पोज करने का सवाल है। उसके लिये हमने लोकल बोडीज को व तहसीलदार को एम्पोवर कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह कि हमने ये पॉवर्स लोकल बॉडीज को दे दिये हैं।

मैं यह नहीं समझ पाया कि जब हम आबादी लैंड को लैंड रेवेन्यू बिल में इन्सर्ट करते है तो उस आबादी लैंड के अधिकार अधिकारियों को न देना मेरे ख्याल से गलत होगा। इसलिये इस एक्ट में इसको रखा गया है और यहां पर इसका रखना एप्रोप्रिएट है न कि पंचायत एक्ट में।

श्री भैरोंसिंह—मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—As a matter of fact he wanted clarification which I gave. He has already spoken on this clause.

श्री भैरूसिंह—इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—I think that will not be proper. The Hon'ble Member wanted some clarification. अगर एक माननीय सदस्य इस प्रकार बोलते ही रहेंगे तो there will be no end to it, हाउस का समय बर्बाद होगा।

श्री भैरूसिंह—वह बात मेरे और आपके लिए एक सी होगी, कोई फर्क नहीं होगा। अभी माननीय मन्त्री ने फरमाया कि सरकारी जमीन तो बेचने का अधिकार पंचायतों को दे दिया और इस प्रकार का संशोधन अब हम इस लैंड रेवेन्यू बिल में ला रहे हैं और इसके द्वारा यह होगा कि पंचायत में आबादी जमीन होगी उसके लिये तहसीलदार से इजाजत लेनी होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह कभी नहीं कहा कि तहसीलदार से इजाजत लेनी होगी। I never said, and perhaps because you did not hear it correctly.

श्री अध्यक्ष—The amendments are there and I will like to confine all these amendments within this. आपको जो कुछ कहना है कहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—I wanted to make it very clear that the Tehsildar, if he collects premium from any person he will have to take the approval of the Collector, but if any local body wants to collect premium the local body need not have the approval of any body.

श्री भैरूसिंह—पहली चीज का तो मैं स्पष्टीकरण यह चाहूंगा कि सरकारी आबादी पर जो कब्जा है, सरकार का है। इसलिए सरकार को किसी कानून के द्वारा अधिकार दे दे। अब जब उस कानून के मातहत आबादी पर कब्जा है तो सरकार के यह हाथ की बात है कि वह पॉवर्स पंचायतों को डेलीगेट करे या किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को डेलीगेट करे। पंचायत कानून में इस प्रकार के अधिकार देने की चीज नहीं है तो लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत देना है। अगर नहीं दिया गया तो गलती थी। ऐसी हालत में वह अधिकार जो तहसीलदार को; एक तरफ पंचायत काम करेगी और दूसरी तरफ तहसीलदार से हुक्म नहीं आवेगा तब तक बिक्री नहीं हो सकेगी और आपस में झमेला होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको इस समय डेफर कर दिया जावे और आयन्दा इस पर विचार किया जावे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका जवाब दे दिया है। कुछ प्रश्न ऐसे उठाये गये जो इस क्लॉज के बाहर की बातें हैं जो एक साइड डिस्कशन पर चल पड़ीं।

श्री जवानसिंह—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो एमेंडमेंट श्री जवानसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री त्रिवेणी श्याम।

(विराम)

(राजस्व मन्त्री से) आप इस एमेंडमेंट्स को स्वीकार करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां। मैं इस एमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०५ के सब क्लॉज़ (१) को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०५ का सब क्लॉज़ (१) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०५ के सब क्लॉज़ (२) में जो संशोधन रखा गया है for the deletion of the words "obtaining the permission of the Tehsildar" वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

इस संशोधन को स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०५ के सब क्लॉज़ (३), (४) और (५) स्वीकार किया जायं।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज १०५ के सब क्लॉज (३),)४) और (५) स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री त्रिवेणी श्याम ने नई सब क्लॉज़ (६) को बढ़ाने के लिये रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (६) इस क्लॉज १०५ में स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इसी क्लॉज़ १०५ में सब क्लॉज़ (७) बढ़ाने के लिए श्री त्रिवेणी श्याम ने प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (७) इस क्लॉज़ १०५ में स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (७) में (ii), (iii) प्रोविजो जोड़ने का जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ ७ में (ii) और (iii) प्रोविजो स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज १०५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११२ सी

श्री दामोदरलाल व्यास—Clause 112 C, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—There is another amendment to insert a new clauee 112 C, which has been circulated to members, and with your permission I move a new clause 112 C. This is an amendment which is very necessary. With your permission I am reading the amendment :-

"Nothing in sections 105, 106, 107, 108 and 112 shall in any way affect, take away or abridge the right conferred on tenants by Sections 31 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) to possess in the abadi of a village a site for a residential hoase free of charge."

I think this is a very necessary amendment and the Members will not have any objection to this.

कु' श्री जसवन्तसिंह— We never had any objection.

श्री दामोदरलाल व्यास—I think this is in the interest of the tenants in general and the Hon'ble Members and the Leader of the Opposition will most gladly accept it in the interests of the cultivators.

कु'० श्री जसवन्तसिंह—I accept whatever falls from your lips.

श्री दामोदरलाल व्यास—Thank you.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया क्लॉज़ ११२ सी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११२ सी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ११५, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११५ में मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "Substitute the clause by :-

"115, Record Officers.-The State Government may appoint an officer hereinafter called the Record Officer to be incharge of the Record operations in any local area and as many Assistant Record Officers as toit may seem fit, and such officers shall exerciseall the powers Conferred on them by this Act so long as such local area is under record operations."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११५ जैसा इसमें है इसके माफिक उसमें जो आया है वह इस तरह की बात है कि :

"(i) shall appoint a land records officer to be in-charge of the operations referred to therein, unless a permanent land records officer shall have been appointed to the area brought under such operations, and"

तो हमने पहले इस तरह का क्लॉज़ पास कर दिया है कि कलेक्टर जो है वह लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर होगा तो यहां यह सवाल पैदा नहीं होता है कि :

"unless a permanent land records officer shall have been appointed to the area brought under such operations,"

इसी दृष्टि से इस संशोधन को पेश किया है ।

दूसरा इसमें यह हवाला नहीं है कि यह जो ऑफिसर नियुक्त होगा वह कितने कार्यकाल तक रहेगा । मैंने अपने अमेन्डमेन्ट में चर्चा की है कि जब तक सर्वे और रेकॉर्ड ओपरेशन्स चलते रहें तब तक रहे ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, second amendment is mine. मैं एक अमेंडमेंट ११५ में पेश कर रहा हूँ :

"For 'Land Records Officer' substitute' 'Additional Land Records Officer."

[श्री दामोदरलाल व्यास]

मेरा इस अमेन्डमेन्ट को पेश करने का मकसद यह है कि हमने इस लैंड रेवेन्यू बिल में एक क्लॉज़ एक्सेप्ट किया है कि कलेक्टर को भी by virtue of his office डिस्ट्रिक्ट लैंड रेकार्ड ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऐसी सूरत में क्लॉज़ ११५ में यह आवश्यक हो जाता है कि he will be a permanent land records officer by virtue of his office.

इसलिए रेकार्ड ओपरेशन शुरु हो तो आवश्यकता के मारिक किसी को एडीशनल लैंड रेकर्ड ऑफिसर नियुक्त कर सकें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लैंड रेकर्ड ऑफिसर की पहले नियुक्ति हो चुकी है। "Shall appoint an additional land records officer" इसके लिए मैं सबस्टीट्यूट करना चाहता हूँ। किशनगढ़-परबतसर से आये माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसका पर्पज़ इससे सर्व हो जाता है। किस ड्युरेशन के लिए वह मकर्रर होगा इसके लिए it is already provided in this very Act.

"The State Government, upon the issue of a notification under section 113 or section 114" आप खण्ड ११३ व ११४ को मुलाहिजा करेंगे तो इसमें साफ लिखा है; क्लॉज़ ११३ यह कहता है कि–

"The State Government may direct by notification in the Rajasthan Gazette that the survey or re-survey of any local area shall be made and every such local area shall, from the date of the said notification, be held to be under survey and record operations until the issue of another notification declaring such operations to be closed therein."

तो ११५ में यह लिखना है

"The State Government shall, upon the issue of a notification under section 113 or section 114,-(i) shall appoint a land records officer to be in-charge of the operations referred to therein" under Clause 113 and 114 जब सर्वे खत्म होगा तो this is the duration of the land records officer. इसमें इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। "during the record operations" It is quite clear.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं और माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका अमेंडमेंट रखने का यह मकसद होगा कि "unless a permanent land records officer......"

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry. There is another amendment of mine. it is already there.

Page No.55

[श्री दामोदरलाल व्यास]

"Between 'permanent' and 'land records officer, insert 'additional'. I think that will serve the purpose.

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११५ में जो संशोधन सब क्लॉज़ेज़ (१) व (२) में श्री दामोदरलाल व्यास ने रखे हैं वे पास किये जायं ।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ११६, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११६ जैसा है वैसा ही विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ११६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११७, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूंसिंह।

श्री भैंरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११७ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :"Insert the word 'legal between 'such'and' assistance'in sub-clause (1)"

दूसरा मेरा संशोधन है कि,

"Substitute the words "as prescribed" for the words "as he may think necessary"' in the fourth line of sub-clause (2)".

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ११७ द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जिस एरिया में सर्वे और रेकर्ड ओपरेशन्स हो रहे हैं उनमें लेन्ड रेकर्ड ऑफीसर को अधिकार होगा कि वह एक प्रोक्लेमेशन द्वारा जितने भी उस जगह के काश्तकार हैं या एस्टेट होल्डर्स हैं उनको इस बात की सूचना दे कि जिस गांव में जितनी भी आवश्यकता पड़े उतनी तुमको सहायता देनी पड़ेगी। यह है क्लॉज़ ११७ का पहला हिस्सा। क्लॉज़ ११७ के दूसरे हिस्से में यह व्यवस्था की गई है कि लेन्ड रेकर्ड ऑफीसर एक नोटिस देगा, उस नोटिस द्वारा एस्टेट होल्डर्स और जितने भी टिनेन्ट्स हैं उस गांव के उनको इस बात की सूचना दी जायगी कि १५ दिन के अन्दर अन्दर वे अपने खेतों की जितनी सीमा है उनके बारे में वे निशान बनायें। अगर उनकी तरफ से उस निश्चित अवधि में निशान नहीं बनते हैं तो लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह अपने खर्चे से उन निशानात को बना सकता है और जो भी खर्चा उसमें होगा वह उन लोगों से वसूल किया जायगा। इसमें मेरा पहला संशोधन जो है कि वह है पहली धारा के सम्बन्ध में, जहां यह लिखा है कि जितनी सहायता की जरूरत होगी वहां के निवासियों को देनी होगी। मेरा यह निवेदन है कि जो भी सहायता की आवश्यकता हो वह लिख देनी चाहिये उसका उल्लेख यहां कर देना चाहिये। मेरे संशोधन के अनुसार वह कैसी सहायता होगी; लीगल असिस्टेन्स जहां असिस्टेन्स शब्द लिखा हुआ है उसके पहले लीगल शब्द जोड़ दिया जाय ताकि लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर जो सहायता न्याय संगत होगी कानून संगत होगी वही उनसे ले सकेगा और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जैसा कि माननीय राजस्व

[श्री भैरोंसिंह]

मन्त्री जानते हैं जब लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर जब कहीं इस प्रकार के कार्य के लिए जाता है तो उनके साथ में उनका अमला भी होता है। काश्तकार सब उनके साथ हो जाते हैं और जहां भी वे जाते हैं उनके साथ जाते हैं। स्टेट होल्डर होते हैं वे भी साथ के साथ ही रहते हैं। तो जब हमने इस धारा में रेकर्ड ऑफिसर को यह अधिकार दे दिया है कि वह चाहे जैसी सहायता लोगों से ले सकता है तो जहां तक सहायता लेने का सम्बन्ध है जब हमने सहायता लेने की खुली छूट दे दी है तो जिसे हम न्यायसंगत नहीं समझते वह अधिकारी उनसे अनुचित सहायता भी ले सकता है। जब हम असिस्टेन्स के आगे लीगल शब्द जोड़ देते हैं तो यह लाजिमी हो जाता है उस अधिकारी के लिए कि वह जो सहायता लेना चाहता है वह न्यायसंगत होगी वही लेगा। माननीय अध्यक्ष, गांवों में इस प्रकार का रिवाज है कि लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर जहां कहीं भी जाता है रेकर्ड आपरेशन्स के लिए या सर्वे के लिए तो जितने भी लोग इस कार्य से सम्बन्धित हैं वे सम्बन्धित लोग उन लोगों के लिए रहने का, खाने का हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, पान बीड़ी की व्यवस्था करते हैं; यह सब व्यवस्था मुफ्त में होती है और यह गांव के लोगों से ली जाती है। जब तक हम कानून में यह शब्द नहीं जोड़ देते हैं तब तक यह जिस प्रकार की सहायता वह अधिकारी चाहेगा उन लोगों से ले सकता है। उनको ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पलंग-बिछौने आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पान बीड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी इस तरह से इस सहायता के नाम पर उनसे बेगार ली जायगी और जितना भी इस प्रकार की व्यवस्था पर खर्च होगा वह सब गांव वालों को करना पड़ेगा क्योंकि लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर सर्वे करने के लिए आया है इसलिए यह जरूरी है कि उसको सहायता देवें किन्तु सहायता वो ही ली जानी चाहिए जो न्यायसंगत हो, इसलिए हमें इस सहायता पर पाबन्दी लगानी चाहिये। इसलिए सहायता को निश्चित रूप प्रेस्क्राइब करें ताकि उसी के अनुसार वह अधिकारी उन लोगों से सहायता ले सके। इसलिए लीगल असिस्टेन्स ठीक रहेगा। 'लीगल' शब्द जोड़ दिया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा संशोधन है वह है बीड मार्क्स के लिए। लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर को अधिकार होगा। वह सारे जितने भी खेतिहर लोग हैं या एस्टेट होल्डर्स हैं उनको आदेश देगा कि इतने समय के अन्दर-अन्दर वे अपने खेत की सीमा के अन्दर मार्क्स लगालें और जिस तरह के वह निशान प्रेस्क्राइब करेगा उसी तरह के निशानात उनको लगाने होंगे। माननीय अध्यक्ष, गांवों में आजकल जो सीमा के निशानात हैं, जिसको सींव के नाम से सम्बोधित करते हैं, जो कुछ भी सींव खड़ी हुई है कहीं तो वे पत्थर की लगी हुई है, कहीं-कहीं पर बुशेज की लगी हुई है। इस प्रकार के निशानात अब तक बने हुये हैं। अब उसके आदेश के अनुसार सबको एक ही प्रकार के सीमा के निशानात करने पड़ेंगे नहीं तो सरकार तैयार करवायगी। तो मेरा इसके लिए यह सुझाव है कि लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर जैसा उचित समझें इसके लिए सरकार कानून बनाये, नियम बनाये; पत्थर की सींव हो या झाड़ी या बुशेज की सींव हो।कहां कहां ये हों यानि जहां बुशेज खड़ी हुई हैं वहां दस बारह पत्थर की आवश्यकता नहीं, वहां एक-दो पत्थर से ही काम चल सकता है, इस प्रकार के नियम निर्धारित

[श्री भैंरोंसिंह]

किये जाने चाहिये। ये सब अधिकार लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर को न दें। इसके लिए मैंने इन शब्दों को हटाने का प्रस्ताव किया है।

"Land Records Officer may issue proclamation as he may deem necessarp इसमें "as he may deem necessary" शब्दों तो हटा दिया जाय and the words "as prescribed by rules" may be substituted.

इस प्रकार के सीमा के निशान बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार के सीमा के निशान बनाने के लिए तुम्हें पाबन्द करती है। ये दोनों संशोधन उचित हैं और आशा है कि राजस्व मन्त्री इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इन दोनों संशोधनों को अस्वीकार करता हूं। इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं हैं और गैर जरूरी हैं। पहले संशोधन में 'लीगल' शब्द इन्सर्ट करने के लिए कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लीगल असिस्टेन्स का आखिर मतलब क्या है? इसमें साफ लिखा है:

" all estate holders and tenants of such area that they are bound to render such assistance as may be required of them in the survey of the village......"

इसके लिये यह कहना कि लेन्ड रेकर्ड ऑफिसर बेगार लेगा; इसलिये मेरे ख्याल से यह गलत धारणा है।

दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि हमारे यहां बेगार लेने के लिये जो कानून है उसमें इस बात का उल्लेख है और पीनल कोड में भी इसका प्रोविजन है " As a matter of fact all this pertains to survey."

सर्वे के कार्य में जितनी भी असिस्टेन्स होगी वह ली जायगी इसलिये 'लीगल' वर्ड एड करने की कोई आवश्यकता नहीं। Tne words of this section are themselves very clear.

दूसरी बात आप कह रहे हैं, प्रेसक्राइब्ड दर्ज कर देना चाहिये। बीड के मार्क्स के लिये अगर ऐसा किया गया तो हर गांव के लिये अलग अलग प्रकार से डिसीजन लेना पड़ेगा इसलिये प्रेसक्राइब करना मुमकिन नहीं। गवर्नमेंट के लिये दोनों संशोधन मानने योग्य नहीं; आशा है सदन भी इनको अस्वीकार करेगा।

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष,.......

श्री अध्यक्ष—आपके अमेंडमेंट मूव हो गये, इतना ही काफी है।

Page No.59

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११७ में जो संशोधन श्री भैरूसिंह जी ने रखा है वह स्वीकार किये जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ११७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११८

श्री दामोदर लाल व्यास--अध्यक्ष महोदय, श्री भैरूसिंह जी ने जो अमेंडमेंट्स दिये वे टाइम पर नहीं दिये इसलिये इनको मूव करने में मुझे एतराज है। ये ५-१२-५६ को दिये गये, इसके लिये तीन-दिन का नोटिस होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—But then I hope the Hon'ble Minister will like to accommodate him for discussion's sake.

श्री भैरूसिंह--माननीय अध्यक्ष, मेरे अमेंडमेंट्स का सर्कुलेशन हो चुका है इसलिये माननीय मन्त्री का एतराज कोई मायने नहीं रखता। इस सम्बन्ध में मैं माननीय राजस्व मन्त्री को याद दिलाऊं कि उन्होंने भी अभी सदन के समक्ष एक अमेंडमेंट पेश किया था जो पास हो चुका है। जब उनके अमेंडमेंट्स पर नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि मेरे अमेंडमेंट्स जो सर्कुलेट हो चुके हैं उनको पेश करने में उनको क्यों एतराज होना चाहिये। यह एतराज उनको इसलिए हो रहा है कि वे बेचैन हो गये है इन अमेंडमेंट्स को देखकर। जब कि मेरे अमेंडमेंट्स का सर्कुलेशन हो चुका है तो मुझे यह अधिकार है कि मैं उनको मूव करूं।

श्री अध्यक्ष—You will not have a right of reply.

श्री भैरूसिंह—जैसी आपकी आज्ञा, मुझे एतराज नहीं।

[श्री भैंरूसिंह (दांतारामगढ़)]

वे चीजें तो दोनों साथ साथ ही हैं । क्लॉज़ ११८ में पहला संशोधन है सब क्लॉज़ (१) में : "Delete the words 'so far as possible' in the third line. दूसरा संशोधन है :

Delete the words 'this is not possible or' in the fourth line, सब क्लॉज़ (२) में मेरा संशोधन है :

Delete the words 'or if it is shown' से लेकर 'commencement of the enquiry' तक और दूसरा संशोधन है :...Substitute the words 'who is the party best entitled to possession' by the words 'as to the actual possession' in the seventh line. माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ११८ के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि बाउन्ड्री मार्क के सम्बन्ध में, बाउन्ड्रीज़ के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का झगड़ा है तो इसका निपटारा किस तरह से किया जा सकता है । लैंड रिकार्ड अधिकारी को अधिकार दिया है कि वह दो तरीकों के आधार पर इस प्रकार के झगड़ों का निपटारा करे । एक तो, जितने भी सर्वे मेप्स हैं उनमें देखे कि उस बाउन्ड्री पर किसका अधिकार है, उचित बाउन्ड्री कौनसी है, यह इसके द्वारा निर्णय करे । दूसरा, यदि सर्वे में वह नहीं है तो एक्चुअल पजेशन किसका है, इस आधार पर न्याय कर दे ।

ये दो चीजें हैं, या तो सर्वे मैप के आधार पर या एक्चुअल पजेशन के आधार पर । इन दो चीजों को सामने रखकर लैण्ड रेकॉर्ड अधिकारी न्याय करे । इन चीजों के आधार पर जो उसे उचित मालूम हो अपना निर्णय दे; तो किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती ।

पर इसके साथ एक व्यवस्था और की है, उन्हें छूट दी है अपना डिस्क्रिशन एप्लाई करने की और वह किस तरह से ? इसमें लिखा है : "In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible," कि जहां तक सम्भव हो वह सर्वे मैप्स देखेगा । आगे लिखा है, so far as possible on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession." तो हमारे सामने दो चीजें हैं । या तो उसके सामने किसी आदमी का एक्चुअल पजेशन हो इस बात को बतला दी जावे या सरवे मैप में उल्लेख हो । दोनों में से किसी एक बात पर; पहले सर्वे मैप पर और यदि सरवे मैप नहीं हो तो फिर एक्चुअल पज़ेशन के आधार पर वह अपना निर्णय दे दे । इसके बीच में कोई चीज नहीं होनी चाहिये और इसके लिए व्यवस्था की गई है । बीच की धारा से ऐसा होगा कि यदि वे चाहेंगे कि इसके पक्ष में फैसला देना है तो अपना डिस्क्रिशन यूज करके वैसा कर देंगे । अगर वे किसी का पक्ष लेना चाहेंगे तो सरवे मैप्स में भी कई प्रकार के नुक्स निकाल देंगे और एक्चुअल पजेशन वाले के लिए भी अनेक प्रकार की नुक्स की बातें निकाल कर जिसके साथ में पक्षपात करना होगा उसके पक्ष में अपना निर्णय दे देंगे । तो इस प्रकार ऊटपटांग बातें चलेंगी । तो यह एक प्रकार का डिस्क्रीशन का पावर नहीं देना है, यह तो छूट

[श्री भैरोंसिंह]

देनी है लूटने की। जब हम एक सिद्धान्त मानते हैं तो फिर उसमें " so far as possible " की आवन्यकता क्या है ? एक चीज नहीं तो दूसरी चीज मिलेगी। एक्चुअल पज़ेशन है तो फिर सर्वे रेकॉर्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी और सर्वे रेकॉर्ड अगर ठीक मिल जाता है तो फिर एक्चुअल पज़ेशन को देखने की आवश्यकता नहीं और इन्हीं दो बातों की आवश्यकता है ; तीसरे पॉवर की, तीसरे विकल्प की आवश्यकता नहीं। यह डिस्क्रिशन यूज़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिये। अगर इन दो चीजों के आधार पर फैसले से कोई सन्तोष नहीं होता है तो फिर अपील का रास्ता तो उसके लिए खुला है। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि यह बात इसमें क्यों लाई जा रही है ? इससे फिर यह होगा कि एक तरफ तो बाउन्ड्री डिस्प्यूट्स के बारे में दावा करेगा। अगर दावे से सैटिस्फाइड नहीं है तो जिस तरह अपील का प्रोसीजर है वह उसके लिए भी होगा और फिर बाउन्ड्री के साथ साथ बाउन्ड्री पर ही अधिकार रखता है बीघा, दो बीघा, पचास बीघा, सौ बीघा जहां तक अपना संचय कर सकेगा अपनी जमीन पर भी अधिकार करता है और लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर ने इसकी आड़ लेकर इन दोनों चीजों को परे रखकर फैसला दे दिया और उसकी बाउन्ड्री पर अधिकार करा दिया तो फिर रोते रहो रेवेन्यू बोर्ड तक। वहां से तीन तीन साल तक फैसला नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन करता है कि इन दो बातों के आधार पर ही फैसला दें और मेरा जो संशोधन है वह इसी प्रकार की व्यवस्था करने वाला है; इसलिये में निवेदन करूंगा राजस्वमन्त्री महोदय से कि जहां तक हम समेरी ट्रायल के आधार पर छोटे छोटे मामलों में फैसला देने का अधिकार देते हैं वहां तक लोगों को सस्ता न्याय मिले और इस प्रकार से लोगों के झगड़े निपटा देना आवश्यक है, इसको टालने की कोशिश न करें। उनके अधिकार सीमित होंगे तो उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, चूंकि मसला कानूनी है इसलिये मैं फिर अर्ज करूंगा कि यह संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। आपने संशोधन यह रखा है कि "Delete the words 'so far as possible' in sub-clause (1)."

मैं अर्ज करता हूं अगर डिलीट कर दिये गये ये शब्द तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जावेगा, इन्साफ हो नहीं सकेगा क्योंकि हार्ड एण्ड फास्ट इस तरह के रूल्स नहीं बन सकते। सर्वे मैप देखने से काम नहीं चल सकेगा। मैप पुराने हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, अधूरे हो सकते हैं और इससे बहुत मुमकिन है बहुत से मुकद्दमे ऐसे हों जिनमें फैसला करना मुश्किल हो जावेगा, और अगर ऐसे रेकार्ड के आधार पर फैसले कर दिये गये तो अन्याय हो सकता है। अब जहां तक मुमकिन है इन शब्दों का मतलब यही है कि जहां तक सर्वे मैप्स से काम ठीक चल सकता है वह पहले वे मैप्स देखें, but that is not possible, on the basis of actual possession. इसका मतलब ही यही है। कानून का मसला है यह इसलियेइसको समझने की आवश्यकता है वरना और कोई बात नहीं है।

Page No.62

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कानून के अन्दर ये लफ्ज जो हैं इनका मतलब यही है कि जब तक पहले प्रोविजन एग्ज़िस्ट करते हैं उन पर फैसला हो सकता है। उस वक्त तक दूसरी बात पर असर नहीं जावेगा। पर हर सूरत में बिना किसी विकल्प के दो बातों में से किसी एक बात पर फैसला करना ही पड़ेगा, यह गलत बात है; यह बहुत गलत होगा। इसलिए यह जो डिलीट करने की बात है वह उचित नहीं है कि सब क्लॉज़ (१) में where this is not possible then of course on the basis of actual possession; इसके लिए भी यही दलील है। दूसरा सब क्लॉज़ (२) में यह कहा गया है, डिलिट करना चाहते हैं। Has he moved this amendment, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री दामोदर व्यास—मैं समझता हूं कि यह भी बहुत आवश्यक क्लॉज़ है। रात-दिन मसले आते हैं कि फलां काश्तकार को अपनी लैण्ड से डिसपजेस कर दिया। तो अगर यह चीज नहीं रखते हैं और दो तीन महीने में इसका नोटिफिकेशन होता है; इस समय में लोगों को मालूम तो हो जावेगा इस कानून के बारे में तो इसके इस प्रोविज़न को लेकर इसकी आड में अपना नाम रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए आज भी कमजोर किसान को बेदखल किया जा सकता है और फिर उसी रेकार्ड के आधार पर, अगर किसान दावा करता है तो उससे वह दावा जीत सकता है। तो यह किसान के साथ अन्याय ही होगा। तो कानून नें हमें डिस्कीशन देना ही पड़ेगा। हाई एण्ड फास्ट कानून बनाने से बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इन कारणों के आधार पर मैं दोनों संशोधन अस्वीकार करता हूं।

श्री भैरूं सिंह—मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष (श्री भैरूं सिंह से)—इसको प्रेस करेंगे क्या आप ?

श्री भैरूं सिंह—प्रेस भी करूंगा और कानूनी बात का जवाब भी दूंगा।

क्लॉज़ ११७ के सब क्लॉज़ (२) में इस बात का उल्लेख है कि जिस तरह से, 'सो फार एज पोसीबल' का मतलब यह है कि या तो सर्वे मैप में हों या एक्चुअल पजेशन के आधार पर हों। पर आगे उसी धारा दो को देखते हैं तो यह अधिकार भी दिया है कि 'सो फार एज पोसिबल'। 'सो फार एज पोसिबल' का सम्बन्ध उप खण्ड (२) से है और इस तरह से वह है। यह क्लॉज़ रखकर तीन महीने में अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया तो अधिकार हो जायगा। तीन महीने का ऐसा शब्द है। यह यह सर्वे रेकार्ड मैप्स को, एक्चुअल पजेशन दोनों चीजों को छोड़कर तीसरी चीज पर पहुँच जावे। इस तीसरी चीज पर घोर ऐतराज है। अगर किसी ने अवैधानिक तौर पर बेदखल करके, कब्जा कर लिया है तो इसके लिए सिविल कोर्ट मौजूद है, एस० डी० एम० की अदालत मौजूद है, पुलिस में बेजा मदाखलत की रिपोर्ट कर सकता है पर लैंड रेकार्ड के अधिकारी को केवल बाउन्ड्री डिस्प्यूट्स को

[श्री भैरोंसिंह]

डिसाइड करने के लिए इसने तीन महीने में कब्जा किया है या नहीं, यह देखकर फैसला कर देने का जो अधिकार दिया जा रहा है यह उचित नहीं है। और मैं मानता हूँ कि यह कानूनी चीज है। कानूनी चीज जो वे भी समझें और समझ को एप्लाई करें तो उचित होगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा संशोधन उचित है, और मैं इसको प्रेस करूंगा।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल जी तो मूव करना नहीं चाहते, अपना संशोधन। प्रश्न यह है कि श्री भैरूंसिंह ने जो संशोधन रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११८ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११६, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता, अपना संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२०, श्री चांदमल मेहता।

Page No.64

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव करना नहीं चाहता (अपना संशोधन)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १२० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२१। इस पर काफी एमेंडमेंट्स हैं। These are just unripe amendments.................

श्री भैरूंसिंह—पका लिये जावें।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे खयाल से श्री भैरूंसिंह जी मूव नहीं करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—I am hoping against hopes. क्लॉज १२१, श्री भैरूंसिंह। शायद पेश नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह—नहीं, पेश करूंगा साहब। मैं इस प्रतीक्षा में रहा था कि और भी कई संशोधन आये हैं तो अन्य सदस्य बोलेंगे पहले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२१ में मेरा संशोधन इस प्रकार है। "Delete the word 'and' occurring at the end of part (c) and add the following part (cc):--

" a register of all unoccupied lands specifying the Particulars proscribed and "

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२१ में हमने यह व्यवस्था की है कि रेकॉर्डस ऑफ लैंड्स तैयार करने के लिये किस प्रकार की तैयारी करनी होगी और कौन कौन से रजिस्टर बनाने होंगे। इन रजिस्टरों में हमने एक रजिस्टर रखा है एस्टेट होल्डर्स का दूसरा रक्खा है खतौनी वालों का जिसमें, "...... a register of all persons cultivating, or otherwise holding or occupying land in such area, specifying the particulars requried by Section 123. और तीसरा हमने रक्खा है, a register of all persons holding land in such area free of or revenue," "(d) such other regisiers as may be prescribed." मेरा ऐसा संशोधन है कि एक रजिस्टर इस बात का भी रक्खा जावे कि जिसके द्वारा यह पता लग सके कि गांव में एस्टेट होल्डर्स के अलावा खातेदार टीनेन्ट्स के अलावा, सब टीनेन्ट्स के अलावा, फ्री आफ रेन्ट काश्त

[श्री अध्यक्ष]

करते है उनके अलावा सरकार की जितनी पड़त जमीन है और उसके क्या परटीक्यूलर्स हैं । जमीन कैसी है किस जगह है, उसकी माप कितनी और वह किस प्रकार की भूमि है; इस बात का भी एक रजिस्टर रक्खा जावे ।

आगे आपने सब क्लॉज़ (डी) रक्खा है जिसमें लिखा है । " (d) such other registers as may be prescribed. "

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बाद का प्रश्न है ।

श्री भैरूसिंह—और उनकी मानने की आदत है नहीं । और भी रजिस्टर.......

श्री अध्यक्ष—No personal affairs. Presonal references in the dabate should be avoided.

श्री भैरूसिंह—कानून की बात करता हूँ साहब । तो एस्टेट होल्डर्स और खातेदार टीनेन्ट्स और फ्री ऑफ रेन्ट वालों के लिए रजिस्टर रखने की आवश्यकता समझी गई, तो जब इन दोनों तीनों चीजों की खास तौर से आवश्यकता समझ कर इनके लिए अलग अलग रजिस्टर रखने की बात को कानूनी रूप दिया गया तो फिर मेरा संशोधन यह है कि जो सरकार की पड़त भूमि है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिसको कानून में अनऑकुपाइड, ग्रेजिंग ग्राउन्ड भी कहते हैं, व और और भी नामों से सम्बोधन इस जमीन को करते हैं, तो इस जमीन के लिए भी एक अलग रजिस्टर रक्खा जावे और इसको कानून का अंग बनाया जावे ।

आप कह सकते हैं कि इसका समावेश आ गया 'अदर थिंग्स' में । तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार उन दो बातों को महत्व पूर्ण मान कर उनके लिए अलग अलग रजिस्टर रखने की व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया उसी प्रकार इस अन ऑकूपाइड लैंड को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये और इसके लिए भी अलग रजिस्टर रखने को कानूनी रूप दिया जाना चाहिये । यह जमीन भी उन दो प्रकार की जमीनों से कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

आप फिर यह कहेंगे कि इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, पर चूंकि विधान सभा ने पास किया है इसलिए इन तीन के लिए अलग अलग रजिस्टर रखने ही पड़ेंगे । इसलिए अगर इसको भी कानूनी रूप से अलग स्वीकार कर लिया गया तो इसके लिए भी अलग रजिस्टर रखना पड़ेगा । इसलिये अर्ज करूंगा कि यह लाजमी कर दिया जावे कि चौथा रजिस्टर भी रक्खा जावे और इस तरह से इसको भी कानूनी रूप देना चाहिये ।

श्री **अध्यक्ष**—श्री हिम्मतसिंह, १२१ बी पर है आपका संशोधन ।

Page No.66

श्री हिम्मतसिंह—वह तो है ही, पर इस पर भी जिक्र कर दूं। क्लॉज १२१ में ए. बी. सी. करके तीन मुख्य रजिस्टर और चौथा वह रजिस्टर जिसकी जरूरत हो उस माफिक बना लिया जावे का प्रोविजन रख दिया है। सबसे पहले यह रक्खा गया है जिसमें एस्टेट होल्डर्स दर्ज किये जायेंगे। एस्टेट होल्डर्स तो अब शायद रहे ही नहीं होंगे। तो जो खत्म हो गये उनको क्या रजिस्टर करेंगे, इसकी क्या ऐसी इम्पोर्टेन्स समझी गई है? न मालूम किसको वे फिर एस्टेट होल्डर समझते हैं? तो यह अनावश्यक सा रजिस्टर नजर आता है।

दूसरा खतूनी से शायद आपका मतलब है जो कि हमारे भूतपूर्व कोटा रियासत में खाते कहलाते थे। यह रजिस्टर जरूरी है लेकिन साथ ही यह "(c) a register of all persons holding land in such area free of rent or revenue." यह जो (सी) क्लॉज का है इसके मुतल्लिक भी मैं अर्ज करूंगा कि कोटा रियासत में यह अभी है प्रचलित और पहले से तो था ही। आया जितने रेन्ट फ्री होल्डर्स हैं वे भी उसी में दर्ज होते हैं और जैसा कि श्री भैरूसिंह जी ने अपने एमेंडमेंट में जिक्र किया है। तमाम पड़त जमीन वह चाहे कल्चरेबल वेस्ट हो, अन कल्चरेबल वेस्ट हो, नदी हो, नाला हो सभी रजिस्टर खाते में ही दर्ज की जाती हैं। वहां तो ऐसा एक अमल चला आ रहा है और मैं यह समझता हूँ कि इससे बहुत आसानी रहती है। एक ही रजिस्टर में, जिसको हम खाता कहते हैं ये सभी इन्द्राज कर दिये जाते हैं। तो इससे बहुत सहूलियत रहती है; सभी बातें एक साथ एक ही समय में जरूरत पड़ने पर देखने को मिल सकती हैं। तो एक पटवारी के पास तीन तीन प्रकार के रजिस्टर रक्खे जावें इसके बजाय एक ही रजिस्टर, जो ऑलरेडी काम चला रहा है, वही रक्खें तो ज्यादा ठीक रहेगा। इससे ज्यादा सहूलियत रहेगी और हर आदमी के लिए पटवारी के लिए और कर्मचारियों के लिए भी यह सहूलियत की चीज साबित होगी। यह मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर कहता हूँ। यह एक रजिस्टर रखना ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। इसके लिए मैं ज्यादा प्रेस करना चाहता हूँ। फोर्मर राजस्थान के वक्त में यह प्रश्न आया था कि रेवेन्यु रेकॉर्ड किस तरह से एडोप्ट किया जावे तो क्लॉज़ में.... ...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में सुझाव दे रहे हैं तो उसमें कोई तो आपका है ही नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट होता तो that would not have been considerd, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। शायद आपके खयाल में बैठ जाय और आप खुद ही अमेंडमेंट मूव कर दें, जैसी कि आपकी आदत है और आप करते आ रहे हैं। इसी गर्ज से मैंने कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप एमेंडमेंट ही दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—बोल तो लीजिये। एमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं; वैसे ही मान लें।

श्री हिम्मतसिंह—ऐसा मालूम पड़ता है कि मन्त्री महोदय के जंच रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—बिल्कुल नहीं जंचता है साहब।

श्री हिम्मतसिंह—अगर आप अपने देश की भावना के साथ नहीं चलें तो नहीं जंचे, लेकिन जंचने की बात है। अगर नहीं जंचे तो आपकी मरजी है। लेकिन राजस्थान के हित के लिये आप कुछ करना चाहते हैं तो जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पर विचार किया जाय।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि फोर्मर राजस्थान में किसी ने यह प्रश्न किया था कि गवर्नमेंट के लेन्ड रेकॉर्ड्स किस तरह से मेन्टेन किये जांय। उसमें उदयपुर के लोग थे, बूंदी के भी थे, झालावाड़ और टोंक के भी तथा और कई रियासतों के थे। मैं खुद कोटा को रिप्रेजेन्ट कर रहा था। यह माना जा सकता था कि मैं कोटे को रिप्रेजेन्ट करता हूं तो अपने कोटे की ही बात कहूं, ऐसी बात नहीं थी। मैंने जो रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसमें मि० सिंगल यू० पी० के रेवेन्यू बोर्ड के रिटायर्ड आफिसर थे, वे रिऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थे, और उन्होंने इस तरह का जिक्र किया कि हम यह एडाप्ट करना चाहते हैं, एक सिस्टम सब जगह के रेवेन्यू रेकार्ड्स का हो इसलिये हम चाहते हैं कि इसके ऊपर विचार किया जाय और कोई निर्णय लिया जाय क्योंकि उस वक्त अलग २ रियासतों में अलग २ रजिस्टर थे। तो उन्होंने एकदम ऐसा कहा कि क्यों न हम उदयपुर को एडॉप्ट कर लें। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि आप··

श्री अध्यक्ष—कौन से पर आप कह रहे हैं?

श्री हिम्मतसिंह—रजिस्टर के बारे में।

श्री अध्यक्ष—भैरोंसिंह जी का समर्थन कर रहे हैं?

श्री हिम्मतसिंह—हां।

श्री दामोदरलाल व्यास—The subject matter is altogether new, Sir. भैरोंसिंह जी का अमेंडमेंट अलग है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह आपके सुझाव के लिये मैं कह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो एक अमेंडमेंट मैं दे दूंगा। शायद अमेंडमेंट दे देता और आप खामोखाह ही उसको नहीं मानते तो मेरा परिश्रम यों ही जाय तो फायदा क्या है? मैं आपके व्यूज देख लूं तो अमेंडमेंट पेश कर दूं। बेहतर होगा कि आप जैसा समझते हैं कि हालत हो नहीं है, तो लाचार हैं।

तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे फुरसत नहीं है कि जगह जगह फिर कर देखूं और इस बात का पर्सनल ज्ञान करूं कि अमुक स्टेट के अच्छे हैं। मैंने कहा कि कागजात मंगाकर देख

[श्री हिम्मतसिंह]

लिये जांय। तो उदयपुर के मंगाये, कोटा के मंगाये और एकाध और रियासत के मंगाये गये और उनको मुलाहिजा किया गया तो उन्होंने यह कहा कि दरअसल में हम उदयपुर के आंख मींच कर एडॉप्ट कर लेते कागजात तो बड़ी भारी गलती करते, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। इनसे कुछ ज्ञात ही नहीं होता है कि क्या स्थिति है किसी गांव की या किसी तहसील की। उन्होंने कोटा के कागजात मुलाहिजा किये तो मैं आपसे सही अर्ज करता हूं कि उनके यह लफ्ज थे कि ये यू० पी० के कागजात से बेटर हैं, और मेरे को इस बात की खुशी है कि मैंने यह कागजात देख लिये। तो आखिरकार निर्णय किया गया कि कोटे के लेन्ड रेकॉर्ड्स जो हैं वे तमाम फार्मर राजस्थान में एडॉप्ट किए जायें।

मैंने यहां रेवेन्यू ऑफिसर्स से भी बातचीत की इसी विषय में, तो सब अपनी अपनी जगह के अपने अपने गीत गाते हैं; बाकी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि दरअसल में राजस्थान के उपयुक्त लेन्ड रेकार्ड्स कौन से होंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से गलती करके कोई एक गलत समझ कर एडॉप्ट कर लेंगे लेन्ड रेकार्ड्स तो हमेशा के लिए एक आफत सी हो जायगी, तमाम लेन्ड रेकॉर्ड्स भ्रष्ट हो जायेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि कोटे का लेन्ड रेकॉर्ड्स सिस्टम है वह बिल्कुल खराब हो जायगा, जिस स्टेन्डर्ड पर हमने लेन्ड रेकॉर्ड्स पहुँचाये हैं वह बिल्कुल गिर जायगा। यह एक निश्चित सा खयाल हो जायगा कि जिस चीज को बहुत अधिक मेहनत से बनाया है उसको यहां के ऑफिसर्स समझते नहीं हैं। कहते हैं कि यह बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, कोशिश करो, बड़ा आसान है। जिसमें बिस्वे २ जमीन की हकीकत हो, एक एक पैसे की तफसील हो इस तरह का लेन्ड रेकॉर्ड आना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि आप जो सुझाव दे रहे हैं उनको वे और ज्यादा क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं, बड़ा वेल्यूएबल सुझाव है तो हम लोग उसे समझने की कोशिश करें, एमेन्डमेंट का कोई फार्म हो तो उसको समझने की कोशिश करें। कोटा में बहुत अच्छा होगा तो उसको एडोप्ट करने को जरूर तैयार होंगे। कोई अच्छा सुझाव हो और उसको नहीं मानें, ऐसी हमारी भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि एमेन्डमेंट का क्या फोर्म है वह अगर बता दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री हिम्मतसिंह—समझने का सवाल है, सरकार के सामने सारे कागजात हैं। आप मंगा लिजिये, मैं आपको समझा दूंगा।

श्री दामोदर व्यास—इस क्लॉज़ में किसी तरह का एमेन्डमेंट नहीं है आपका।

श्री हिम्मतसिंह—इसमें कौन से लेन्ड रेकॉर्ड को एडॉप्ट करना है उसके मुताबिक आपको एमेन्डमेंट दे दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें यह नहीं लिखा है कि कोटे का लेन्ड रेकॉर्ड सिस्टम एडॉप्ट किया जाय। You will have to give your suggestions in the form of an amendment. वह बतलाइये कि क्या एमेन्डमेंट करना चाहते हैं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अगर आप फरमायेंगे तो एमेन्डमेंट दे दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—We are considering it now and here.

श्री गोपीलाल यादव—अभी दे दीजिये, वह कह रहे हैं बार बार।

श्री अध्यक्ष—"Such other registers as may be prescribed."

श्री दामोदरलाल व्यास—It is already there.

श्री हिम्मतसिंह—यह ठीक है। वह तीनों ए, बी, सी में कैसे आ सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्यों नहीं आ जायेंगे, I can't understand?

श्री हिम्मतसिंह—इसमें लेन्ड रेकॉर्डस को रखा है, उसको भी एडाप्ट करेंगे। यह कैसे चलेगा?

वह तो ऐसा रजिस्टर है लेन्ड रेकार्डस का जिसको रखने से सारा कवर कर लेता है।

श्री गोपीलाल यादव—वह खेवट में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री हिम्मतसिंह से) आप कन्टीन्यु करिये।

श्री हिम्मतसिंह—मैं तो जो कुछ मुझे निवेदन करना था कर चुका। सुझाव दिया है, इसको ध्यान में रखने व देखने की कोशिश करें और निर्णय लें तो बेहतर होगा। वैसे ही पास कर दें इस क्लॉज़ को तो आपकी मरजी की बात है।

श्री वेदपाल त्यागी—पेंडिंग में रख लें।

श्री दामोदरलाल व्यास—पेंडिंग में रखने की जरूरत नहीं है। अगर एमेन्डमेंट देते तो कुछ अर्ज कर देता। फिर भी there is a sub-clause (b) जिसमें यह प्रोविजन है कि "such other registers as may be prescribed" तो अगर कोटा के बेटर रजिस्टर होंगे, तो वे प्रेस्क्राइब कर दिये जायेंगे।

Page No.70

[श्री दामोदरलाल व्यास]

एक एमेन्डमेंट जो दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य ने पेश किया है उसके लिए सिर्फ अर्ज कर देना चाहता हूं कि we are preparing under this section a record of rights- चूंकि अनऑक्यूपाइड लेन्ड के किसी के राइट्स इन्वॉल्व होते नहीं है इसलिए अलग रजिस्टर जो सजेस्ट किया है उसकी आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल यह कि कौनसी अनऑक्यूपाइड लेन्ड गवर्नमेंट की होगी उसको आलरेडी डिफाइन कर दिया है। किस प्रकार के रजिस्टर होने चाहिये उनका सब क्लॉजेज़ ए, बी, और सी में प्रोविजन है और भी किसी प्रकार के रजिस्टर गवर्नमेंट ठीक समझेगी तो वह प्रेस्क्राइब कर देगी। वह एमेन्डमेंट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

कुछ सजेशन हैं कि कोटे का लेन्ड रेकार्ड का तरीका बहुत अच्छा है। यह मैं मानता हूं, मगर इसमें प्रोविज़न है कि "such other registers as may be prescribed" अगर जहां पर लेन्ड रकॉर्ड का तरीका अच्छा होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जरूर एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी, सी रखे हैं तो यह यदि रख लिये जायेंगे तो एडॉप्ट नहीं कर सकेंगे ऐसी बात नहीं है। (ए) एस्टेट होल्डर्स का रजिस्टर तैयार करेंगे जिनका सारा ब्यौरा इसके अन्दर होगा। (बी) में खतौनी है जिसको डिफाइन १२३ सेक्शन के अन्दर कर दिया है। (सी) में रेन्ट फ्री ग्रान्ट का है। बहुत रेन्ट फ्री ग्रान्टीज़ हैं। इस प्रकार उनका एक रजिस्टर होगा। यदि एक रजिस्टर कन्सोलिडेटेड होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि लेन्ड रेकॉर्ड्स में क्या डिफरेन्स पैदा हो जायगा। यह तो आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि एस्टेट होल्डर्स रहने वाले नहीं हैं इसलिए उनकी जरूरत नहीं है। मगर जब तक हैं तब तक रजिस्टर रखना पड़ेगा। यदि कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट के रूप में दो रजिस्टर सेपेरेट रहे तो लेन्ड रेकॉर्ड्स का जो तरीका है उसमें फर्क नहीं पड़ता है, खतौनी को ऑलरेडी १२३ के अन्दर डिफाइन कर दिया है। इसलिए एमेन्डमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए the clause as it stands may kindly be passed.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह कह कर टाल दिया है कि हम रेकर्ड ऑफ राइट्स बना रहे हैं और अनऑक्युपाइड लैंड पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिये इस प्रकार के रजिस्टर की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन जमीन पर एस्टेट होल्डर का कब्जा, काश्तकार का कब्जा है या जो फ्री ऑफ रेन्ट काश्त करते हैं, उनका कब्जा है, ऐसी बात नहीं है बल्कि गांव वालों का सामुहिक रूप से कब्जा होता है, सामुहिक रूप से अधिकार होता है, उस अधिकार के लिये अलग रजिस्टर की आवश्यकता है। जैसे पाश्चर लैंड ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स होती हैं उन पर गांव वालों का सामुहिक अधिकार होता है, उस अधिकार को डिफाइन करने के लिये, शो करने के लिये रजिस्टर की

Page No.71

[श्री भैरूंसिंह]

जरूरत होगी, उसके लिये मैंने संशोधन पेश किया है। खाली यह कह देना कि पड़त जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होता, चाहे सरकार का है या नहीं है पर गांव वालों का उस पर अधिकार होता है क्योंकि वे उसका उपयोग करते हैं और उस पर उनका अधिकार शो करने के लिये रजिस्टर होना चाहिये; इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

दुर्भाग्य से मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार करने से इन्कार किया है, फिर भी मंजूर करने की स्वीकृति के लिये प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ में माननीय श्री भैरोसिंहजी ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२१ ए

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ ए० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२१ बी०, श्री हिम्मतसिंहजी।

राज श्री हिम्मतसिंह—In line six of the clause, add the words 'such land to the Gram Panchayt' after the words 'assign' and delete the rest of the words beginning from 'to such village... property of the State."

जैसी कि मेरी विचार-धारा थी उसी के अनुसार यह संशोधन मैंने प्रस्तुत किया, क्योंकि में समझता था....

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

कि इस जमीन के लगान के हकूक के लिये सरकार ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देगी, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा इस वक्त नजर नहीं आती। कहने को तो यह कहते हैं कि ८० फी सदी गांव वालों को फायदा पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं परन्तु यह कहने की बात है, फायदा पहुँचाने का तो सवाल नजर नहीं आता। जब सरकार चाहती ही नहीं और अपने हट पर दृढ़ है तो मैं समझता हूँ कि यह मेरा अमेंडमेंट मूव करना न करना बराबर सा है, क्योंकि सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं, उसूल ही नहीं स्वीकार किया तो यह मेरा अमेंडमेंट बेकार होता है। इसलिये माननीय चेयरमेन, मैं अपने इस अमेंडमेंट को मूव नहीं करना चाहता। इतना कह कर ही संतोष लेता हूं।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—और कोई संशोधन तो नहीं हैं। हां, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १२१ बी में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "Delete the word 'agricultural' occurring in the sixth line."

क्लॉज़ १२१ बी के अनुसार, जिसका सम्बन्ध १२१ से भी है, इस बात की व्यवस्था की गई है कि लैंड रेकर्ड अफसर एक सूची बनायेगा जिस सूची में इस जमीन का उल्लेख होगा, जिसके ऊपर कोई कानून संगत अधिकार नहीं रखता हो और बाद में वह ऐसी सारी जमीनों के बारे में एक नोटिस के द्वारा यदि इसके कोई क्लेमेंट्स हो सकते हैं तो उनके ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करेगा।

क्लॉज़ १२१ बी के अनुसार यदि गांव के लोग जिस जमीन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से किसी का अधिकार नहीं और १२१ के अन्दर जो सूची बनाई उसमें उसका इन्दराज हो जिस जमीन का कि वे सामुहिक रूप से उपयोग करते हैं तो एतराज करेंगे और लैंड रेकर्ड ऑफीसर कैसे हों; इसमें लिखा है : "the Land Records Officer may assign to such village or villages so much of such land as he may consider requisite for such purposes and shall mark off the remainder as, and declare it to be, the property of the State." लेकिन इसमें एक शर्त लगादी कि गांव वाले कौनसी जमीन पर कई दिनों से उपयोग

Page No.73

[श्री भैरूंसिंह]

करते आ रहे हैं, किस चीज पर दावा करेंगे : एक चारागाह की जमीन, दूसरी जमीन है 'other agricultnral purposee' की। काश्त के लिए कोई ऐसी जमीन थी, जिसका वे सामुहिक रूप से उपयोग करते आये हैं, या चरागाह की जमीन थी उसका किसी तरह उपयोग करते आये हैं तो लैंड रेकर्ड ऑफीसर को अधिकार होगा कि उस जमीन को दर्ज कर दे। मेरा संशोधन है कि जो हमने इसमें रखा है कि एग्रीकल्चरेबल जमीन जितनी है उस काश्त के लिये किसी जमीन को काम में लिया जाता है तो वह काश्त के लिए नहीं होकर दूसरे के लिए जो काम में लिया जाता है तो लैंड रेकर्ड बनाते वख्त उसको मान्यता देनी चाहिए। जिसे चरागाह के लिये हमने रखा है और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए रखा है, दूसरी जमीन का दीगर रूप रहा है या उनके अलावा और जमीनें हैं और उस जमीन का उपयोग गांव वाले सामुहिक रूप से कर रहे हैं तो उसके लिये क्या होगा।

हमने आगे व्यवस्था की है, उस पर लगान नहीं होगा; जैसे, प्ले ग्राउन्ड्स हैं, श्मशान हैं, रास्ते हैं, आम आदमियों के बैठने की जगह है, जानवरों के बैठने की जगह है; उन सारी चीजों पर लगान नहीं होगा, तो हमने एक चीज को स्वीकार किया है कि ऐसी जमीन पर जिस पर लगान नहीं होगा वह इसलिए नहीं होगा कि गांव वाले सामूहिक रूप से उसका उपयोग करते हैं। काश्त नहीं करते, उसको लगान से मुक्त किया है; तो गांव वालों का सामूहिक रूप से उस पर अधिकार है इस चीज को स्वीकार करना होगा।

और इस चीज को हम स्वीकार करते हैं तो इसके बारे में जितनी जमीन का सूची में इकरार किया गया है उनमें चारागाह और काश्त के लिये जिस सारी जमीन का काश्त के लिए उपयोग नहीं होता वह जमीन भी आ जाती है। काश्त के लिये सारी जमीन का उपयोग नहीं होता और जमीन अन्य कामों के लिये भी होती है, इसलिये उन जमीनों पर हमारा अधिकार है। मगर इसके जरिये से लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जितनी जमीन उचित समझे, चाहे वह पूरी की पूरी या उसमें से कुछ काट-छांट करके दे सकता है; इसलिये हमें इन शब्दों को हटाना पड़ेगा और इन शब्दों के हटाने के बाद यह क्लॉज़ इस तरह हो जावेगा :

"If no claim is made to such land as is mentioned in Section 121 A or if such Land is decided to be the property of the State but the inhabitants of the adjoining village or villages prove that they have thereto enjoyed the use of such land for pastural or other purposes,..." अगर इसके बीच में एग्रीकल्चरल शब्द होगा तो काश्त के लिये या दूसरे काम के लिये वह जमीन सामूहिक रूप में इस्तैमाल हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको हटा दिया जावे। गांव वाले सामूहिक रूप में या तो चारागाह की जमीन या दूसरी जमीन जहां पर चारागाह के लिये खेती की जाती है उस पर या उस जमीन को जिसे वे सामूहिक रूप से मान कर चलते हैं जैसे थ्रेशिंग फ्लोर आदि। इसलिये यह आवश्यक है कि इस धारा को गांववालों के समूचे रूप से उपयोग करने के अधिकार हैं वे उसी तरह से रखे जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन, जो एमेंडमेंट पेश किया गया है इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "एग्रीकल्चर पारचर" शब्द के मतलब को समझने में गल्ती हुई है। इसमें सामूहिक रूप से खेती नहीं होती। यह है कि बहुत सी ऐसी जगह है जिसे अदर अदर एग्रीकल्चर परपज़ेज़ मानते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने क्लॉज़ १२१ पर बहस करते वक्त इस पर बहुत जोर दिया था कि गांव में ऐसी जमीनें होती हैं जो सामूहिक रूप में काम आती हैं और उन्होंने मिसाल के तौर पर थ्रेशिंग फ्लोर, चारागाह आदि के लिये कहा था। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह इन्क्लूड करते हैं कि आमतौर से गांव वाले जिस जमीन को ....

श्री मानसिंह महार—श्मशान कहां रहेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब क्लॉज़ आवेगा, बता दूंगा। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर से जिस जमीन का ताल्लुक है वह विलेज गार्डन हो सकता है, चारागाह हो सकते हैं या एग्रीकल्चरल लेण्ड हो सकती है : " which are used by the common people in general."

इसके लिये यह शब्द रखना जरूरी है। एग्रीकल्चर पर्पज़ शब्द हटाने से जो पर्पज़ हम चाहते हैं काश्तकारों के उपयोग के लिये वह पर्पज़ पूरा नहीं होगा।

श्री भैंरूंसिंह—श्मशान भूमि आदि का क्या होगा ? Play-grounds--

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये अलग प्रोविज़न है। इसमें जहां तक जमीन को सामुहिक रूप से काम में लेने का मतलब है। They will utilize it as they have been utilizing. Agricultural purposes do not mean कि सिर्फ खेती करना। मैंने बताया कि मैन्योर डालने के लिये, विलेज 'forest', थ्रेशिंग फ्लोर आदि भी Agriculture purpose में आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये शब्द नहीं हटाये जाने चाहिये और इनका रहना बहुत जरूरी है

श्री भैंरूंसिंह—माननीय सभापतिजी, मेरे संशोधन के उत्तर में केवल एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ की डेफिनिशन में माननीय राजस्व मंत्री ने जो दलीलें दी हैं, उनके कहने का मतलब यह है कि खेती या खेती से संबंधित जितने भी खेत हैं; खाद डालना, जानवरों को बिठलाने की जमीन के सम्बन्ध में हो सकता है, गुवाड हो सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल परपजेज़ के लिये ये चारागाह की जमीन के अलावा और भी जमीन होती है उसके अन्दर हमें देखना होगा कि वह अधिकार किस जगह दिया है। उनके राइट्स को .....

श्री दामोदर लाल व्यास—आप दूसरे पर्पज़ेज़ बतावें। पंचायत एक्ट, लोकल बोडीज़.......

श्री भैरूंसिंह—अभी जब क्लॉज़ १०५ विचारार्थ लिया गया तो उस समय राजस्व मंत्री से सुनने को मिला कि जितनी आबादी की जमीन है उसको क्रय-विक्रय करने का अधिकार पंचायत को दिया गया है। जिस प्रकार शमशान भूमि का जिक्र करते हैं, उसके अलावा खलियानों के लिए भी भूमि का अधिकार है।

श्री दामोदर लाल व्यास—आप पंचायत एक्ट में बतावें।

श्री भैरूंसिंह—बताता हूं। पंचायत एक्ट में जितने भी पब्लिक प्लेसेज़ होंगी उनका वे प्रबन्ध करेंगे। वैसी स्थिति में केवल खलिहान या चारागाह की जमीन या अन्य जमीन जो खेती के काम में मानी जाती है जिसमें हर एक आदमी को अधिकार होगा। वह पंचायत एक्ट में जो पंचायत की ओबलीगटरी ड्यूटीज है उनमें है। ऐसी हालत में यह चीज बिल्कुल उचित नहीं होगी। खेल की मैदान हैं, नहाने धोने के स्थान हैं, गार्डन्स हैं, गांव में उठने बैठने के स्थान गुवाडियों के नाम से आस पास की जमीन है इत्यादि: ऐसी भूमि पर भी लोगों का अधिकार है। इनका उपयोग सामूहिक रूप से होता है। पाश्चर लैंड पर अधिकार होगा। इसलिये मैं दुबारा अर्ज करूंगा कि पब्लिक युटीलिटी पर गांव वालों का अधिकार है और यह संशोधन पब्लिक पर्पज़ेज़ के लिये आवश्यक है। मैं दुबारा अर्ज करूंगा कि यह संशोधन स्वीकार किया जावे।

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय चेयरमेन, माननीय सदस्य को फिर गलत फहमी हो गई है। हम लैन्ड रेवेन्यू लॉ बना रहे हैं। हमने टीनेन्सी एक्ट में लैंड की डेफिनिशन दी है। हमने १०१ से १०५ तक में रखा है कि that land as is defined in the Tenancy Act is agricultural land and we are dalaing with the agicultural land only as far as these clauses are concerned. इसलिये और बातें भी ले रहे हैं जो आबादी लैंड में आपने डील विथ करदी हैं, and now so far as this land is concerned. that is agricultural land. There fore, it should remain as 'other agricultural purposes'. इसका रहना बहुत जरूरी है और दूसरी बात जो बता रहे हैं वह बिल्कुल रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री सभापति—No further debate on this point.

श्री भैरूंसिंह—वे कहते है कि लैंड रेवेन्यू बिल खेती से सम्बन्ध रखता है।

श्री दामोदर लाल व्यास--यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहूं, जो समझ लिया करें।

I never said that the Land Revenue Bill concerns only the land for agricultural purposes.

इसमें हमने आबादी के लिये १०१ से ११० क्लॉजेज़ रखे हैं, चेप्टर अलग डाल दिया है और लैंड की जो डेफिनिशन है वह एडोप्ट की है। टिनेन्सी बिल में लैन्ड को डिफाइन किया है।

Page No.76

[श्री दामोदरलाल व्यास]

That is only agricultural land.

आबादी लैंड को निकाल दिया तो एग्रीकल्चर लैंड रह गई ।

श्री सभापति—No further debate on this point

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १२१ बी पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १२१ बी विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १२१ सी, इस पर कोई संशोधन नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ सी विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ सी विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

श्री मानसिंह महार—हिम्मतसिंहजी के अमेंडमेंट का क्या हुआ ?

श्री दामोदर लाल व्यास—१२१ सी पर कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

श्री सभापति—१२१ डी पर है ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ११-३५ पर पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १२१ डी, श्री हिम्मतसिंहजी ।

राज श्री हिम्मतसिंह—१२१ डी इस तरह से है......"Determination and record of khudkasht land.—The Land Records Officer shall ascertain and determine the extent of all land held as khudkasht and shall record the same as such"

उसके बारे में मेरा अमेंडमेंट यह है, "Substitute the word 'such' in the last line by the words 'khatedari land."

जागीर रिजम्पशन एक्ट और टिनेन्सी एक्ट में हम मान चुके हैं कि जितनी खुदकाश्त लेन्ड है वह खातेदारी लेन्ड मानी जावेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Where is that?

श्री हिम्मतसिंह—आपने स्वीकार किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—You better read it again. That is not so.

श्री हिम्मतसिंह—आपने स्वीकार किया है । जितनी खुदकाश्त की जमीन है उसको उसके खातेदारी राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं । ऐसी सूरत में खुदकाश्त इसमें रखना वाजिब नहीं होता है और ये सब खातेदारी में चले जाने चाहिये । इसीलिए मैंने यह रखा है, "In the end add the words,..."khatedari land."

कुं० श्री जसवन्तसिंह—खुदकाश्त का क्या रूप बन जायगा ? खुदकाश्त जिनके पास है उनके हक-हकूक खातेदारी से मुख्तलिफ रहेंगे या कैसे रहेंगे ? अगर एक ही रहेंगे तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह एमेंडमेंट यहां उपयुक्त नहीं है । खातेदारी राइट्स ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में डील किए हुए हैं । क्लॉज़ १२ क्लीयर है कि, "On the resumption of a Jagir under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952), the Jagirdar holding khudkasht shall become a khatedar tenant thereof, and he shall be entitled to all the rights conferred and be subject to all the liabilities imposed on a khatedar tenant by or under this Act."

तो जहां तक टिनेन्सी का ताल्लुक है वे किस टाइप की होंगी, वह हमने टिनेन्सी एक्ट में डील कर दिया । That is quite clear under that Act. इसमें हम सिर्फ रेकर्ड बना रहे हैं । इसमें सिर्फ खुदकाश्त एन्टर होगी । This is not disputed and as a matter of fact tenancies are governed by that Act. इसलिए इसमें इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आवश्यकता इसलिए बन जाती है कि एक चीज इन्डेफिनिट है जिसको साफ करना है। हर एक चीज को साफ करना अच्छी बात है।

आपने ओब्जेक्शन किया कि यह मीटिरियल चीज नहीं। खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स समझे जायं। टिनेन्सी एक्ट में बिल्कुल साफ है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरे मित्र ने जो एमेंडमेंट रखा है वह दुरुस्त है। जो चीज साफ नहीं है वह बिल्कुल आइने की तरह साफ हो जाय। अगर एमेंडमेंट रहे तो आपको क्या हर्ज है?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है। खुदकाश्त के जो राइट्स होंगे वही होंगे, मैंने डिनाई नहीं किया है। क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे; मेरे ख्याल से मेरे समझाने की जरूरत नहीं है और माननीय सदस्य खूब समझते हैं। बहस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—बहस की ज्यादा आवश्यकता नहीं, यह फरमाया लेकिन डिफ्रेंसियेशन ज्यादा हो रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, आप इस बात को मानेंगे कि जागीर्स रिज्यूम नहीं हो जायगी तब तक उसको खुदकाश्त दर्ज करना जरूरी है। जागीर रिज्यूम होने के बाद हमने Tenancy Act में provision कर लिया है कि वह खातेदार टिनेंट बन जावेगा। It is only a general provision so far as entries in the record are concerned, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको बहुत शंका और शुबहा करने की जरूरत हो।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर अर्ज करूंगा कि काम करने वालों को इससे मुगालता हो जायगा। चाहे जागीर का रिजम्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, वह तो खुदकाश्त ही उसको दर्ज करेगा। इसलिये मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि एन्ट्रीज़ जो हों वे अच्छी तौर से होनी चाहिये। खुदकाश्त का क्यों प्रयोग किया जाय, क्यों न खातेदारी लिखा जाय; ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसलिए यह रखा है। पटवारी लोग आमतौर पर गलती करेंगे। खुदकाश्त रखने से कई इम्प्लीकेशन्स होंगे। इसलिये खातेदारी होने से यह साफ हो जायगा। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं तो अर्ज कर चुका।

श्री उपाध्यक्ष—इसको विद्ड्रा कर रहे हैं?

श्री हिम्मतसिंह—विद्ड्रा करने का क्या सवाल है? वाजिब चीज को भी नहीं मानते हैं।

Page No.79

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२१ डी पर श्री हिम्मतसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री हिम्मतसिंह—हम जोर से बोले थे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ डी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ डी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ ई विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ ई विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ (१२२)

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके बाबत मेरा एक एमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—१२१ ई पर नहीं आया है। शायद डिसअलाऊ हो गया होगा।

श्री हिम्मतसिंह—रह गया होगा, जाने दीजिये।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ १२३, श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२३ खतौनी के पर्टिकुलर्स के विषय में है । खतौनी में क्या क्या चीजें दर्ज की जावेंगी, मैं इस पर ज्यादा अर्ज न करके रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि कोटा के लेन्ड रेकर्ड्स हम देख लेंगे और उनको अगर हम उचित समझेंगे तो उसके माफिक हम इसको एडोप्ट कर लेंगे । अगर आप कोटा के लेन्ड रेकर्ड में से खाते एडोप्ट करते हैं तो उस खाते से यह खतूनी कवर हो जाती है और सूक्ष्म से मैंने इसमें यह एमेंडमेंट दे दिया है । जब आप उन कागजात को खुद मुलाहिजा करेंगे तब ही आपको मालूम होगा और मुलाहिजा कराने वाले भी साथ में होंगे तब आपको ठीक तरह से देखना होगा कि दरअसल जो चीज खाते में है वे ज्यादा यूज़फुल हैं या जो प्रोविजन खतूनी में रखे हैं वे ज्यादा काम में आ सकते हैं ?

इसलिये अगर आप इसको मुलाहिजा फरमायेंगे तो मुझे निश्चित विश्वास है कि आप उस प्रोसीजर को अडोप्ट करेंगे । आप दोनों को देखकर अडोप्ट करें तो ज्यादा बहतर होगा । मेरा जो यह अमेंडमेंट है अगर आप इस पर गौर करेंगे तो मुझे मूव करने की जरूरत नहीं । इस वक्त चाहे आप खतौनी का नाम दें या खाते का नाम दें मुझको इसमें कोई एतराज नहीं । कोटा के अन्दर किस किस प्रकार खाते रखे जाते थे, जैसा कि आपने कहा आप कोटा के प्रोसीजर को भी देखेंगे । कोटा को देखकर ही आप निर्णय करेंगे । आप जैसा चाहें उस तरह का फैसला करें, मुझे कोई एतराज नहीं ।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसीजर आप सजेस्ट कर रहे हैं वह ऑलरेडी लैन्ड रेकर्ड मेन्युअल में मौजूद है । इसके अलावा ऑलरेडी लैन्ड रेकर्ड मेन्युअल में इस प्रकार का यह कॉलम मौजूद है जो कि आप सजेस्ट कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त क्लॉज २८६ के सब क्लॉज़ (२) में जो रूल मेकिंग पोवर्स हैं उसमें जो आपके पोइन्ट्स हैं वे खतौनी को दर्ज करने के हैं कि वह दर्ज कर सकते हैं । अगर कोटा के लैन्ड रेकर्ड से ऐसी बातों से पता चलेगा, जिसको एडोप्ट करना आवश्यक होगा, उनको रूल मेकिंग पॉवर्स के अन्तर्गत ले सकते हैं ।

श्री जवानसिंह—ओन ए प्वोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, क्लॉज़ १२३ जो पास करने जा रहे हैं उसके दो नाम रखें हैं 'पर्टिक्युलर्स टू बी स्टेटेड इन खतौनी'। तीसरा कोई नाम नहीं, चौथे का भी कोई जिक्र नहीं, तो खसरे को कहां Define किया है। होना तो यह चाहिये कि खसरे का कोई प्रोविज़न पहिले किया जाये और तब उस शब्द का इस्तेमाल किया जावे।

राज श्री हिम्मत सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे मुझको काफी संतोष हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरा सुझाव है उसको आप जिस तरह से दूसरे सुझावों को लाइटली लेते हैं इसको न लें......

श्री दामोदरलाल व्यास—लाइटली नहीं लिया, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि जो भी आप कोटा के लेन्ड रेकर्ड्स में बतायेंगे उसको हम एडोप्ट करेंगे। यह बात नहीं कि जो अच्छी बात हो उसको हम एडोप्ट नहीं करें।

श्री हिम्मतसिंह (जारी)—मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि आप कोटा के लेन्ड रेकर्ड्स के कागजात मंगावें। उनको या तो आप देखें या आपके सेक्रेटरी या जो माल विभाग के विशेषज्ञ हों उनको दिखावें तथा और भी अन्य रियासतों के जितने भी कागजात हों वे भी आप मुलाहिजा फरमावें, फिर आप सबको देखकर किसी निर्णय पर पहुंचे ताकि राजस्थान के लिये कोई ऐसी चीज बन सके जो दर असल में उपयोगी हो और काम में आ सके; इसी बात पर मैं जोर दे रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेन्ट को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री हिम्मतसिंह जी को अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राज श्री हिम्मत सिंह—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉजेज १२४ व १२५ पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह कि खण्ड १२४ व १२५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १२४ व १२५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १२६

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १२६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२७

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२७ में दो सब सेक्शन्स दिये हुए हैं और रेकर्ड ऑफ राइट्स के एन्ट्रीज़ के डिस्प्यूट के लिये इसमें व्यवस्था की गई है। पहला सबक्लॉज़ तो यह है कि ऐसे डिस्प्यूट्सपेजेशन (desputes possession) की बेसिस पर डिसाइड किये जायेंगे इसलिये जो इन्क्वायरी होगी समेरी इन्क्वायरी पर उनका डिसीजन कर दिया जायगा। जितने भी लॉ बनते हैं उसमें समेरी रेमेडीज़ दी जाती हैं लेकिन समेरी रेमेडी को फाइनल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद भी पार्टीज़ को अधिकार दिया जाता है कि वे सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स में जा सकते हैं अपने डिस्प्यूट्स को तय करवाने के लिये। इसलिये इसमें सब क्लॉज़ (३) जोड़ने के लिये मैंने एक अमेंडमेंट पेश किया है जो इस तरह है : "add the following sub-clause (3)--

'(3) No order as to possession passed under this Section shall debar any person from establishing his right to the property in any Civil or Revenue Court having jurisdiction.' "

[श्री श्यामलाल गोयल]

तो मैं यह समझता हूँ कि जब हम समेरी पावर्स दें डिसीज़न के तो इसके साथ यह भी जरूरी है कि रेगूलर (Regular) इन डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने का प्रोसीजर भी डिसाइड कर लें। यही नहीं कि अगर क्लॉज़ १४४ आप देखें तो आपको यह मालूम होगा कि इस क्लॉज़ का सब क्लॉज़ (३) जो पहले मौजूद था वह न मालूम किस वजह से हट गया है ? क्लॉज़ १४४ इस तरह से है :

" 144. Decisions to be binding on revenue courts—Subject to the provisions of sub-section (3) of section 127, all decisions under this chapter in cases of dispute shall be binding on all revenue courts in respect of the subject matter of the dispute unless such dispute be with regard to the rent or revenue payable by a tenant.

तो इसमें सब क्लॉज़ (३) क्लॉज़ १२७ में तो पहले से ही प्रोवाइडेड है और उसी के मुतल्लिक यह अमेंडमेंट करने जा रहा हूँ। पहले यह इसमें था जो किसी वजह से रह गया है। एक प्रश्न इसमें पैदा होता है। चूंकि एक अमेंडमेंट इस क्लॉज़ में माननीय राजस्व मंत्री ने पेश किया है, उसमें और मेरे अमेन्डमेंट में थोड़ा सा फर्क है। उन्होंने तो "right to the property in any court having revenue jurisdiction." रखा है।

और मैंने मेरा अमेंडमेंट : "right to the property in any Civil or Revenue Court having jurisdiction." रखा है।

मैं समझता हूं कि 'सिविल कोर्ट' शब्द यहां भी रहना जरूरी है और क्योंकि क्लॉज़ २६४ में जो पोवर्स पोवाइडेड हैं वहां सिविल कोर्ट को भी दिये जांय। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सिविल और रेवेन्यू दोनों रहने चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जो एमेंडमेंट रखा है मैं उसे मूव नहीं करता हूं। जो एमेंडमेंट हमारे गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार करता हूं।

श्री श्यामलाल गोयल—Not Gangapur but Nadoti.

श्री दामोदरलाल व्यास—Nadoti, I am sory.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है धारा १२७ में, उसको स्वीकार किया जाय ?

Page No.84

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२७, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १२८ और १२६, दोनों में कोई संशोधन नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह दोनों क्लॉज़ेज़ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १२८ और १२६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १३०, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३० पर मेरा एमेंडमेंट इस प्रकार है :

Substitute the following for clause 130—

"Maintenance of map and field book- The Collector shall in accordance with rules made under this Act maintain a map and field book of each village in his district and shall cause annually or at such longer intervals as the State

Page No.85

[श्री चांदमल मेहता]

Government may prescribe to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book."

उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा क्लॉज़ १३० इस प्रकार है— Officer-in-I-charge of maintenance.-(1) When a permanent land records officer has been appointed to a district, he shall remain in-charge of and maintain the map, field book, the record of rights and the register of villages for such district.

(2) In case no such officer has been appointed, the Collector shall remain in-charge of and maintain the same."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्लॉज का ताल्लुक है उसमें इतनी चर्चा हो चुकी है : "The Collector shall be the Land Records Officer in his district."

जहां तक परमानेन्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर का ताल्लुक है हमने यह तय कर लिया है कि कलेक्टर पर्मानेन्ट लेन्ड रेकॉर्ड आफिसर रहेगा तो इस तरह की भाषा ठीक नहीं होगी।

दूसरा मैंने जो एमेन्डमेन्ट दिया है...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, to cut short the discussion यह एमेंडमेंट मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह ठीक है। आपने जो रीज़न्स बताये हैं वे उपयुक्त हैं, मैं मानता हूं। I think that may be corrected.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस धारा पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज १३०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ १३१, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मूव नहीं करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं मूव करता हूं ।

वैसे तो क्लॉज १३० जो हमने पास कर दिया है "The Collector will maintain" से यह सम्बन्ध रखता है । मैंने प्रस्ताव रखा है "The Land Records Officer or the Collector as the case may be" यहां लेंड रेकार्ड के डिस्प्यूट के बाबत यह लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर और कलेक्टर "as the case may be" यह दोनों आये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका क्या संशोधन है ?

श्री हिम्मतसिंह—कलेक्टर का नाम निकाल दिया जाय । वैसे तो यह बाउन्ड्री डिस्प्यूट का काम अगर देखा जाय तो तहसीलदार के ही......

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अपने एमेंडमेंट को डील कीजिये कि क्यों तहसीलदार पर जाते हैं ?

श्री हिम्मतसिंह—आप पॉवर नहीं देना चाहते हैं तो क्या फायदा ? आप तमाम पॉवर्स सेन्ट्रलाइज़ कर रहे हैं कलेक्टर में और कलेक्टर को एक मिनिट की फुरसत नहीं है । एक मामूली सा बाउन्ड्री डिस्प्यूट भी कलेक्टर से डिसाइड कराते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—फाइनल करने की जरूरत है । वैसे तो तहसीलदार करते ही हैं; To cut short the discustsion मैं आपका एमेंडमेंट स्वीकार करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंह—मुझे खुशी नहीं है कि आप स्वीकार करते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या आप चाहते हैं कि आपका एमेंडमेंट स्वीकार नहीं हो ?

Page No.87

श्री हिम्मतसिंह—मैं इसको प्रेस करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—आप उपयोगी मानते हैं या नहीं, आपके एमेंडमेंट को ?

श्री हिम्मतसिंह—मैं उपयोगी नहीं मानता कतई।

श्री उपाध्यक्ष—तो वैसे ही पेश कर दिया। आप विद्ड्रा करना चाहते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—बिल्कुल विद्ड्रा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३१ पर श्री हिम्मतसिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३२, श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३२, के सब क्लॉज़ (१) के विषय में मेरा संशोधन है। वह इस प्रकार है : Delete the words 'holders of villages, estates or fields' in line two and insert the words 'land holders and estate holders' between the words 'all' and 'shall' in lines one and two' इसमें "holders of villages" यह एक नया फिकरा आया है। न तो टिनेन्सी में इसका जिक्र है और न कोई जगह रेवेन्यु क्लॉज़ में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि "holders of villages" के बजाय 'land holders and estate holders' यह फिकरा रखा जाय, जिससे यह भाषा स्पष्ट हो जाती है। यह कोई ऐसी खास बात नहीं है।

(विराम)

इसको विचारार्थ रहने दीजिये, फिर ले लीजियेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे ख्याल से मतलब तो वही है जो बता रहे हैं पर इसमें गलतफहमी की बात नहीं है, होल्डर्स ऑफ विलेज़ को डिफाइन नहीं किया है...... That means they are lenp-holders of course. और ऐसे विलेजेज़ हैं अब भी जो रिज़म्पशन ऑफ जागीर में इन्क्लूडेड नहीं हैं, माफी के हैं मन्दिर वगैरह माफी के हैं ; but still they comprise of whole village. So they are also holders of villages. इसलिये मेरे ख्याल से ऐसी चीज नहीं है कि गलतफहमी हो इसके इन्टरप्रिटेशन में।

आप लेन्ड होल्डर रखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, मगर बहुत से सेक्शन्स में चेन्ज करनी पड़ेगी। इसको रखने से कोई अहित होता नहीं है and the meaning and the purpose is the same.

इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी कोई मेटीरियल चीज नहीं है; मिस अन्डरस्टेन्डिंग रहने की बात नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मतलब तो वही है पर मेरा एतराज तो खाली लेंग्वेज का था। ऐसी किसी माल के कानून में लेंग्वेज नहीं आई है, तो यहां मुझको पॉइन्ट आउट करना है। अगर आपको तसल्ली है कि कोई आगे इम्प्लीकेशन्स नहीं आवेंगे तो ठीक है।

अगर इजाजत होगी और चाहेंगे तो मैं एमेंडमेंट विद्ड्रा कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १३२ पर श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री हिम्मतसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

धारा १३३, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—श्री उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३३ पर मेरे दो संशोधन हैं। पहला संशोधन है: "Substitute the word 'Collector' for the words 'The Officer, referred to in Section 130 in lines one and two.

यहां चूंकि क्लॉज़ १३० में जहां लैंड रेकर्ड्स ओफीसर की बजाय कलेक्टर कर दिया है तो इस धारा में भी यह हो जाय तो ठीक रहेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी को इसे मानने में कोई एतराज नहीं होगा।

दूसरा मेरा अमेन्डमेंट है: "Add the following at the end of the clause:—

'When such sum cannot be recovered or if the offender cannot be discovered the Collector shall restore the mark and recover the cost thereof from such land holders of the conterminous villages, estates or fields as he thinks fit."

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो दूसरा मेरा अमेंडमेंट है वह कोई नया अमेंडमेंट नहीं है बल्कि ओरीजिनल बिल में जैसा था उसी रूप में है और सिलेक्ट कमेटी ने इसको डिलीट कर दिया था। इसमें, धारा १३३ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई निशानात मिटा दिये जांय या बाउन्डरी में तब्दील कर दिया जाय तो ५०) रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है।

पर प्रश्न यह है कि जहां यह मालूम न हो सके कि यह किसने किया है, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय; आम तौर पर ऐसी बात होती है कि गांवों के अन्दर सम्पत्ति का झगड़ा हो और सामूहिक रूप से गांव वाले बाउन्डरीज़ के झगड़े को मिटा दें तो उस हालत में पता चलना मुश्किल होता है और मालूम नहीं हो तो ऐसे निशानात बनाने के लिये सरकार को खर्चा करना पड़ेगा।

इस तरह की धारा जोड़ देते हैं तो गांव वाले, खेतों वाले सावधान रहेंगे कि उनके खेतों के निशानात, बाउन्डरी के निशानात मिटा नहीं सकें, तब्दीली नहीं कर सकें। इसी दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मननीय उपाध्क्ष, ये दोनों संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूँ। जहां तक पहला संशोधन है, मुझे यों का-यों स्वीकार है लेकिन जो दूसरा संशोधन है... 'or gram panchayat' का है...

श्री चांदमल मेहता—यह मैंने पढ़ा ही नहीं था।

Page No.90

श्री दामोरलाल व्यास—That is all right. Without these words I am prepared to accept the amendments.

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ १३३ पर प्रस्तुत किया है वह कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन कुछ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३४, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

धारा १३५, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ १३५ पर मेरे अमेन्डमेंट्स इस प्रकार हैं:

पहला: "Substitute The word 'Collector' for the words 'the Officer referred to in section 130" in line one and two of sub-clause (1)."

[श्री चांदमल मेहता]

दूसरा : "Substitute the word 'Collector' for the words 'Such Officer' in line one of sub-clause (2)"

तो ये ऐसे संशोधन हैं जिनके बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि इन्हें माननीय राजस्व मंत्रीजी स्वीकार करेंगे ।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—हां साहब, ये दोनों संशोधन मुझे स्वीकार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह ।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—यह तो छोटा सा संशोधन है जिसको मैं वाजिब समझता हूँ । "Insert the words and figures 'and 123' between the figures and the word '122' and 'and'. Substitute a comma in place ot the word 'and' occurring between the figures '121' and '122'. क्योंकि खतूनी भी तो एन्युअली मेन्टेन होगी इसलिए यह भी मेन्टन होना चाहिए । १२१, १२२ से काम नहीं चलता । १२३ भी इसमें होनी चाहिए । यह भी रजिस्टर्ड है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह ऑलरेडी १२१ में प्रोवाइडेड है, आप देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायें ?

(**स्वीकृत**)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

श्री **हिम्मतसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री हिम्मतसिंह ने जो संशोधन पेश किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(**स्वीकृत**)

वापिस लेने की स्वीकृति दी गई ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ १३६, इस पर श्री हिम्मतसिंह का संशोधन है।

श्री हिम्मतसिंह— माननीय उपाध्यक्ष, यह एक क्लॉज़ है "Report of succession and transfer of possession.—(1) Evesy person obtaining possession by succession, transfer, or otherwise of any property or other right or interest in any land or the profits thereof, which is required by this Act, or anv rules made thereunder to be recorded in the annual registers, shall bring the fact to the village patwari and report it to the Tehsildar of the Tehsil in which such land is situated, either direct or through the village Patwari or Land Records Inspector, within three months from the date on which he obtains such possession,"

मेरा संशोधन इस क्लॉज़ में यह है: "Insert the words, 'in a form prescribed and obtain a receipt thereof' between the words, 'Patwari' and 'and' in line six in sub-clause (1)"

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि रिपोर्ट के लिए ऐसा प्रेस्क्राइब्ड फोर्म होना चाहिये जिससे सक्सेशन की रिपोर्ट करनेवाले को रसीद मिल जावे। इसके अभाव में किस तरह से उसने इत्तिला दी, क्या तरीका होगा, कौनसी तारीख को उसने इत्तिला दी यह एक सोचने की बात है। जब तक इसके लिये कोई प्रेस्क्राइब्ड फोर्म नहीं हो जिसमें की रसीद दी जावे तब तक कोई पता नहीं लगेगा। चाहे किसी कागज पर रसीद दे दें, यह ठीक नहीं है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। वैसे तो भूतपूर्व कोटा रियासत में ऐसे मामले होते तो उनमें इन्तकाल के लिये रजिस्टर होता था जो पटवारी के पास रहता था, उसके पास वे लोग जिनके सक्सेशन होते थे इन्तकाल वाले का नाम दर्ज करा देते थे और उनसे रसीद ले लेते थे और जब कभी तहसीलदार का उधर दौरा होता और वह दौरे में आता था तो उस वक्त हाथों-हाथ उसको वहीं पर निर्णय देने का मौका मिल जाता था। यहां पर आपका न मालूम क्या तरीका होगा? आपके नये कानून के माफिक यह देखने की बात है। इसलिये मैं प्रेस्क्राइब्ड फोर्म पर रसीद मिलना जरूरी समझता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जो क्लॉज़ की लेंग्वेज है वह बहुत स्पष्ट है और इसमें प्रेस्क्राइब्ड फोर्म का होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ सक्सेशन और ट्रान्सफर की इत्तिला तहसीलदार के पास समय में पहुंच जानी चाहिये

[श्री दामोदरलाल व्यास]

किसान खुद दे दे या पटवारी या कानूनगो के जरिये दे देना चाहिये। यह एक रूल्स की बात है। इत्तिला देना, उनका काम है and this is the only procedure of mutation, ताकि कार्यवाही हो जावे। अगर इसमें फोर्म प्रेसक्राइब्ड कर दिया जावेगा तो मैं समझता हूं कि किसानों को सहूलियत के बदले मुसीबत हो जावेगी। पहले उनको फोर्म ओब्टेन करने होंगे और फिर भरवाने होंगे। इस तरह से उनको दिक्कत होगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, राजस्व मंत्री ने अभी जो फरमाया उस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें जो क्लॉज़ १३० फोलोइंग है उसको देखेंगे "Any person neglecting to make the report, etc.' तो आपको मालूम होगा कि जब रिपोर्ट नहीं की तब आपत्ति हो जावेगी और अगर किसी ने रिपोर्ट कर भी दी होगी और उसको रसीद नहीं मिली होगी तो भी वह यह नहीं कह सकता कि मैंने रिपोर्ट कर दी इसलिये बेचारा किसान मर जावेगा। इसलिये मैंने यह प्रेस्क्राइब्ड फोर्म पर रसीद का संशोधन रखा है; अगर उसके पास रसीद होगी तो वह बतला सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अपना एमेंडमेंट जरा वापिस पढ़ दीजिये। Where would you like to insert these words ?

श्री हिम्मतसिंह—Insert the words, "in a from prescribed and obtain a receipt thereof" between the words 'Patwar' and 'and' in line six.

श्री दामोदरलाल व्यास—"notice of the village patwari and take a receipt thereof...' ठीक है, यह एमेंडमेंट इतना सा "It may be given to the Patwari" मानने के लिये तैयार हूं। आप अलग रखदें। उसको रिपोर्ट का अधिकार होगा But I think instead of putting the words 'ake a receipt there of' which are not happily worded, it would be better to add a fresh sub-clause vig. 'Every person giving information to the patwari under this section will not be entitled to get a receipt, I think that will be better.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—I don't mind how you word it, but he must get a receipt to escape all the consequences.

श्री दामोदरलाल व्यास—Otherwise this can be covered by Rules. मैं तो खुद कहता हूं कि रूल में आ जाना चाहिये। As a matter of fact उसको रसीद देने के लिये

[श्री दामोदरलाल व्यास]

इन्सिस्ट करते हैं। We can cover it by Rules. We shall make it a point that this particular point will be covered by the Rules. I think if that satfsies the Hon'ble Member we may not amend the clause at all.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—I will be satisfied if it is prescribed in the Rules, but you must make sure that it is prescribed in the Rules.

श्री दामोदरलाल व्यास—That will be prescribed in the Rules.

श्री हिमतसिंह अटरू—Then I am asking the House to allow me to withdraw my amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, Sir.

श्री हिमतसिंह (अटरू)—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने क्लॉज़ १३६ पर रखा है उसे वापिस लेना चाहते हैं, क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३७ श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ को डिलीट किया जावे, ऐसा मेरा संशोधन है। क्लॉज़ १३७ इस प्रकार है : "Fine for neglect to report —Any person neglecting to make the report required by Section 136 shall be liable to a fine not exceeding rupees ten "इसको डिलीट करने के बारे में मैंने अपना संशोधन रखा है। माननीय उपा-

[श्री चांदमल मेहता]

ध्यक्ष, हमें फाइन करने के संबन्ध में पहले उसूल निर्धारित करने चाहियें और उसके साथ जैसा कि हमने धारा १३६ में व्यवस्था की है सक्सेशन और ट्रान्सफर आदि के बारे में रिपोर्ट की जावेगी और वह सब रिपोर्ट में दर्ज किया जावेगा; तो मैं यह आवश्यक मानता हूं कि आप म्युटेशन फी मुकर्रर कर दें और अगर कोई उसकी अवहेलना करे तो म्युटेशन पर हम कुछ करें; तो उस स्थान से मैंने इसको डिलीट करने के लिये संशोधन रखा है। आगे आनेवाले मेन म्युटेशन फीस के लिये मैंने संशोधन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको मंजूर करेगी। इसके आगे का जो क्लॉज़ है उससे मेन संबन्ध रखती है अन्डर १३८ से, जिसमें मैंने यह निवेदन किया है: "Add a fresh clause 138A as under;--"Power to prescribe fees for mutation.-(1) The State Government may prescribe proper fees for mutation in registers.

Provided that no fee for a single mutation shall exceed Rupees five.

(2) Such fees shall be levied on the person in whose favour the mutation is made."

यह म्युटेशन के बारे में है। अब जहां फाइन का ताल्लुक है उसमें आगे १३८ बी और एड करने के बारे में कहा है। वह यह है: "Fine for neglect to report—Any person neglecting to make the report required by Section 136 shall be liable to a fine not exceeding five times the amount of the fee which would otherwise have been payable under section 138A or when no fee is leviable then not exceeding such amount as the State Government may by rule prescribe."

तो इस प्रकार मैंने इस सम्बन्ध में पहले म्युटेशन फी रख करके क्या फाइन होना चाहिये इस सम्बन्ध में संशोधन रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्षजी, श्री चांदमलजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। पहले से ही किसानों पर काफी बोझा पड़ा हुआ है, काफी टेक्स हैं। मेवाड में भी काफी लगे हुये हैं। जहां पर म्युटेशन पर पांच रुपया लगा दिया जाय और पेनाल्टी भी कई गुन बढ़ा दी जाय तो यह काश्तकारों में अशान्ति पैदा करेगा। क्लाज़ में १०) तक फाइन रखा है, वह काफी ठीक है। जो अमेन्डमेंट रखा है वह ठीक नहीं है, वह किसानों में घोर अशान्ति पैदा करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—१३७ की बात कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि १३७ पर जो संशोधन श्री चांदमलजी मेहता ने रखा है······

श्री चांदमल मेहता—पहले रिप्लाई तो हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब नहीं दिया है। १३७ और १३८ मूव कर दिया गया है।

मैं समझता हूँ माननीय उपाध्यक्ष, इसमें एक पोइन्ट है। १३७ और १३८....

श्री उपाध्यक्ष—उसको बाद में लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—ये इन्टर कनेक्टेड हैं। १३७ को डिलीट करके १३८ ए और बी रहने चाहिये, यह संशोधन है। यह भी डिलीट हो गया और यह भी हो जायगा तो दिक्कत हो जायगी।

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि चूंकि इसमें म्युटेशन फी का सवाल है और आपके अमेन्डमेंट पर विचार करना है इसलिए इसको डेफर कर दिया जाय कल तक के लिए तो ठीक है। Clauses 137 and 138 be deferred. We can take them tomorrow.

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसका विरोध भी हुआ है। काश्तकारों के ऊपर इस प्रकार का भार नहीं पटकना चाहते हैं तथा और भी घोर विरोध हुआ है। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि उसको डेफर कर दिया जाय और विचार कर लिया जायगा तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं भी उनको यहां यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जो सक्सेशन का एकिजस्टिंग तरीका है कि जब तक रजिस्ट्री पेश नहीं हो जाती है तब तक इसको टेक अप नहीं करते हैं तो रजिस्ट्री लाजमी हो जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास—टिनेन्सी एक्ट में प्रोवाइड कर रखा है।

श्री हिम्मतसिंह—फिर इतनी फीस लगा देंगे तो डबल जुर्माना हो जावेगा। वैसे मैं सूचना के तौर पर इत्तला दे दूं कि कोटा रियासत में म्युटेशन फीस चार आने के ऊपर चाहे सक्सेशन की हो, चाहे ट्रांसफर की हो करा सकते थे। लेकिन चूंकि सरकार गरीबों से पैसा कमाना चाहती है और उनको ये सहूलियतें देना चाहती है, इसलिए माननीय मन्त्रीजी को इस पर पूरा विचार करना चाहिये कि गरीबों को सहूलियतें मिलें और उनसे पैसा कमाने की इच्छा न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास—धन्यवाद आपको।

श्री उपाध्यक्ष—ये दोनों ही मुल्तवी कर दिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—१३८ ए. और बी. को डेफर कराना चाहता हूँ, लेकिन १३८ को as it is लेना चाहता हूँ। He wants to add something after clause 138. So I think we should take up clause 138 now and defer clause 137 only. वे तो महज १३८ ए और बी नये एड कराना चाहते हैं in connection with section 137.

श्री उपाध्यक्ष—इस पर कोई असर नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—असर तो पूरा है, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ १३९, —श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह—१३९ पर मेरा एक संशोधन है कि यह जो पॉवर है वह आप ज्यादा सेन्ट्रलाइज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इसको असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास रखें। आपको ये पॉवर्स तहसीलदार को दे देने चाहिए और उसके डिसीजन पर एतराज होगा तो आगे वह मामला अपील में आ सकता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तहसीलदार से भी काम लेना चाहिए, उनको खाली तहसील में बिठाये ही नहीं रखना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य ने टिनेन्सी एक्ट के वक्त में ध्यान नहीं रखा। उसमें इस प्रकार के केसेज़ को डिसाइड करने के अधिकार दिये गये हैं। अगर आपका अमेन्डमेंट स्वीकार किया तो that will be a clear conflict between the Tenancy Act and this provision.

इसलिए आप इसको मूव नहीं करें। यह टिनेन्सी एक्ट से कान्फ्लिक्ट में आयगा। आप इसको देख लीजिये कि मूव करना उचित होगा या नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यही सही है आपका फरमाना। मेरे ध्यान से यह रह गया, टिनेन्सी एक्ट रेफर नहीं किया कि क्या पावर्स दिये गये हैं? आप फरमाते हैं वह सही

[श्री हिम्मतसिंह]

है। मैं समझता हूँ कि यह उस वक्त ध्यान में नहीं रहा। लेकिन अब इसका ध्यान रखा जावे और दुबारा टिनेन्सी एक्ट को जब अमेन्ड करने की जरूरत होगी तो अमेन्डमेंट इस प्रकार का ले आवें कि तहसीलदार को क्या ज्यादा पॉवर्स दी जायं। उस वक्त यह लावें तो मेरे अमेन्डमेंट की जरूरत नहीं होगी। आपने सुझाव दिया है इसलिए मैं इसको मूव नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १४१, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४१ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है:- "Insert a comma and the words 'at such places between the words 'hours' and 'and' in the third line."

क्लॉज़ १४१ के मातहत यह व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी यहां रेकर्ड्स हम बना रहे हैं उन रेकर्ड्स को जनता किस तरह से देख सके, उसके लिये क्लॉज़ में व्यवस्था की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह—(जारी) माननीय राजस्व मन्त्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की स्पिरिट में हैं, ऐसा मालूम होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है मैंने उसे स्वीकार कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४१ पर श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४१, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४१, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४२ से १४५.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १४२, १४३, १४४ और १४५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४२ से १४५ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े बारह बज गये हैं और समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १४६, श्री हिम्मतसिंह।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जरा कागजों का भार ज्यादा हो गया, इसलिए मेरा संशोधन कौन सा ढूंढने में देर लग जाती है। क्लॉज़ १४६ में मेरा संशोधन इस इस प्रकार है "Substitute the words, 'a forecast of theprobable results of resettle-

[राज श्री हिम्मतसिंह]

ment to be prepared' occurring in lins three and four by the words "an economic survey to be carried out as laid down in Sectlon 151." फोरकास्ट के बजाय मैं चाहता हूं कि इकोनोमिक सर्वे भी साथ ही साथ होना चाहिये। इसलिए इकोनोमिक सर्वे, करवाई जावे फोरकास्ट के बजाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक अमेन्डमेंट इस क्लॉज़ में है। इसमें लाइन थ्री में जो वर्ड "शेल" है उसके बजाय 'मे' एड कर दिया जाय :

श्री उपाध्यक्ष—No.

श्री दामोदरलाल व्यास—Then I can reply to the amendment moved by Shri Himmatsingh.

जहां तक माननीय हिम्मतसिंह जी के अमेन्डमेन्ट से सम्बन्ध है मैं समझता हूँ वह स्वीकार नहीं होना चाहिये। इसमें महज फोरकास्ट का प्रोवीज़न है। इकोनोमिकल सर्वे १५१ में प्रोवाइडेड है। मेरा जो संशोधन है इसमें यह है कि 'शेल' की जगह यहां 'मे' कर दिया जाय। जिस स्थिति के अन्दर रिसेटलमेंट होगा, उसके अन्दर फोरकास्ट करना जरूरी है। उसके बाद में रिसेटलमेंट की कार्यवाही शुरू कर दें। इसके लिये काफी ग्राउन्ड सेटलमेंट कमिश्नर के पास होनी चाहिये। मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करता और मेरा निवेदन है कि 'शेल' जहां शब्द है वहां मे रख दिया जाय ताकि उन केसेज़ के अन्दर सेटलमेंट कमिश्नर जरूरी समझे फोरकास्ट करना जरूरी नहीं तो भी वह रिसेटलमेंट कर सकता है। उसके लिये 'शेल' लफ्ज नहीं होना चाहिये 'शेल' की बजाय 'मे' इन्सर्ट किया जाय और जो अमेंडमेंट हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसे ना मन्जूर कर दिया जावे।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में जल्दबाजी की जा रही है, आप यह समझे हुए हैं कि जिन एरियाज़ का सेटलमेंट नहीं हुआ है उसी पर यह लागू होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—रिसेटलमेंट पर लागू होगा।

श्री हिम्मतसिंह (जारी)—जहां रिसेटलमेंट का प्रश्न आता है रिसेटलमेंट की बाबत जो आगे क्लॉज़ आता है उसमें बहुत सारी बातें हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि रिसेटलमेंट करने के लिये इकोनोमिक सर्वे होना बहुत आवश्यक है और होना चाहिये, ताकि यह मालूम हो सके कि हमें रिसेटलमेंट करने में कितना नुकसान या नफा होने वाला है। रिसेटलमेंट का अगर ऑर्डर दिया जावे और उसके बाद में इकोनोमिकल सर्वे करवाना, यह बात जंचती नहीं। पहले

[श्री हिम्मतसिंह]

इकोनोमिक सर्वे होनी चाहिये ताकि यह मालूम हो सके कि दरअसल में फायदा होगा या नहीं। हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं, Sore Cast is nothing..............

श्री दामोदरलाल व्यास—आप नेक्स्ट क्लॉज़ देखिये।

श्री हिम्मतसिंह—क्लॉज़ १५१ में जो इकोनोमिक सर्वे करायेंगे जब रिसेटलमेंट करने के लिये खास स्थिति में होंगे। जब तक हमको ज्ञान न हो जाय तब तक रिसेटलमेंट नहीं होना चाहिये। फोरकास्ट से पता नहीं लगता। जब तक यह हमें पता न लग जाय कि इसमें नफा या या नुकसान होने वाला है तब तक रिसेटलमेंट नहीं होना चाहिये Forecast is a frrecast; which meaus no they.

श्री दामोदरलाल व्यास—And therefore we substitute the word 'may' for 'shall'.

राज श्री हिम्मतसिंह—"मैं" से कोई काम नहीं चलता। Forecast means nothing.

श्री दामोदरलाल व्यास—That is why we have substituted the word 'may'

राज श्री हिम्मतसिंह—आप जब रिसेटलमेंट का डिसीजन लेना चाहते हैं तो सरटन बेसिस पर आपको यह करना होगा और वे बेसिस इकोनोमिकल सर्वे हुए बगैर नहीं मालूम हो सकते। रिसेटलमेंट के डिसीजन पहले आप इकोनोमिकल सर्वे करायेंगे तभी ठीक तौर से नफे नुकसान का पता चलेगा बाद में इकोनोमिकल सरवे कराने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री मानसिंह महार—I want to oppose the amendment proposd by the Hon' ble RevenueMinister,

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्री ने एक बड़ा छोटा सा शब्द हेरफेर का अमेंडमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसी तरकीब से किया, दूसरे अमेंडमेंट के साथ लगाकर इसको उन्होंने पास कराना चाहा; लेकिन इसको देखने से मालूम होगा यह जितना छोटा है उतना ही खोटा है।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—क्लॉज़ १४६ के अन्दर...

श्री वेदपाल त्यागी—टाइम होगया है साहब ?

श्री मानसिंह महार—तो कल पर रख दिया जाय। मैं तो सदस्यों के समय पर एन्क्रोचमेंट करना नहीं चाहता।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य—कितने मिनिट लेंगे।

श्री मानसिंह महार—१० मिनिट तो लूंगा ही। मंत्रीजी के एमेन्डमेंट का विरोध करना एक तरह की कड़ी बात है। क्या आज्ञा है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष—कितनी देर लगेगी ?

श्री मानसिंह महार—१० मिनिट।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो शायद बोलेंगे ही, कल पर रख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कल ही लेंगे दोनों संशोधन। (श्री हिम्मतसिंह अटरू से) आपके संशोधन को निबटा देते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—उसके लिए भी २४ अवर्स मिल जायेंगे, विचार करने के लिए।

श्रीदामोदरलाल व्यास—कब का ही कर रखा है विचार आपके ऊपर। बहुत अच्छा: तो कल के लिये रख लें।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत अच्छा, यह भी पेडिंग रहेगा।

आज सदन स्थगित किया जाता है कल के ८. ४५ बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही १२-४८ बजे मध्यान्होत्तर, बुधवार, दिनांक ७ दिसम्बर, १९५५, प्रातःकाल ८-५४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–६ दिसम्बर, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८१ का उत्तर देखिये)

तारांकित प्रश्न संख्या ६ सी० एम० दिनांक ४.११.५५ का उत्तर
प्रश्न कर्ता श्री चांदमल मेहता एम० एल० ए०

क. गत वर्ष निम्नांकित पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों के खिलाफ सरकार के समक्ष शिकायतें आई

क्रम संख्या	पाठ्य पुस्तक का नाम	कक्षा	प्रकाशक का नाम
१.	हिन्दी बाल विनोद	१	फ्रन्टीयर पब्लीकेशन, जयपुर
२.	सामाजिक ज्ञान और सरल विज्ञान	३	यूनीवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर
३.	व्यापार शिक्षा तथा महाजनी बहीखाता	८	बीकानेर प्रकाशन गृह, बीकानेर
४.	सामाजिक अध्ययन	३	किशोरी शरण अग्रवाल, जयपुर
५.	सामाजिक अध्ययन	४	किशोरी शरण अग्रवाल, जयपुर
६.	शिशु बोध भाग ४	४	शिक्षा पुस्तक मंदिर, जयपुर
७.	शिशु बोध भाग ५	५	शिक्षा पुस्तक मंदिर, जयपुर
८.	हिन्दी पाठमाला भाग १	६	प्रभात प्रकाशन मन्दिर, जयपुर
९.	हिन्दी पाठमाला भाग २	७	प्रभात प्रकाशन मन्दिर, जयपुर
१०.	हिन्दी पाठमाला भाग ३	८	प्रभात प्रकाशन मन्दिर, जयपुर
११.	संस्कृत सुधा भाग १	६	राजस्थान पब्लीशिंग सिन्डीकेट, जयपुर
१२.	आदर्श माध्यमिक गणित	८	किताब घर, जयपुर
१३.	वाणिज्य प्रवेशिका भाग १	६	किताब घर, जयपुर
१४.	साहित्य सौरभ भाग २	६	इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद
१५.	बाल वाटिका भाग २	२	इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद
१५.	साहित्य सौरभ भाग २	७	इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद
१७.	आदर्श सरल गणित	७	इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद
१८.	प्राचीन भारत और नागरिक शास्त्र	६	इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद
१९.	बाल ज्ञान गंगा भाग ३	३	सूरज बलराम सहानी एन्ड सन्स

१	२	३	४
२०. सामाजिक अध्ययन तथा सरल विज्ञान भाग २	४	हंसराज खन्ना एण्ड ब्रादर्स, देहली	
२१. नवनीत पाठमाला भाग ५	५	भूतडा ब्रादर्स, जोधपुर	
२२. सरल भूगोल	५	साहित्य सदन, देहली	
२३. सरल भूगोल	६	साहित्य सदन, देहली	
२४. जय हिन्द इंगलिश रीडर भाग १	७	पीताम्बर बुक डिपो, देहली	
२५. व्यवहारिक गृह विज्ञान भाग २	७	पीताम्बर बुक डिपो, देहली	
२६. व्यवहारिक गृह विज्ञान भाग ३	८	पीताम्बर बुक डिपो, देहली	
२७. भारत की ऐतिहासिक कहानियां	५	वर्धमान पुस्तक भन्डार, आगरा	
२८. हिन्दी पाठमाला भाग १	६	शिवलाल एन्ड क० लि०, आगरा	
२९. संस्कृत बोध	६	शिवलाल एन्ड क० लि०, आगरा	
३०. संस्कृत प्रतिभा भाग २	७	किताब घर, बीकानेर	
३१ व्यापार प्रणाली भाग २	७	शिक्षा पुस्तक महल, इलाहाबाद	
३२. न्यू इंडिया इंगलिश रीडर भाग ३	८	मूल राज एन्ड सन्स देहली,	
३३. सरल इतिहास और नागरिक शिक्षा	८	गुलाब सिंह एन्ड सन्स, देहली	

सरकार द्वारा उन प्रकाशकों की जिनके खिलाफ शिकायतें थी उनके ऊपर जुर्माना किया गया और जमानतें जब्त की गई जो निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	प्रकाशक का नाम	दंडित रकम	विशेष विवरण
१	फ्रन्टियर पब्लीकेशन, जयपुर	४०००)	
२	यूनीवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर	७८१)	
३	बीकानेर प्रकाशन गृह, जयपुर	१०००)	जमानत जब्त
४	किशोरी शरण अग्रवाल, जयपुर	७८१२॥)	अभीतक रकम वसूल नहीं हुई इस वजह से इस वर्ष इसकी पुस्तक चालू नहीं की गई।
५	पुस्तक मन्दिर, जयपुर	३१२॥)	
६	प्रभात प्रकाशन मन्दिर, जयपुर	२३४३।॥) १०००)	जमानत जब्त

१	२	३	४
७ राजस्थान पब्लिशिंग सिन्डीकेट, जयपुर		१०००) जमानत जब्त	
८ किताब घर, जयपुर		४६८।।।)	
६ इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद		८४२।।।)	
		१०००) जमानत जब्त	
१० सूरज मल रामसहानी एन्ड सन्स, देहली		६२५)	
११ हंसराज खन्ना एन्ड ब्रॉदर्स, देहली		४६८।।।)	
१२ भूतडा ब्रादर्स, जोधपुर		२३४३।।।)	
१३ साहित्य सदन, देहली		१२५०), २८१२।।), ५००)	
१४ पीताम्बर बुक डिपो, देहली		८७५)	
१५ वर्धमान पुस्तक भन्डार, आगरा		८५६३।।।), २५००) जमानत की रकम और ५००) ली गई	
१६ शिवलाल एन्ड क० लि०, आगरा		४६८।।।)	
१७ किताब घर, बीकानेर		४६८।।।)	
१८ शिक्षा पुस्तक भवन, इलाहाबाद		१०००) जमानत जब्त	
१६ मूल राज एन्ड सन्स, देहली		२५०)	
२० गुलाब सिंह एन्ड सन्स, देहली		६०६।≈)	

(ख) चालू वर्ष में निम्नलिखित प्रकाशकों व लेखकों के खिलाफ शिकायतें हैं :

१ मिश्र बन्धु कार्यालय, जयपुर

२ मूलराज एन्ड सन्स, देहली

३ न्यू इन्डिया बुक क०, खुर्जा

४ शिवलाल एन्ड क०, आगरा

५ राजपाल एन्ड सन्स, देहली

६ कपूर ब्रॉदर्स लि०, देहली

७ किताब घर किशनपोल बाजार, जयपुर

८ गुरूदास कपूर एन्ड सन्स, देहली

९ शिक्षा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
१० प्रभात प्रकाशन मन्दिर, जयपुर
११ शिक्षा पुस्तक मन्दिर, जयपुर
१२ राजेन्द्र कुमार एन्ड ब्रादर्स, जयपुर
१३ किताब घर, बीकानेर
१४ हंसराज खन्ना एन्ड ब्रादर्स, देहली
१५ इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

८६. (३७आर.एम.) श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर २०—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ठिकाना निमेडा, पांति सुखसिंह, तहसील श्री माधोपुर के सम्वत् २००२ के आसामियान में बीघोड़ी बकाया के मुकद्दमात तहसील श्री माधोपुर में अभी तक चल रहे हैं ?

(ख) यह बकाया हासिल बीघोड़ी के केसेज़ किस साल दर्ज रजिस्टर किए गए थे ?

(ग) अब तक इनके फैसले न होने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार इन मुकद्दमात के फैसले जल्दी करने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) तहसील श्री माधोपुर में तारीख १४-४-५५ को उक्त मुकद्दमात दर्ज रजिस्टर हुए हैं।

(ग) निर्णय हो चुके हैं।

(घ) प्रश्न बाकी नहीं रहता।

Page No.107

प्रश्न

१०. (३८।आर.एम.) श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर २०—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेड़ता स्थित चारभुजा के मन्दिर को क्या सरकार से कोई सहायता मिलती है या इसका पूजा खर्च ठिकाना आलनियास बोरियां से चलता है ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने मीरांबाई के तोरण को, जिसकी मन्दिर में पूजा होती थी, जयपुर मंगा लिया है ?

उत्तर

क. मेडता स्थित धार पूजा के मन्दिर को गांव कामा वास तहसील मेडता माफी में मिला हुवा है, जिसकी वार्षिक आय ४६० रु० है।

ख. कहा यह जाता है कि यह मंदिर १५ वीं शताब्दी ए० डी० में राव दूधा जी के समय में बनाया गया है। किसने बनाया इसका पूरा पता नहीं है। लेकिन करीब १० साल हुए होंगे कि मोची जाति के लोगों ने इस मन्दिर में एक बहुत बड़ा हॉल करीब ३०,००० रुपये खर्च करके बनाया है और सम्वत् २००० में सेठ श्री मगनीराम जी बांगड ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करीब ३०,००० रुपये खर्च करके किया है।

ग. जी नहीं। मन्दिर की माफी में राज का एक गांव हैं और मन्दिर के सेवागीरों को भी अलग २ माफियां इस मंदिर की नौकरी के सिलसले में मिली हुई हैं। अलबत्ता भक्त लोग अपनी श्रद्धानुसार सेवा करते हैं जैसे सिंघी कल्यानमल जी एक पाव दूध भोग में करीब २० साल से चढाते है और इसी तरह ठिकाना आलनीयावास से ८ आने रोज व ठिकाना रियांस से ४ आने रोज प्रसादी के लिये भेंट होना बताया जाता है।

घ. जो मीराबाई का तोरण इस मन्दिर में था उसकी पूजा नहीं होती थी। गत वर्ष तोरण को कांग्रेस अधिवेशन के समय अजमेर की प्रदर्शनी के पंचाल के लिये मंगाया गया था। और अभी वापस नहीं किया गया। अधीक्षक आर्क्योलाजी (Archeology) व म्यूज़ियम के सुझाव के अनुसार इस तोरण की कीमत देकर इसको जोधपुर या जयपुर के म्यूजियम में रखना तजवीज हुआ है ताकि इसकी बराबर देखभाल हो सके और दुनिया इसे देख सके और वह दूर २ विख्यात हो सके। मगर मन्दिर की कमेटी के दो सदस्यों ने, जिनमें से एक सवाल करने वाले एम. एल. ए. महोदय भी हैं इस सुझाव को स्वीकार करने में आपत्ति प्रकट की है और तोरण वापस लौटाये जाने की मांग की है सो अब मामला विचाराधीन है। यहां तक पता चला है स्थिति यह है कि इस तोरण की पूजा नहीं होती है। दीपावली व अन्य सामाजिक व धार्मिक पर्वो पर दीपमालिका द्वारा इस तोरण

में सिर्फ रोशनी करने का रिवाज है। इस किस्म की रोशनी को जहां कहीं भी यह तोरण रखा जावे वहां भी हो सकती है।

ङ. इस मामले में न तो कोई राजनीति है और न किसी प्रकार के धार्मिक मामलों में सरकार की तरफ से हस्तक्षेप है। तोरण आर्क्योलॉजी में सुरक्षित रखने योग्य है ताकि राजस्थान व अन्य देशों के ज्यादा लोगों को इसको देखने व इसकी प्रशंसा करने का अवसर प्राप्त हो सके।

(प्रश्न)

६१ (६४ । सी० एम०) श्री महादेव प्रसाद बंका, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ६२—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से कितने घंटे काम लिया जाता है ?

(ख) क्या सरकार के निर्धारित समय के अतिरिक्त भी काम लिया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो उन अतिरिक्त घंटों के लिये कर्मचारियों को क्या दिया जाता है ?

(उत्तर)

(क) कर्मचारियों से ग्रीष्म काल में ५ घंटे तथा अन्य काल में प्रतिदिन ६ घंटे की औसत से काम लिया जाता है।

(ख) जी हां, आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के अतिरिक्त भी काम लिया जा सकता है।

(ग) अतिरिक्त समय के लिये कोई भत्ता या वेतन तो नहीं दिया जाता परन्तु यदि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त समय में घर से बुलाया जावे तो आने-जाने का तांगा किराया दिया जा सकता है।

(प्रश्न)

९२ (१८ । सी० आई० एम०) श्री महादेव प्रसाद बंका, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ६२—क्या हरिजन उत्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा सरकारी खर्चे से पूर्ण चालित कितने छात्रालय हैं ?

(ख) प्रत्येक छात्रालय में कितने २ छात्रों को रखने की योजना है और अब प्रत्येक छात्रालय में कितने २ छात्र हैं ?

(ग) प्रत्येक छात्र पर माहवारी कितना खर्च होता है और किस किस तरह से ?

(घ) इस साल ये छात्रालय किन किन तारीखों में खोले गये ?

(उत्तर)

(क) राजस्थान पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा सरकारी खर्चे से पूर्णतः चालित १४ छात्रालय हैं। सूची संलग्न है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) भोजन, वस्त्र, पुस्तकादि, स्टेशनरी, बिस्तर, स्कूल या कॉलेज की फीस, मकान किराया, पानी व रोशनी आदि पर कुल खर्जे का औसत २० रु० माहवार है। होस्टल के कर्मचारियों, जिनमें व्यवस्थापक व होस्टल के नौकर यानि रसोइये, चौकीदार फर्राश, भंगी व डॉक्टर भी शामिल, हैं के वेतनादि पर औसत खर्च ६ रु० मासिक होता है।

(घ) इस वर्ष (५५-५६) में केवल दो छात्रालय; एक जयपुर में व एक पाली में विमुक्त जाति के छात्रों के लिये जुलाई सन् ५५ से खोले गये हैं। बाकी छात्रालय पिछले वर्षों में खोले गये जिसका विवरण संलग्न सूची में दे दिया गया है।

राजस्थान पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा सरकारी खर्चे से पूर्ण चालित छात्रालयों के संबंध में जानकारी

क्र० सं०	स्थान जहां छात्रालय खोले गये	वर्ग	अधिकतम छात्रों को प्रवेश देने की संख्या	वर्तमान में प्रविष्ठ छात्रों की संख्या	छात्रालय प्रारंभ करने की तारीख
१	जयपुर शहर	हरिजन लड़कों के लिये।	५०	५०	सन् १९५१ में
		अनुसूचित जाति :			
२	उदयपुर शहर	,,	५०	५०	राजस्थान बनने से पूर्व
३	बीकानेर शहर	,,	५०	५०	सन् १९५१ में
४	जोधपुर शहर	,,	५०	५०	,,
५	कोटा शहर	,,	५०	३८	,,
६	सागवाड़ा (जि० डूंगरपुर)	भील लड़कों के लिये।	२५	२५	सन् १९५१

१	२	३	४	५	६
७	प्रतापगढ़ (जि० चित्तौड़गढ़)	,,	४०	४०	१६५१
८	बांसवाड़ा (जि० बांसवाड़ा)	,,	४०	४०	१६५१
६	कोटडा (जि० उदयपुर)	,,	४०	४०	१६५१
१०	खेरवाड़ा (जि० उदयपुर)	भील लड़कियों के के लिये ।	४०	२५	१६५०
११	सिरोही (जि० सिरोही)	भील व अन्य पिछड़ी जाति के लड़कों के लिये ।	४०	२५	जनवरी १६५५
१२	चित्तौड़ (जि० चित्तौड़)	विमुक्त जाति के लड़कों के लिये ।	२५	२५	फरवरी १६५५
१३	पाली (जि० पाली)	,,	२५	२५	जौलाई १६५५
१४	जयपुर शहर	,,	२५	२५	,,

प्रश्न

६३. (३५ । आर. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की तकावी लोन कमेटी में कौन कौन मेम्बर हैं ?

(ख) क्या सरकारी नियम के अनुसार तकावी लोन कमेटी में एम. एल. ए. को सम्मिलित करना भी आवश्यक समझा है ?

(ग) अगर हां, तो तहसील शाहपुरा में इस कमेटी में कौन एम. एल. ए. हैं ?

(घ) अगर नहीं, तो क्या इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(क) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की तकावी लोन कमेटी निम्न प्रकार हैं :

१. तहसीलदार

Page No.111

२. श्री किस्तूरचन्दजी, एम. एल. ए.

३. श्री द्वारिकाप्रसादजी अजमेरा।

(ख) सरकारी नियम के अनुसार सरकारी सत्र समिति में एम. एल. ए. को लेना आवश्यक है।

(ग) श्रीमान् प्रश्न कर्ता सामान्य महानुभाव ही उस समिति के भी सदस्य हैं।

(घ) जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें से ज्ञात होता है कि इस तहसील में कोई तकावी नियत करने की आवश्यकता नहीं हुई। एतदर्थ समिति की कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई; अतएव किसी पदाधिकारी के विरुद्ध आज्ञा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब किसी नियम का उल्लंघन ही नहीं हुआ तो किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

९७. (३६। आर. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की भूमि अलॉटमेंट कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कमेटी में कोई एम. एल. ए. मेम्बर नहीं है?

उत्तर

(क) तहसील बनेड़ा की भूमि अलोटमेंट कमेटी निम्न प्रकार है : तहसीलदार....सरपंच तहसील व सरपंच क्षेत्र।

(ख) उक्त कमेटी में कोई एम. एल. के मेम्बर नहीं है

१०३. (२५। सी. आई. एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६४—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील छोटी सादड़ी में कालाकोट गांव के नरसिंहगी माता के स्थान पर लोहे की एक बहुत बड़ी खान के निकलने की कोई संभावना है?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(क) हां

(ख) चालू वर्ष के फील्ड सीजन के कार्यक्रम में इस क्षेत्र की भौगर्भिक समीक्षा की कार्यवाही सम्मिलित की गई है।

१०४. (७६। सी. एम.) श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५५—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिकन्दरा से गीजगढ़ तक की पक्की रोड व दोसा से खवा जाने वाली सड़क का काम कब तक शुरू हो जायगा ?

(ख) अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इनके बनने में क्यों ढिलाई हो रही है ?

(ग) क्या पापड़दा, खवा, रानोली, गुमानपुर, बैरावण्डा आदि गांवों में कोई यातायात के साधन नहीं हैं ?

(घ) क्या वहां के लोगों को जल्दी ही राहत देने का सरकार का इरादा है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) इस समय इस सड़क को पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई योजना नहीं है।

(घ) यह सम्भव है कि इन गावों में अन्य गावों की तरह वर्षात में कठिनाई होती है। वित्ताभाव के कारण सब गावों के लिए सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं।

प्रश्न

१०५. (२६/सी. आइ. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२—क्या दलितवर्ग कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में इस साल में भीलों को फ्री तकावी लोन देने की स्वीकृति है ?

(ख) अगर हां, तो कुल कितनी रकम ?

(ग) क्या भीलों ने यह लोन लेने को फॉर्म भरे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(क) पिछड़ी जाति कल्याण विभाग से फ्री तकावी लोन नहीं दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ठ ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०० का उत्तर देखिये)

राजकीय पिछड़ी जाति छात्रावास, बनीपार्क, जयपुर।

छात्र सूची

क्र० सं०	नामछात्र	जाति	कक्षा	निवास स्थान	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	फूलचन्द	चमार	प्रथम वर्ष कला	प्रागपुरा (जयपुर)	
२.	भैरूलाल	बलाई	दशम्	मौजमाबाद (जयपुर)	
३.	परशुराम	चमार	,,	अवानिया जयपुर	
४.	परमानन्द	नायक	,,	समोद जयपुर	
५.	पूनमचन्द	चमार	,,	भगवानगढ़ सवाईमाधोपुर	
६.	सूजालाल	चमार	,,	मौजमाबाद जयपुर	
७.	जगदीशनारायण	चमार	,,	टोंक	
८.	लक्ष्मीनारायण	चमार	,,	टोंक	

१	२	३	४	५	६
९.	मोतीलाल	चमार	,,	टोंक	
१०.	रतनलाल	मेहतर	,,	टोंक	
११.	जयराम	रेगर	,,	लवाण जयपुर	
१२.	ज्ञानचन्द	रेगर	,,	सामोद जयपुर	
१३.	गणेशराम	रेगर	,,	दिवराला सीकर	
१४.	छीतरलाल	चमार	नवम्	सवाई माधोपुर।	
१५.	रामलाल प्रथम	चमार	,,	चन्दलाई जयपुर	
१६.	सुआलाल	चमार	,,	किशोरपुरा जयपुर	
१७.	रामकुमार	चमार	,,	जयपुर	
१८.	प्यारेलाल	रेगर	,,	बस्सी	
१९.	नारायणप्रसाद	बलाई	,,	रामपुरा सीकर	
२०.	मेवाराम	रेगर	,,	सरना डूंगर जयपुर	
२१.	बल्देवप्रसाद	रेगर	,,	सरना डूंगर जयपुर	
२२.	हरीराम	चमार	,,	टोंक	
२३.	रामसहाय	चमार	,,	पापड़दा जयपुर	
२४.	वृद्धिचन्द प्रथम	मेहतर	,,	टोडारायसिंह टोंक	
२५.	रामजीलाल	चमार	,,	महवा सवाई माधोपुर	
२६.	पदमाराम	बलाई	,,	जोधपुरा जयपुर	
२७.	झूंथाराम	बलाई	,,	घस्सीपुरा जयपुर	
२८.	शिवसहाय	रेगर	,,	खंडेला सीकर	
२९.	भानुप्रसाद	रेगर	,,	खोराबिसल जयपुर	
३०.	पन्नालाल	रेगर	,,	सीतापुरा जयपुर	
३१.	लाधूराम	रेगर	अष्टम्	झोठवाड़ा जयपुर	
३२.	रामकरण	चमार	,,	टोंक	
३३.	कालूराम	चमार	,,	टोंक	
३४.	वृद्धिचन्द द्वितीय	चमार	,,	टोंक	

१	२	३	४	५	६
३५.	प्रेमचन्द	मेहतर	,,	टोड़ारायसिंह टोंक	
३६.	भोंरीलाल	मेहतर	,,	निवाई टोंक	
३७.	श्रीकृष्ण	रेगर	,,	टोड़ारायसिंह टोंक	
३८.	विजयसिंह	चमार	,,	महवा सवाई माधोपुर	
३९.	छोटूलाल	मेहतर	,,	टोड़ारायसिंह टोंक	
४०.	सेवाराम	रेगर	,,	लवाण जयपुर	
४१.	रामनिवास	रेगर	,,	लवाण जयपुर	
४२.	स्वरूपचन्द	मेहतर	,,	नायला जयपुर	
४३.	भंवरलाल	चमार	सप्तम्	मौजमाबाद जयपुर	
४४.	हीरालाल	चमार	,,	मौजमाबाद जयपुर	
४५.	मंगलचन्द	चमार	,,	पालू जयपुर	
४६.	पांचूलाल	चमार	,,	उग्रावास जयपुर	
४७.	रामस्वरूप	नायक	,,	सामोद जयपुर	
४८.	आनन्दीलाल	रेगर	,,	सीतापुरा जयपुर	
४९.	भूरामल	रेगर	,,	सीतापुरा जयपुर	
५०.	रामलाल द्वितीय	रेगर	,,	खातीपुरा जयपुर	

राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास जयपुर

क्र० सं०	नाम छात्र	जाति		कक्षा	निवास स्थान नाम जिला	विशेष विवरण
१.	श्री नथमल वर्मा	चौकीदार	मीणा	प्रथम वर्ष	चारावास खेतड़ी • जिला झुन्झनू	
२.	श्री नानूलाल वर्मा	,,	,,	,,	नीदड़ आमेर जिला जयपुर	
३.	श्री रामहेत वर्मा	,,	,,	दशम	खोदराखुर्द दौसा जिला जयपुर	
४.	श्री रामेश्वरप्रशाद वर्मा	,,	,,	,,	नीदड़ आमेर जिला जयपुर	
५.	श्री अर्जुनलाल ,,	,,	,,	,,	,, ,, जिला जयपुर	

१	२	३	४	५	६
६.	श्री मदनलाल ,,	,,	,,	पचार दातारामगढ़	जिला सीकर
७.	श्री कल्याण सहाय ,,	,,	,,	नागल बेरासी दौसा	जिला जयपुर
८.	श्री महादेव प्रशाद ,,	,,	६वीं	जमवारामगढ़	जिला जयपुर
९.	श्री रामचन्द्र प्रथम ,,	,,	,,	नागौर	जिला जयपुर
१०.	श्री रामचंद्र द्वितीय ,,	,,	,,	किशनगढ़, फुलेरा ।	जिला जयपुर
११.	श्री रामनारायण प्रथम	,,	,,	चांवड़िया	जिला जयपुर
१२.	श्री बनवारीलाल ,,	,,	,,	सूराना बैराठ	जिला जयपुर
१३.	श्री रामकिशोर ,,	,,	,,	बांदीकुई	जिला जयपुर
१४.	श्री श्री किशन	,,	,,	पचार दातारामगढ़	जिला सीकर
१५.	श्री रामकुंवार प्रथम	,,	,,	कोटपुतली	जिला जयपुर
१६.	लक्ष्मीनारायण	,,	८वीं	मसवा	जिला सवाई माधोपुर
१७.	श्री रामनारायण द्वितीय	,,	,,	चम्पापुरा सिरसी	जिला जयपुर
१८.	श्री कल्याण प्रसाद	,,	,,	नींदड़बेनाड (आमेर)	जिला जयपुर
१९.	श्री रामकुंवार द्वितीय	,,	,,	रीवां बसई, खेतड़ी	झुन्झनू
२०.	श्री सूरजप्रकाश	,,	७वीं	बस्ती सीतारामपुरा	जिला जयपुर
२१.	श्री रामकिशोर	,,	,,	,, ,,	जिला जयपुर
२२.	श्री रामकरण	,,	,,	धोलाई, जमवारामगढ़	जिला जयपुर
२३.	श्री रामप्रताप	,,	,,	मुड्स, नीमकाथाना	जिला
२४.	श्री सूरजमल	,,	६ठी	बासडी सांभर	जिला जयपुर
२५.	श्री रामसिंह	,,	,,	टीबा बसई खेतड़ी	जिला झुन्झनू